

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
प्रतिवेदन

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार
संघ सरकार के लेखे
2006 की संख्या - 1

महाराष्ट्र शासन, न्याय विभाग

मुंबई

दि. १५/०५/२०१८

१५/०५/२०१८

१५/०५/२०१८

१५/०५/२०१८

विषय सूची

		पृष्ठ
प्राक्कथन		i
विशिष्टतार्ये		iii
अध्याय	विषय	
1.	संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन	1
2.	संसाधन: प्रवृत्तियां तथा संरचना	12
3.	संसाधनों का उपयोग: व्यय	24
4.	घाटा : राजकोषीय असन्तुलों का प्रबंधन	36
5.	राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन	43
6.	विनियोग लेखे 2004-05 : प्रस्तावना	54
7.	विनियोग लेखे 2004-05 : एक विश्लेषण	58
8.	चुने हुए अनुदानों की समीक्षा	75
9.	सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन	110
	परिशिष्ट सूची	117
	परिशिष्ट	118
	शब्दावली	160

प्राक्कथन

मार्च 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

मार्च 2005 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए संघ सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखाओं (रेलवे को छोड़ कर) पर नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत मामले इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं। मंत्रालयों के विभिन्न वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा से उद्भूत टिप्पणियों को पृथक रूप से प्रतिवेदन सं. 2 में सम्मिलित किया गया है।

संघ सरकार के लिए, स्वायत्त निकायों (सं.3), रक्षा सेवाएं-सेना तथा आयुध फैक्ट्रियां (सं.4), रक्षा सेवाएं-वायु सेना एवं नौ सेना (सं.5), रेलवे (सं.6), अप्रत्यक्ष कर-सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर (सं.7) तथा प्रत्यक्ष कर (सं.8) और गैर कर राजस्व (सं.9) पर पृथक प्रतिवेदन भी संसद को प्रस्तुत किए जाते हैं।



संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था तथा लेखे : 2004-05

विशिष्टताएं

यह प्रतिवेदन संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था और दो योजनाओं की अवधि अर्थात् VIII वीं (1992-1997) और IX वीं (1997-2002) तथा दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के मुख्य राजकोषीय सूचकों की प्रवृत्तियों पर चर्चा करता है। इसमें 2004-05 के विनियोग लेखाओं पर एक विश्लेषण भी अन्तर्विष्ट है।

- वर्ष 2004-05 के अन्त में, भारत की समेकित निधि एवं लोक लेखे दोनों में क्रमशः 45,222 करोड़ रु तथा 27,119 करोड़ रु. की राशि के अधिशेष थे।
- 2004-05 में राजस्व घाटा 78700 करोड़ रु. था जबकि राजकोषीय घाटा 103,798 करोड़ रु. की राशि का था। राजस्व घाटा, सकल घरेलू उत्पाद का 2.53 प्रतिशत था जबकि राजकोषीय घाटा, स.घ.उ. का 3.34 प्रतिशत बनता था।
- 2004-05 में संघ सरकार की कुल प्राप्तियों की राशि 1664,333 करोड़ रु. थी। गैर ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 32 प्रतिशत बनती थीं। शेष उधारों और लोक लेखा प्राप्तियों से आया था।
- 2004-05 में कुल गैर-कर राजस्व 150,508 करोड़ रु. था जो संघ सरकार के निवल राजस्व का 40 प्रतिशत बनता था। 1985-2005 के दौरान यह अनुपात अपने सापेक्ष अनुपात में 0.33 प्रतिशत के नाममात्र सकारात्मक वार्षिक परिवर्तन दर पर था यद्यपि, हाल के दो वर्षों में इसके सापेक्ष हिस्से में मंदन था।
- संघ सरकार का कुल संवितरण VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 433,716 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2004-05 में 1584,585 करोड़ रु. हो गया। तथापि, 1985-2005 के दौरान संवितरण की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति 11.92 प्रतिशत थी जोकि उसी अवधि में स.घ.उ. की 13.89 प्रतिशत औसतन वृद्धि दर से कम थी।
- राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना और इसका हिस्सा VIII वीं योजना के दौरान 78.88 प्रतिशत की औसत से 2004-05 में 82.93 प्रतिशत तक बढ़ गया। पूंजीगत व्यय और कर्जे एवं अग्रिम के सापेक्ष भाग में, VIII वीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत की औसत से, 2004-05 के दौरान 17.07 प्रतिशत तक गिरावट आई।

- 1985-2005 के दौरान कुल व्यय में योजना व्यय का हिस्सा लगभग गतिहीन रहा। 1985-2005 के दौरान कुल व्यय के 23.15 प्रतिशत की दीर्घावधि औसत के प्रति, 2004-05 में इसका भाग केवल मामूली सुधर कर 24.20 प्रतिशत तक हुआ।
- सामाजिक सेवाओं पर संघ सरकार का समग्र व्यय VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 6903 करोड़ रु. के औसत से 2003-04 में 24,593 करोड़ रु. और 2004-05 में 31,115 करोड़ रु तक बढ़ गया था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में दीर्घावधि प्रवृत्ति वृद्धि दर 15.26 प्रतिशत थी (1987-2005)।
- कुल राजकोषीय देयताएं - स.घ.उ. अनुपात 1991-92 के दौरान चरम सीमा पर रहा, जब यह स.घ.उ. के 65.72 प्रतिशत तक हो गया था। यह अनुपात VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 60.72 प्रतिशत के औसत तक गिर गया और इसके आगे IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत की औसत तक रहा। हाल के तीन वर्षों में, जबकि स.घ.उ. से राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2002-03 में 62.69 प्रतिशत तक बढ़ गया, 2003-04 में यह मंद हो कर 60.13 प्रतिशत और 2004-05 में 58.71 प्रतिशत तक पहुंच गया जो दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तरों के निकट था।
- 1985-2005 के दौरान, राजस्व और गैर-ऋण प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं के अनुपात की एक सकारात्मक परिवर्तन दर थी। गैर ऋण प्राप्तियों से राजकोषीय देयताओं का औसत अनुपात, VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 446 प्रतिशत से 2002-03 में 453 प्रतिशत तक बढ़ गया था। तथापि, यह 2004-05 में 409 प्रतिशत तक गिर गया था।

अध्याय 1

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था - एक विहंगावलोकन

1.1 यह अध्याय वर्ष 2004-05 के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का एक विस्तृत परिदृश्य प्रस्तुत करता है और पिछले दो दशकों में मुख्य राजकोषीय संचयन में नाजुक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 तालिका 1.1 प्राप्तियों, संवितरणों, घाटों तथा उधारों (आवश्यकता और इसके समायोजन) को समाविष्ट करते हुए चालू वर्ष (2004-05) के दौरान संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था की स्थिति का सार प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.1: चालू वर्ष के प्रचालन का सार

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियां		व्युत्पन्न मापदण्ड		संवितरण
भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.)				
राजस्व प्राप्ति	376871	राजस्व घाटा	राजस्व व्यय	455571
विविध पूंजीगत प्राप्तियां	4424	78700	पूंजीगत व्यय	53654
ऋणों की वसूली	64240	राजकोषीय घाटा	ऋण तथा अग्रिम	40108
कुल गैर-ऋण प्राप्तियां	445535	103798	कुल व्यय	549333
लोक ऋण	705289	भा.स.नि. में अधिशेष	लोक ऋण	556269
कुल भा.स.नि.	1150824	45222	कुल भा.स.नि.	1105602
लोक लेखा				
लघु बचत	284992		लघु बचत	263293
आरक्षित एवं निक्षेप निधि	27074		आरक्षित एवं निक्षेप निधि	23374
जमा	73067		जमा	76104
अग्रिम	27380		अग्रिम	27889
उचन्त लेखे	13668	लोक लेखे में घाटा	उचन्त लेखे	9279
प्रेषण	1326	27119	प्रेषण	449
कुल लोक लेखे	427507	रोकड़ में वृद्धि	कुल लोक लेखे	400388
अथ नकद	7407	72341	अंत नकद	79748
लोक लेखा अधिशेष (मांग)		27119	(भा.स.नि.) में घाटा+ रोकड़ में बढ़ोतरी	
वार्षिक देयताएं (आपूर्ति)		171382	(ऋण+लघुबचत+आ.नि.+जमा) का अधिशेष	
वार्षिक देयताएं (मांग)		171382	सा.जमा + रोकड़ में वृद्धि + निवल संवितरण (अग्रिम + उचन्त + प्रेषण)	

1.3 वर्ष 2004-05 भारत की समेकित निधि और लोक लेखे दोनों में अधिशेष के साथ समाप्त हुआ तथा समस्त राशि नकद शेषों को बढ़ाने में प्रयोग में लायी गयी थी।

यह स्वयं में दो कारणों से बेजोड़ था। प्रथमतः संघ वित्तीय व्यवस्था के इतिहास में यह प्रथम वर्ष था जिसमें भारत की समेकित निधि और लोक लेखे दोनों में अधिशेष देखा गया, दूसरे इस अधिशेष की प्राप्ति बाजार स्थायीकरण योजना के अंतर्गत मूल्य स्थायीकरण मापदण्ड के रूप में प्रथमिक रूप से पद्धति से अत्यधिक परिसमापन को कम करने के लिए संघ सरकार के नकद शेषों को बढ़ाने के लिए उपयोग में लायी गयी थी। वर्ष 2004-05, 103,798 करोड़ रु. के राजकोषीय घाटे के साथ समाप्त हुआ। नई योजनाएं जो कि संसाधन अंतराल की पूर्ति के लिए अनुकूल गति में है फिर भी नकद शेषों के बनने के कारण, राजकोषीय घाटा 67,584 करोड़ रु. तक अधिक बढ़ गया।

बॉक्स 1.1: संघ सरकार की निधियां और लोक लेखे

समेकित निधि	आकस्मिकता निधि
संघ सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों के निर्गम द्वारा उगाहे गए समस्त ऋण, आंतरिक तथा बाह्य ऋण तथा ऋणों के पुनर्भुगतान के रूप में सरकार द्वारा प्राप्त समस्त धन भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अन्तर्गत स्थापित की गई "भारत की समेकित निधि" शीर्षक एक समेकित निधि बनाएंगे।	संविधान के अनुच्छेद 267(1) के अंतर्गत स्थापित भारत की आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखे गए एक अग्रदाय के रूप में हैं जो उन्हें, संसद के लंबित प्राधिकार के रहते अतिआवश्यक अप्रत्याशित व्यय के लिए अग्रिम प्रदान करने का अधिकार देता है। ऐसे व्यय और समेकित निधि से इसके बराबर राशि के आहरण के लिए वैधानिक अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है तत्पश्चात आकस्मिकता निधि से आहरित अग्रिमों की निधि से प्रतिपूर्ति कर दी जाती है।
लोक लेखा समेकित निधि से संबंधित सरकार की सामान्य प्राप्ति तथा व्ययों के अतिरिक्त सरकारी लेखाओं में कुछ ऐसे लेन-देन भी सम्मिलित होते हैं जिनके संबंध में सरकार अधिकतर बैंकर के रूप में कार्य करती है। भविष्य निधियों, लघु बचतों, अन्य जमाओं आदि से संबंधित लेन-देन इसके कुछ उदाहरण हैं। इस प्रकार, प्राप्त लोक धन को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखा जाता है तथा सम्बद्ध संवितरण उसमें से भी किए जाते हैं।	

1.4 संघीय बजट, आंकड़ों के तीन सैट (क) पूर्ववर्ती वर्ष के वास्तविक आंकड़े, (ख) चालू वर्ष के संशोधित अनुमान तथा (ग) आगामी वर्ष के बजट अनुमान प्रस्तुत करता है। वास्तविक आंकड़ें बजट अनुमानों के कितने निकट हैं निकटता राजकोषीय लक्ष्यबेधी गुणवत्ता इसको दर्शाती है। बजट अनुमानों से वास्तविक आंकड़ों में विचलन के बहुत से कारण हैं। यह अपूर्वानुमानित तथा यादृच्छिक बाह्य कारणों या सुव्यवस्थित अपर्याप्तता के कारण हो सकता है जिसके कारण बजट स्तर पर व्यय अथवा राजस्व का कम या अधिक अनुमान हो सकता है या कई बार हमें विवेकता से विचार करके संतुलित किया जा सकता है। वास्तविक राजस्व की प्राप्ति और इसका संवितरण कुछ आन्तरिक एवं अन्य बाह्य कई कारणों पर निर्भर करता है। तालिका 1.2 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए, बजट अनुमानों तथा वास्तविक आंकड़ों का एक सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 2004-05 - बजट तथा वास्तविक आंकड़े

(करोड़ रुपयों में)

बजट अनुमान	2003-04 वास्तविक आंकड़े	2004-05		बजट से विचलन	विचलन* प्रतिशत
		वास्तविक आंकड़े	बजट अनुमान		
1 संघ सरकार की कुल प्राप्तियाँ	1333505	1578331	1216370	361961	29.76
2 राजस्व प्राप्तियाँ	339100	376871	380343	-3472	-0.92
कर राजस्व	188582	226363	235506	-9143	-3.88
गैर-कर राजस्व	150518	150508	144837	5671	3.92
3 विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16953	4424	4000	424	0.11
4 कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली	69827	64240	29625	34615	116.84
5 लोक ऋण की प्राप्ति	538492	705289	507403	197886	39.00
6 लोक लेखा प्राप्तियाँ	369133	427507	294999	132508	44.92
7 संघ सरकार के कुल संवितरण	1329563	1505990	1169967	336023	28.72
8 राजस्व व्यय	440086	455571	456722	-1151	-0.25
9 पूँजीगत व्यय	35401	53654	60718	-7064	-11.63
10 कर्जों तथा अग्रिम	31330	40108	43143	-3035	-7.03
11 लोक ऋण की वापसी	430963	556269	342119	214150	62.59
12 लोक लेखा संवितरण	391783	400388	267265	133123	49.81
13 राजस्व घाटा	100986	78700	76379	2321	3.04
14 राजकोषीय घाटा	80937	103798	146615	-42817	-29.20

* विचलन (बजट अनुमान-वास्तविक आंकड़े)/बजट अनुमान x100 के रूप में अनुमानित हैं।

1.5 राजस्व प्राप्तियाँ बजट अनुमान से 0.92 प्रतिशत तक कम थी और गैर-कर प्राप्तियों की अधिक वसूली कर संचयनों की कमी को पूरा करने में अपर्याप्त थी। यद्यपि राजस्व व्यय सामान्यतः बजटीय स्तर पर बनाए रखा गया था, बजट अनुमानों से संबंधित कर संचयन में कमी के कारण राजस्व घाटे में बढ़ोतरी हुई। तथापि राजकोषीय घाटा जो सरकार के समग्र संसाधन अंतराल का द्योतक है, बजटीय आंकड़े से 29 प्रतिशत तक कम था, अधिक की वृद्धि, इस तीव्र कटौती से बजट आंकड़ों से कम था। ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली में 116 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि बजटीय आंकड़ों की तुलना में, ऋण विनियम के कारण तीव्र घटाव में योगदान दिया। तथापि इसको एकमुश्त प्राप्ति के रूप में देखना चाहिए क्योंकि इसके कारण संघ की मूल परिसम्पत्तियों में इसके समकक्ष कटौती हुई। बजट अनुमानों के सापेक्ष पूँजीगत व्यय और ऋणों एवं अग्रिमों में गिरावट ने भी राजकोषीय घाटे को कम करने में योगदान दिया। यद्यपि, प्राप्ति एवं संवितरण

(पुनर्भुगतान), दोनों सार्वजनिक ऋण के संबंध में बजट आंकड़ों से काफी बढ़ गए, फिर भी देयताओं में वृद्धि के सम्बन्ध में इनका निवल प्रभाव बजट अनुमानों से कम था। कुल मिलाकर जहां राजकोषीय लक्ष्य प्राप्ति, राजस्व प्राप्तियों तथा राजस्व व्यय के सम्बन्ध में सुस्पष्ट थी, बजट अनुमानों के साक्षेप अन्य पैरामीटरों में विचलन काफी अधिक थे।

संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था 1985-2005-कुछ मुख्य पैरामीटर

बॉक्स 1.2: निधियों का प्रबन्ध: संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(3) में प्रावधान है कि "भा.स.नि. या राज्य की समेकित निधि में से कोई भी राशि, जैसा कि विधि के अनुसार है तथा उस प्रयोजनों के लिए और जैसा कि संविधान में प्रावधान है के सिवाय, विनियोजित नहीं की जाएगी।" लोकसभा द्वारा वित्तीय वर्ष में अनुदान की मांगों के लिए मत देने के उपरान्त, विनियोग अधिनियम के रूप में परिणत हुआ यह प्रावधान अनुच्छेद 112 तथा 114 के साथ पठित है तथा संबंधित विनियोग बिल संसद द्वारा पारित किया जाता है और जिसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। विनियोग अधिनियम की धारा 2 एवं 3 के प्रावधान नीचे दिये गये हैं:

भा.स.नि. में से, विभिन्न प्रभारों को चुकाने के प्रति अनुसूची के कॉलम 3 में निर्दिष्ट राशि से अधिक न होकर लागू राशि, जो अनुसूची के कॉलम 2 में निर्दिष्ट सेवाओं के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के दौरान भुगतान के लिए होगी, अदा की जाएगी।

इस अधिनियम के द्वारा भा.स.नि. में से भुगतान तथा प्रयुक्त किये जाने वाली के लिए प्राधिकृत राशियाँ, उल्लिखित वर्ष के सम्बन्ध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं तथा प्रयोजनों के लिए विनियोजित की जाएंगी।

1.6 जैसा कि वित्त लेखाओं से प्रकट/व्युत्पन्न हुआ है, राजस्व तथा राजकोषीय घाटे के आंकड़े सरसरी तौर पर देखे गए बजट तथा बजट दस्तावेजों के साथ संलग्न कुछ कागजातों में दर्शाए जा रहे आंकड़ों से निरन्तर भिन्न हैं। ये अंतर राजस्व तथा व्यय पक्ष में कुछ लेन-देनों को शामिल/बाहर निकालने के कारण हैं। जबकि ये बजट कागजातों के साथ संलग्न दस्तावेजों में दर्शाए गए हैं, इन कागजातों को ऊपर दर्शाना महत्वपूर्ण हो सकता है। निम्न तालिका 1.3 राजस्व तथा राजकोषीय घाटे में, आवश्यक समायोजन लेन-देनों सहित सरसरी तौर पर देखे गए बजट में दर्शाए गए तथा वित्त लेखाओं में दर्शाए/व्युत्पन्न आंकड़ों के बीच अंतर दर्शाती है।

तालिका 1.3: वित्त लेखे तथा सरसरी तौर पर देखे गए बजट में राजस्व और राजकोषीय घाटे का समायोजन

(करोड़ रु में)

	2000-01	2002-03	2003-04	2004-05
वित्त लेखाओं के अनुसार घाटा				
राजस्व घाटा	110303	109765	100986	78700
राजकोषीय घाटा	155833	134588	80937	103798
सरसरी तौर पर देखे गए बजट के अनुसार घाटा				
राजस्व घाटा	100162	107880	98262	78338
राजकोषीय घाटा	140955	145072	123272	125202
दो आंकड़ों में अन्तर				
राजस्व घाटा	10141	1885	2724	362
राजकोषीय घाटा	14878	(-) 10484	-42335	(-) 21404
अंतरों को स्पष्ट करने वाले कारण				
भा.रि.बैं./यू.टी.आई./आई.डी.बी.आई./अन्य को जारी प्रतिभूतियां (राजस्व लेखा)	10141	1885	2724	362
आई.आई.बी.आई./आई.एफ.सी.आई./भा.रि.बैं. को जारी प्रतिभूतियां (पूँजीगत व्यय)	4737	384	-110	(-) 88
आई.एम.एफ. को जारी प्रतिभूतियां		1011	1262	415
एन.एस.एस.एफ. को जारी प्रतिभूतियों का शोधन		(-) 13765	(-)46211	(-) 32675
परिसम्पत्ति प्रबन्ध न्यास को जारी प्रतिभूतियां				9000
भा.रि.बैं. को जारी विशिष्ट प्रतिभूतियां				350
प्राप्य ब्याज का इक्विटी में परिवर्तन				640
न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन में निवेश				592
संयुक्त प्रभाव	14878	(-) 10485*	-42335	(-) 21404

* अंतर शेष-सारांश को पूर्णकृत करने के कारण था।

1.7 राजस्व प्राप्तियां, व्यय, राजकोषीय असंतुलन तथा राजकोषीय देयताओं को शामिल करते हुए संघ सरकार की वित्तीय व्यवस्था का विस्तृत विश्लेषण इस प्रतिवेदन के अध्याय 2 से 5 में अन्तर्विष्ट है। मुख्य पैरामीटरों का विहंगावलोकन नीचे प्रस्तुत किया गया है।

शेषों का सार

1.8 वित्त लेखे के विवरण 12 में संसाधनों की उपलब्धता तथा उपयोग की शर्तों के संबंध में सरकारी वित्तीय व्यवस्था के संचित निष्कर्ष का सार है। वित्त लेखे के विवरण 5 के साथ पठित यह विवरण, सरकार के तुलनपत्र के सदृश है। तालिका 1.4, 1985-86 तथा 2004-05 के दौरान विश्लेषण के आधार वर्ष तथा चालू वर्ष में सरकारी वित्तीय व्यवस्था का सार उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.4: सरकारी वित्तीय व्यवस्था के शेषों का सार

(करोड़ रुपयों में)

संसाधनों के उपयोग			संसाधनों की उपलब्धता				
	31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*	31 मार्च को		वृ.सं.वा.द.*	
	1986	2005		1986	2005		
पूँजीगत परिव्यय	62064	487160	10.85	आंतरिक ऋण	71039	1275971	15.54
ऋण तथा अग्रिम	61766	230515	6.81	बाह्य ऋण	18153	60877	6.24
कार्यों के अनुसार स्रोत उपयोग				लघु बचत	36859	263048	10.30
सामाजिक सेवाएं	3032	19933	9.87	अन्य उत्तरदायित्व	11433	92989	11.05
कृषि एवं सम्बद्ध	5596	9017	2.41	राजकोषीय देयतायें	137484	1692885	13.38
सिंचाई एवं बिजली	9122	58709	9.76	नकद शेष	-107	-79748	39.19
उद्योग एवं खनिज	32931	81079	4.41	उचन्त लेखे	-1260	-17920	14.20
परिवहन एवं संचार	19198	107859	9.01	प्रेषण	-1273	-2368	3.15
अन्य आर्थिक सेवाएं	3012	69587	17.00	अग्रिम	-511	-3349	9.86
कुल आर्थिक सेवाएं	69859	326251	8.01	आकस्मिकता निधि	50	50	0.00
सामान्य सेवाएं तथा अन्य	12219	210323	15.29	निधियों की उपलब्धता	134383	1589550	13.15
राज्यों को ऋण	38720	161168	7.39	संसाधन अन्तराल	-10553	-871875	24.70
कुल परिसम्पत्तियां	123830	717675	9.18	संसाधन उपयोग	123830	717675	9.18

(*वृद्धि की संचयी वार्षिक दर)

1.9 जहां संघ सरकार की निधियों की निवल उपलब्धता 13.15 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी थी, पूँजीगत व्यय और ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए सरकारी परिसम्पत्तियां केवल 9.18 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ी थी। स्रोत की उपलब्धता तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण की वृद्धि में इस नकारात्मक फैलाव के परिणामस्वरूप संघ सरकार की अपनी देयताओं के सापेक्ष मूल परिसम्पत्तियों में उत्तरोत्तर गिरावट आई। 1985-2005 के दौरान परिसम्पत्तियों के भीतर, पूँजीगत व्यय या सरकार द्वारा पूँजीगत निर्माण में प्रत्यक्ष रूप से अपेक्षाकृत उच्चतर वृद्धि देखी गयी थी। "ऋण तथा अग्रिम" में, जो अपने पराश्रयी के माध्यम से पूँजीगत निर्माण के सदृश हैं, 6.81 प्रतिशत की औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों और उद्योग तथा खनिजों में परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा निवेश में, इस अवधि के दौरान बहुत कम वृद्धि दर्ज की गयी। सामाजिक सेवाओं में निवेश में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अन्य आर्थिक सेवाओं पर व्यय जिसमें वित्तीय संस्थानों के लिए निवेश/आवास शामिल था, उसमें सापेक्ष रूप से उच्च वृद्धि थी। अन्य घटक, जिसमें औसत वृद्धि से तीव्र वृद्धि हुई, लोक निर्माण कार्य तथा रक्षा को शामिल करते हुए सामान्य सेवाएँ तथा अन्य सेवाओं पर व्यय था। निधियों की निवल उपलब्धता तथा संसाधन उपयोग के बीच, अन्तर के रूप में मापा जाने वाला संसाधन अन्तराल 31 मार्च 1986 को लगभग आठ प्रतिशत से बढ़कर 31 मार्च 2005 को 55 प्रतिशत के निकट हो गया था।

बॉक्स 1.3: सूचना पैरामीटर

राजकोषीय संचयन, जैसे कर तथा गैर-कर राजस्व, राजस्व तथा पूँजीगत व्यय, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे चालू बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में दर्शाए गए हैं। 1993-94 को आधार मानकर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा प्रकाशित तथा 2003-2004 के आर्थिक सर्वेक्षण में दर्शाई गई नई स.घ.उ. श्रृंखला का उपयोग किया गया है। चालू वर्ष के लिए स.घ.उ. के अनुमान के.सा.सं. द्वारा 30 जून 2005 को जारी उनकी प्रेस विज्ञप्ति के अनुरूप है।

कर राजस्व के लिए उत्प्लावकता अनुमान दिए गए हैं। उत्प्लावकता कर आधार में प्रतिशतता परिवर्तन से कर की प्रतिक्रियाशीलता का संकेत देती है। यहाँ पर उत्प्लावकताओं को उपर्युक्त वर्णित स.घ.उ. श्रृंखलाओं के संदर्भ में परिकलित किया गया है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए 1985-2005 के दौरान एक प्रवृत्ति वृद्धि का संकेत दिया गया है। इसके अतिरिक्त, VIII वीं योजना (1992-97) तथा IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान प्रवृत्ति वृद्धि भी इंगित की गई है। इन वृद्धि दरों को परिकलित करते समय, अंतर्योजना वृद्धि दरों का अनुमान लगाने के लिए योजना के पहले वर्ष को आधार वर्ष के रूप में लिया गया है। यह प्रक्रिया योजना के तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष की 'निम्न आधार प्रवृत्ति' का निराकरण करती है। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों अर्थात् 2003-04 तथा 2004-05 के लिए वार्षिक वृद्धि दर्शाई गई है।

अधिकतर श्रृंखलाओं के लिए स.घ.उ. के संबंध में अनुपात भी इंगित किए गए हैं। वृद्धि दरों के मामले की ही भांति, VIII वीं तथा IX वीं योजना के लिए औसत अनुपात, 1985-2005 तथा योजना अवधियों के लिए पृथक-पृथक उपयोग किए गए हैं। दो सर्वाधिक हाल के वर्षों के लिए वार्षिक अनुपात भी इंगित किए गए हैं।

राजस्व प्राप्तियां

1.10 तालिका 1.5, 1985-2005, VIII वीं और IX वीं योजना (क्रमशः 1992-1997 और 1997-2002) और हाल के दो वर्षों के दौरान वृद्धि दर तथा साक्षेप भाग को, कर के स.घ.उ., गैर-कर तथा कुल राजस्व प्राप्तिओं (संघ सरकार के करों में राज्यों का निवल हिस्सा) की प्रतिशतता के रूप में इंगित करती है।

तालिका 1.5 : संघ सरकार की राजस्व प्राप्तिओं के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व		गैर-कर राजस्व		संघ सरकार के कुल राजस्व		स.घ.उ. में वृद्धि
	क	ख	क	ख	क	ख	
1985-2005	12.66	9.12	13.85	5.89	13.14	12.59	14.14
VIII योजना (1992-1997)	15.89	9.32	14.66	5.94	15.61	12.71	16.54
IX योजना (1997-2002)	9.00	8.68	8.00	6.06	8.12	12.40	10.43
2002-04	15.61	8.76	6.58	5.66	13.02	12.14	8.21
2003-05	17.61	9.17	7.76	5.43	13.10	12.23	12.25

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्ष भाग

1.11 यह देखने में आया कि राजस्व प्राप्तिओं (कर तथा गैर-कर प्राप्तियाँ सहित) की वृद्धि दर स.घ.उ. की औसत वार्षिक प्रवृत्ति की वृद्धि से अपेक्षाकृत कम थी। 1992-2002 के बीच एक दशक से अधिक राजस्व प्राप्तिओं की वृद्धि दर और इसके दो घटक स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रहे थे। यद्यपि, गैर कर प्राप्तिओं की वृद्धि दर, दूर संचार

सेवाओं के निगमीकरण और प्रसार भारती के स्थापन के कारण निरंतर मंद रही, स.घ.उ. की वृद्धि तथा कर प्राप्तियों की वृद्धि के बीच इस प्रवृत्ति के उत्क्रमण के नकारात्मक फैलाव का प्रमाण पिछले दो वर्षों के दौरान देखा गया था। स.घ.उ. की कर प्राप्तियों का अनुपात जिसमें IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.68 प्रतिशत औसत की गिरावट आयी थी, 2004-05 में 9.82 प्रतिशत तक बढ़ गया।

1.12 संघ सरकार के कुल राजस्व में (राज्यों के अंशदानों में शामिल करते हुए) 1985-2005 के दौरान 0.914 की उत्प्लावकता आई थी जो यह इंगित करती है कि स.घ.उ. में प्रत्येक प्रतिशतता अंक वृद्धि के लिए कर राजस्व में केवल 0.91 प्रतिशत की वृद्धि थी। जबकि प्रत्यक्ष कर की उत्प्लावकता एक से अधिक थी, अप्रत्यक्ष कर (सीमा-शुल्क तथा उत्पाद शुल्क दोनों) में निम्न उत्प्लावकता जो कि कुल कर राजस्व की लगभग तीन चौथाई बनती थी, जिसके परिणामस्वरूप सकल कर प्राप्तियों में समग्र निम्नतर उत्प्लावकता आई। गैर कर प्राप्तियों में, जबकि ऋणों तथा अग्रिमों पर ब्याज की औसत दर उधारों, निवेश पर वापसी, औसत मूल्य से अधिक अनुरक्षित रही तथा सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से उपभोक्ता प्रभारों की वसूली कम रही।

व्यय

1.13 संघ सरकार के कुल व्यय (तालिका 1.6) ने भी ऐसी ही स्थिति दर्शाई थी। कुल व्यय की वृद्धि की दर में, (1985-2005) के दौरान 12.22 प्रतिशत दीर्घकालीन अवधि औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.86 प्रतिशत और चालू वर्ष में 8.39 प्रतिशत की गिरावट आई थी। कुल व्यय-स.घ.उ. अनुपात 1985-2005 के दौरान 19.57 से चालू वर्ष में 17.69 प्रतिशत की प्रवृत्ति औसत से भी गिर गई थी। पूंजीगत व्यय, की महत्वपूर्ण अस्थिरता प्रमाणित थी, परन्तु व्यय के इस घटक की औसत वार्षिक वृद्धि, कम रही। तथापि, पिछले दो वर्षों में, पूंजीगत व्यय की वृद्धि में महत्वपूर्ण गतिवर्धन था। स.घ.उ. के सापेक्ष, इसके हिस्से में उतार-चढ़ाव था, परन्तु दर के विचलन से इसका साक्षेप हिस्सा ऋणात्मक था। यह कर्जे और पेशगियों में भी यथातथ्य था।

तालिका 1.6: संघ सरकार के व्यय के मुख्य पैरामीटर

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व व्यय		पूंजीगत व्यय		कर्ज तथा पेशगियां		कुल व्यय	
	क	ख	क	ख	क	ख	क	ख
1985-2004	14.12	16.12	7.21	1.64	6.28	2.05	12.47	19.81
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	15.51	-8.44	1.89	11.91	2.26	11.87	19.66
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	16.36	9.22	1.37	-3.42	1.84	8.86	19.56
2002-03	9.06	16.59	-2.55	1.23	-6.19	1.47	6.92	19.29
2003-04	7.45	15.88	16.08	1.28	-13.51	1.13	6.40	18.28

क: - वृद्धि की दर

ख: - स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में सापेक्षिक भाग

राजकोषीय असंतुलन

1.14 राजकोषीय असन्तुलन न केवल निरन्तर जारी रहे, बल्कि राशि में भी अधिक थे। राजस्व घाटा/स.घ.उ. के अनुपात में VIIIवीं योजना(1992-1997) के दौरान 2.80 प्रतिशत के औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 3.95 प्रतिशत के औसत की वृद्धि थी। राजकोषीय घाटा-स.घ.उ. अनुपात भी VIIIवीं योजना के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना के दौरान 6.25 प्रतिशत के औसत तक बढ़ गया था। तथापि, पिछले तीन वर्षों में, इन मानदण्डों में सुधार था। पिछले तीन वर्षों में राजस्व घाटे और स.घ.उ. के अनुपात में (2001-02 में 4.80 प्रतिशत की चरम सीमा से 2004-05 में 2.53 प्रतिशत तक) 2.27 की प्रतिशतता तक गिरावट आयी थी। यद्यपि चालू वर्ष में IX वीं योजना के टर्मिनल वर्ष 2001-02 में 6.79 प्रतिशत के अनुपात में वृद्धि हुई, चालूवर्ष में 3.34 प्रतिशत का अनुपात पिछले तीन वर्षों में 3.45 प्रतिशत बिन्दु की गिरावट का द्योतक है, यद्यपि इसके आधे से अधिक को ऋण को कम करने तथा राज्यों को पहले दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की त्वरित वसूली को आरोपित किया जा सकता था। चूंकि वहां पर त्वरित वसूली तथा मूल परिसम्पत्तियों में गिरावट के बीच एक दूसरे का परस्पर सम्बन्ध था, इसको एक दीर्घकालीन कार्य के रूप में नहीं लिया जा सकता है। तथापि, इस सुधार को बनाए रखने के लिए, अपेक्षाकृत राजस्व प्राप्ति की उच्चतर वृद्धि की आवश्यकता होनी चाहिए अन्यथा यह एक एकाकी परिघटना होगी। राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटे के अनुपात में निरन्तर वृद्धि की प्रवृत्ति अधिक चिन्ता का विषय थी क्योंकि राजकोषीय घाटे की प्रतिशतता, VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान राजकोषीय घाटे के 46.26 प्रतिशत के औसत से 2004-05 में 75.82 प्रतिशत से अधिक बढ़ गयी थी (तालिका 1.7)।

तालिका 1.7: स.घ.उ. से राजस्व तथा राजकोषीय घाटे का अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटे की % के रूप में राजस्व घाटा
1985-2004	3.53	5.90	59.77
VIIIवीं योजना (1992-1997)	2.80	6.04	46.26
IXवीं योजना (1997-2002)	3.95	6.25	63.26
2002-03	4.44	5.45	81.56
2003-04	3.64	2.92	124.77

राजकोषीय देयताएं

1.15 संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के बृहत मानदण्ड निम्न तालिका 1.8 में प्रस्तुत किए गए हैं।

तालिका 1.8: संघ सरकार के राजकोषीय देयताओं की विशिष्टताएं

(प्रतिशत)

अवधि	कुल देयताओं* की वृद्धि दर	कुल देयतायें/ स.घ.उ अनुपात	ब्याज की औसत दर	देयताओं से परिसम्पत्तियों का अनुपात
1985-2004	14.04	59.98	8.36	51.72
VIIIवीं योजना (1992-1997)	12.48	60.72	7.91	57.68
IXवीं योजना (1997-2002)	11.85	59.08	9.06	50.90
2003-04	7.20	60.13	8.28	41.48
2004-05	9.86	58.71	7.89	39.36

* राज्य सरकारों द्वारा इस सीमा तक रा.ल.ब.नि. को जारी प्रतिभूतियों में लघु बचतों के कारण देयताओं में 1999-2000 से लोक लेखा देयताएं शामिल हैं।

1.16 1985-2005 के दौरान, संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताएं, स.घ.उ. के 60 प्रतिशत से थोड़ी अधिक रहीं। यद्यपि कुल देयताओं में वृद्धि की दर, मन्दन की प्रवृत्ति को इंगित करती है, इस मन्दन से स.घ.उ. से देयताओं के अनुपात में अधिक लाभ नहीं हुआ क्योंकि बाद की अवधि में स.घ.उ. की वृद्धि ने स्वयं मन्दन देखा। बकाया देयताओं पर ब्याज की औसत दर VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 7.91 प्रतिशत के औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 9.06 प्रतिशत के औसत तक बढ़ती रही। 2003-04 में 8.28 प्रतिशत के औसत ब्याज दर में मामूली मन्दन था, और आगे चालू वर्ष में 7.89 प्रतिशत जिसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों में ब्याज दरों में 133 मूलाधार बिन्दुओं की गिरावट आई। राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से बहुत कम रही थी। संचालित ब्याज दर संरचना के अतिरिक्त दो तथ्य, जो दो दशकों से सम्मत रहे थे, बाध्य ऋणों पर कम ब्याज दरें, जो

1991-92 के सिवाय कभी भी 4 प्रतिशत से अधिक नहीं रही तथा निक्षेप निधियों तथा जमाओं की प्रकृति की अन्य देयताएं, जो निरंतर अधिक निम्न ब्याज दरें आकृष्ट करती रही, निम्न दरें दीर्घकाल तक बनी रही। तथापि, उधार ली गई निधियों का उपयोग चिंता का विषय बना रहा। अधिक राजस्व घाटा, संघ सरकार की सकल देयताओं के समर्थन में परिसम्पत्तियों को भी समाप्त कर रहा था, जो 2004-05 तक 40 प्रतिशत से थोड़ा कम तक गिर गया।

अध्याय 2

संसाधन : प्रवृत्तियां तथा संरचना

संघ सरकार के संसाधन: 2004-05

2.1 राजस्व एवं पूंजीगत, प्राप्तियों की दो धारायें हैं जिनसे संघ सरकार के संसाधन बनते हैं। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, गैर-कर राजस्व, सहायता अनुदान एवं अंशदान शामिल हैं। पूंजीगत प्राप्तियों के दो घटक हैं ऋण प्राप्तियां जो भविष्य में शोधन के लिए दायित्वों का सृजन करती हैं और विविध पूंजीगत प्राप्तियां जो संघटित तौर पर विनिवेश से प्राप्तियां तथा ऋणों एवं पेशगियों की वसूलियां जो परिसम्पत्तियों के प्रभावी या वास्तविक आधार को कम करने में सहायक होती है। नीचे तालिका 2.1 संघ सरकार के कुल संसाधनों जो वर्ष 2004-05 के लिए 1664,333 करोड़ रु. बनते थे, का सारांश प्रस्तुत करती है। गैर ऋण प्राप्तियां कुल प्राप्तियों का लगभग 32 प्रतिशत बनती थी। शेष या तो राज्यों को समनुदेशित किये जाने थे या उधार तथा लोक लेखा प्राप्तियों की प्रकृति के थे।

तालिका 2.1: संघ सरकार के संसाधन

	(करोड़ रुपयों में)
I राजस्व प्राप्तियां	455,466
II पूंजीगत प्राप्तियां	1201,460
क. विविध प्राप्तियां	4,424
ख. कर्जों तथा पेशगियों की वसूली	64,240
ग. ऋण प्राप्तियां	705,289
III लोक लेखा प्राप्तियां	427,507
कुल प्राप्तियां	1656,926
नकद अथ शेष	7,407
संसाधनों की कुल उपलब्धता	1664,333

टिप्पणी: (1) राजस्व प्राप्तियों में 78,595 करोड़ रु. राज्यों को सौंपे गये करों तथा शुल्कों का हिस्सा शामिल है और संघ सरकार के वित्त लेखाओं में नहीं दर्शाया गया है।


(2) राजस्व प्राप्तियों में रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों से प्राप्तियाँ शामिल हैं।

संसाधनों में प्रवृत्तियां

2.2 संघ सरकार के समग्र संसाधनों में 1985-2005 के दौरान 11.99 प्रतिशत की प्रवृत्ति दर से वृद्धि हुई। विभिन्न योजना अवधियों के दौरान वृद्धि दर में परिवर्तन के

बावजूद प्रवृत्ति वृद्धि स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम रही। संघ के सकल संसाधनों की संभूतियों में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया के प्रारम्भ होने के तुरन्त बाद VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 14.87 प्रतिशत प्रतिवर्ष की वृद्धि देखी गई। यद्यपि IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 7.02 प्रतिशत तक अवतारित हो गई। अंतिम दो वर्षों (2003-04 और 2004-05) में प्रवृत्ति में व्युत्क्रम था तथा कुल प्राप्तियों की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि से आगे बढ़ गई थी।

2.3 अन्तः वर्ष में, सकल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों की वृद्धि में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं। जबकि ऋण प्राप्तियों के लिए वृद्धि प्रवृत्ति (1985-2005) निम्नतम थी, पिछले दो वर्षों में महत्वपूर्ण त्वरण देखा गया था। गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियों के मामले में, जबकि चालू वर्ष में वृद्धि ऋणात्मक थी, यह बहुत उच्च आधार पर था। सही अर्थों में, पिछले दो वर्षों में गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ, ऋण अदला-बदली योजना के कारण, विस्तृत दीर्घावधि प्रवृत्ति की तुलना में पर्याप्त रूप से उच्चतर स्तर पर अनुरक्षित की गयी थी। IXवीं योजना अवधि के दौरान देखी गई वृद्धि दरों के संदर्भ में राजस्व प्राप्तियों में भी विशेष रूप से उत्प्लावकता थी, त्वरण 4.0 प्रतिशतता बिन्दु के निकट था।



तालिका 2.2: प्राप्तियों के घटक : प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपये में)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां	सकल घरेलू उत्पाद
		गैर ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां		
1985-2005	195887	18592	274678	150689	639846	1307525
VIII वीं योजना (1992-1997)	157991	9373	164326	102117	433807	1035315
IX वीं योजना (1997-2002)	282019	17430	427187	210498	937134	1914401
2003-04	404866	86780	538492	369133	1399271	2760025
2004-05	455466	68664	705289	427507	1656926	3105512

वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2005	12.94	14.80	10.51	14.56	11.99	13.89
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.41	0.01	15.98	14.43	14.87	16.54
IX वीं योजना (1997-2002)	8.58	18.24	2.22	13.76	7.02	10.43
2003-04	13.74	107.13	23.69	20.15	22.69	12.04
2004-05	12.50	-20.88	30.97	15.81	18.41	12.52

2.4 तालिका 2.3 संसाधनों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक हिस्से को दर्शाती है। काफी लम्बे समय से (1985-2005) ऋण प्राप्तियों के अतिरिक्त, अन्य तीन संघटकों में सापेक्षिक हिस्सों में धनात्मक विचलन रहा था। यद्यपि, VIII वीं योजना के दौरान सापेक्षिक हिस्सों की राजस्व प्राप्तियां शिखर पर थीं, तथापि ऋण प्राप्तियों के हिस्से IX वीं योजना के दौरान शिखर पर थे। पिछले दो वर्षों के दौरान गैर ऋण प्राप्तियां तथा लोक लेखे से संभूतियां पराकाष्ठा पर पहुँच गई थी। राजस्व प्राप्तियों के सापेक्षिक हिस्से VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान 36.42 प्रतिशत की सीमा तक पहुंचने के पश्चात IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान पिछले वर्षों में 30 प्रतिशत से कुछ ज्यादा के साथ दक्षिण की ओर बह गया तथा 2004-05 में 27.49 प्रतिशत तक हो गये। इस अवधि के दौरान ऋण प्राप्तियों में इनके सापेक्षिक हिस्से में एक ऋणात्मक विचलन देखा गया था। संघ सरकार के सकल संसाधनों के चार घटकों के सापेक्षिक हिस्सों में इन विचलनों के बावजूद लोक लेखे में संभूतियों को सम्मिलित करते हुए ऋण प्राप्तियों तथा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां और अन्य गैर-ऋण प्राप्तियां) के बीच अनुपात साधारणतः दो तिहाई और एक तिहाई पर स्थिर रहा।

तालिका 2.3: कुल प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों के सापेक्षिक अंश

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2005	30.61	2.91	42.93	23.55	100
VIII वीं योजना (1992-1997)	36.42	2.16	37.88	23.54	100
IX वीं योजना (1997-2002)	30.09	1.86	45.58	22.46	100
2003-04	28.93	6.20	38.48	26.38	100
2004-05	27.49	4.14	42.57	25.80	100
हिस्सों में औसत वार्षिक विचलन की दर					
1985-2005	0.85	2.53	-1.32	2.30	

स.घ.उ. के सापेक्ष संसाधनों तक पहुंच


2.5 जैसे आय बढ़ती है संसाधनों की पहुंच में वृद्धि स्वाभाविक है, क्योंकि आधार अपने आप में विस्तृत है। अतः स.घ.उ. की सापेक्षिक वृद्धि अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि स.घ.उ. के समग्र संसाधनों की अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति औसत 48.93 प्रतिशत

(1985-2005) थी; यह VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 41.90 प्रतिशत औसत तक गिर गई थी। IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान कुल प्राप्तियां-स.घ.उ. अनुपात से 48.95 प्रतिशत की औसत से बढ़ गयी तथा चालू वर्ष में यह 53.35 प्रतिशत तक हो गई। यद्यपि चालू वर्षों में सुधार के बावजूद समग्र प्राप्तियां-स.घ.उ. अनुपात में तथा इसके चार घटकों में से दो में ऋणात्मक विचलन दर थी (तालिका 2.4)। यदि 1985-86 में कुल प्राप्तियां तथा स.घ.उ. 100 पर स्थिर हो तो 2004-05 में स.घ.उ.के 1117 के मूल्य के प्रति कुल प्राप्तियां केवल 734 होगी (ग्राफ-2)।

तालिका 2.4: स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में प्राप्तियां

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व प्राप्तियां	पूंजीगत प्राप्तियां			कुल प्राप्तियां
		गैर-ऋण प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	लोक लेखे में संभूतियां	
1985-2005	14.98	1.42	21.01	11.52	48.93
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.26	0.91	15.87	9.86	41.90
IX वीं योजना (1997-2002)	14.73	0.91	22.31	11.00	48.95
2003-04	14.67	3.14	19.51	13.37	50.70
2004-05	14.67	2.21	22.71	13.77	53.35
हिस्सों में विचलन की औसत वार्षिक दर					
1985-2005	-0.83	0.80	-2.98	0.58	-1.67



2.6 वित्त लेखाओं में प्राप्तियां एवं संवितरण, विशेषतः जो लोक ऋण एवं लोक लेखे से सम्बन्धित हैं, सकल आधार पर प्रकट होते हैं तथा इसलिए, राष्ट्रीय संसाधनों पर सरकार के काफी ग्रेटर ड्राफ्ट को दर्शाते हैं। अर्थोपाय अग्रिमों (डब्लू.एम.ए.) तथा 14 दिवसीय खजाना बिलों के माध्यम से समायोजन स्वयं ही स्वभाव से अल्पावधि के हैं जो अस्थायी बेमेल के लिए एक आवरण प्रदान करते हैं। ये स्वपरिसमापक हैं तथा उनको ऋण प्राप्तियों में सम्मिलित किये जाने से ये आंकड़े अनावश्यक रूप से बढ़ जाते हैं। इसी प्रकार लोक लेखे में संभूतियां जो कि सरकार द्वारा बैंकिंग संचालन के सदृश है,

सकल आधार पर वास्तविक पहुंच प्रदान किये बिना सकल आंकड़ों को आत्मसात कर सकती है। जबकि कुछ सीमा तक यह अन्य ऋण प्राप्तियों के लिए भी सही हो सकता है क्योंकि अधिकतर ये प्राप्तियां ऋण परिसमापन के लिए होती हैं, ये एक संरचित उधार योजना की आवश्यकता को दर्शाती है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इसके संसाधनों पर 14 दिवसीय खजाना बिलों तथा डब्ल्यू.एम.ए. के संचालनों के प्रभाव को फांसना भी आवश्यक हो सकता है, ताकि राष्ट्रीय संसाधनों पर इसका एक प्रभावी ड्राफ्ट प्राप्त हो सके। तालिका 2.5 कुल प्राप्तियों पर इस साल तथा पिछले सात वर्षों से स.घ.उ. के प्रति कुल प्राप्तियों के अनुपात के प्रभाव को दर्शाती है। ऐसे निष्प्रभावीकरण के फलस्वरूप संघ सरकार के निवल ड्राफ्ट में 2004-2005 में कुल प्राप्तियों के 53.35 प्रतिशत से 28.52 प्रतिशत तक 25 प्रतिशतता अंको तक गिरावट आ जाती है।

तालिका 2.5 : संशोधित प्राप्तियां तथा स.घ.उ. में इसका हिस्सा

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व प्राप्तियां	गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां	ऋण प्राप्तियां	डब्ल्यू.एम.ए. की निवल प्राप्तियां	ट्रेजरी बिलों से निवल प्राप्तियां	निवल लोक लेखा संभूतियां	कुल प्राप्तियां	कुल प्राप्तियां/ स.घ.उ. (प्रतिशत)
1998-99	254369	19063	131819	1042	-880	40942	446355	25.64
1999-00	298076	14274	132556	-2060	-4440	23345	461751	23.84
2000-01	307724	18924	152146	4413	1340	25123	509670	24.39
2001-02	318121	24379	187523	-219	-1553	42364	570615	25.00
2002-03	355948	41896	206830	-5176	3134	37011	639643	25.97
2003-04	404866	86780	297096	0	1626	-22650	767718	27.82
2004-05	455466	68664	326960	0	7354	27119	885563	28.52

राजस्व प्राप्तियां: मुख्य समुच्चयों की गति

2.7 राजस्व प्राप्तियां, इसके कर तथा गैर-कर प्राप्तियों के विस्तृत घटकों के साथ, राजस्व का बहुत महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इन प्राप्तियों तक पहुंचने में कोई भविष्य भुगतान के दायित्व नहीं है। संघ सरकार की समग्र राजस्व प्राप्ति में (उनके सकल कर संग्रहण से राज्यों के भाग का निवल) 1985-2005 के दौरान 12.94 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से वृद्धि हुई। तथापि, औसत वार्षिक वृद्धि दर में VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 15.61 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 8.12 प्रतिशत दर तक एक तीव्र गिरावट आई। चालू वर्ष में भी, वार्षिक वृद्धि दर दीर्घावधि प्रवृत्ति से कम थी तथा गैर कर प्राप्ति में ऋणात्मक वृद्धि इस गिरावट के लिए उत्तरदायी कारण था। राजस्व प्राप्ति की वृद्धि की प्रवृत्ति दर, स.घ.उ. की प्रवृत्ति वृद्धि, जैसा कि इस अवधि के दौरान, स.घ.उ. ने अपने सापेक्षित भाग में एक ऋणात्मक विचलन दर द्वारा दर्शाया था, की तुलना में भी कम थी। (तालिका 2.6)

तालिका 2.6: राजस्व प्राप्तियों की संरचना एवं प्रवृत्तियाँ

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सकल कर राजस्व	करों में राज्यों का भाग	निवल कर राजस्व	गैर-कर राजस्व	संघ के निवल राजस्व	गैर-कर राजस्व का भाग (प्रतिशत)	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में निवल राजस्व
1985-2005	120442	31835	88607	75444	164051	45.99	12.55
VIII वीं योजना (1992-1997)	96533	26391	70142	61459	131601	46.70	12.71
IX वीं योजना (1997-2002)	166087	44622	121465	115933	237397	48.84	12.40
2003-04	254348	65766	188582	150518	339100	44.39	12.29
2004-05	304958	78595	226363	150508	376871	39.94	12.14
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1985-2005	12.69	12.94	12.61	13.32	12.94	0.33	-0.83
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.89	14.41	16.47	14.66	15.61	विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)	
IX वीं योजना (1997-2002)	9.00	11.05	8.25	8.00	8.12		
2003-04	17.61	17.18	17.76	7.76	13.10		
2004-05	19.90	19.51	20.03	-0.01	11.14		

टिप्पणी: इसमें रेलवे, डाक एवं विभागीय उपक्रमों की प्राप्तियाँ शामिल हैं।

2.8 गैर-कर राजस्व, संघ सरकार के निवल राजस्व का 46 प्रतिशत बनता था। यह अनुपात 1985-2005 के दौरान सापेक्षिक भाग के मन्द धनात्मक वार्षिक विचलन दर का 0.33 प्रतिशत था यद्यपि, वर्तमान वर्षों में इसके सापेक्षिक भाग में गिरावट थी।

2.9 पिछले दो वर्षों में सकल कर संग्रहण तथा संग्रहणों के उस भाग जो संघ सरकार द्वारा अपने पास रखा गया था, में भी वृद्धि दर में त्वरण देखा गया। 2003-04 में 17.61 प्रतिशत की वृद्धि दर के प्रति सकल कर संग्रहण 2004-05 में 19.90 प्रतिशत तक बढ़ गया और 1997-2002 के दौरान औसत वृद्धि 9.0 प्रतिशत थी। 2004-05 में राज्यों को सौंपे गए करों के भाग में भी उच्चतर वृद्धि देखी गयी और जो सकल संग्रहणों की वृद्धि के समान थी।

मुख्य कर: सापेक्षिक निष्पादन

2.10 विभिन्न करों के सापेक्षिक निष्पादन में पिछले वर्षों में सार्थक परिवर्तन हुआ (तालिका 2.7) साथ ही 1985-2005 के दौरान निगम कर में 19.19 प्रतिशत की उच्चतम प्रवृत्ति वृद्धि दर्ज की गई।

तालिका 2.7: कर राजस्व के संघटक (सकल)

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	कुल सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर	अन्य
1985-2005	120442	21979	17355	31550	44960	2006	2593
VIII वीं योजना (1992-1997)	96533	13567	12575	30273	37014	465	2639
IX वीं योजना (1997-2002)	166087	29508	25353	43418	60838	2317	4653
2003-04	254348	63562	41387	48629	90774	7891	2105
2004-05	304958	82680	49268 [#]	57611	99125	14200	2074
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)							
1985-2005	12.69	19.19	17.38	9.12	11.10	*	5.72
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.89	21.71	24.72	18.00	10.45	*	-2.50
IX वीं योजना (1997-2002)	9.00	17.15	18.58	1.61	11.41	19.19	-30.18
2003-04	17.61	37.66	12.26	8.42	10.28	91.44	8.28
2004-05	19.90	30.08	19.04	18.47	9.20	79.95	-1.47

*सेवा कर 1994-95 में लागू किया गया था।

[#]इसमें सं.रा.क्षे. से संबंधित आ.क. के आंकड़े शामिल हैं।

2.11 आर्थिक सुधारों के बाद के वर्षों में करों के ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे। अधिक व्यापक क्षेत्र, विस्तृत आधार तथा संतुलित दरें, नई कर शासन प्रणाली की आधारशिला बन गये। पदार्थ आधारित कराधान से कम विकारपूर्ण आय आधारित कराधान की ओर भी परिवर्तन था। इस परिवर्तन से कर अनुपालना, कर उत्प्लावकता तथा अन्ततः कर-स.घ.उ. अनुपात में सुधार होना अपेक्षित था। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान कर प्राप्तियों की वृद्धि दर 15.89 प्रतिशत की औसत से बढ़ी थी जो 1985-2005 के दौरान की प्रवृत्ति वृद्धि से तीन प्रतिशतता अंको से ऊपर थी। आय, निगम कर तथा सीमा शुल्क में बढ़ी हुई वृद्धि का इस बढ़ोतरी में योगदान था। तथापि IX वीं योजना (1997-2002) के दौरान इन तीनों करों/शुल्कों की औसत वार्षिक वृद्धि की दर में, गिरावट आई थी। जबकि सीमा शुल्कों तथा उत्पाद शुल्कों में वृद्धि की दर में, शुल्कों को घटाये जाने तथा मोडवेट/सेनवेट को लागू किए जाने को ध्यान में रखते हुये, गिरावट अपेक्षित थी, इसकी दूसरे करों में वृद्धि की दर में बढ़ोतरी से सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति नहीं हो पाई थी। यहां तक कि 1994-95 में सेवा कर के लागू किये जाने, जिससे अतिरिक्त कर प्राप्त हुआ था, से भी इस अवधि के दौरान वृद्धि दर को कायम नहीं रखा जा सका था। यदि 1985-86 में मुख्य करों से सकल संग्रहण 100 पर स्थिर होता है तो 2004-05 में निगम करों से संग्रहण सूची 2885 होगी, आय कर से 1962, उत्पाद शुल्क से 765 तथा सीमा शुल्क केवल 605 होगा। विशेष तौर पर निगम तथा आयकर के संग्रहणों में तेजी सुधार अवधि के पश्चात् आयी।

2.12 2004-05 में निगम तथा सेवा कर से कर प्राप्तियाँ विशेषकर उत्प्लावक थी जो सकल संग्रहणों से 19.9 प्रतिशत की वृद्धि के प्रति क्रमशः 30 तथा 80 प्रतिशत बढ़ी। सेवा कर में वृद्धि, दरों में परिवर्तन तथा सेवाओं के आच्छादन में वृद्धि दोनों के कारण

थी। आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के लिए वृद्धि दर में भी त्वरण पाया गया था।

कर उत्प्लावकता

2.13 तीन मुख्य घटक कर आधार, कर दर तथा कर अनुपालन, जो कर संग्रहण पर प्रभाव डालते हैं, में कर व्यवस्था की प्रभावकारिता भी सम्मिलित है। यद्यपि विभिन्न प्रत्यक्ष करों के लिए कानूनी आधार भिन्न होते हैं तथा छूट एवं दूसरी रियायतों के कारण प्रभावकारी ढंग से निर्धारित करने में अत्यन्त जटिल होते हैं, इसलिए स.घ.उ. को कर आधार का उत्तम द्योतक माना जाता है। जबकि कर अनुपालन का कोई परिभाषित मापदण्ड नहीं है, यह कर व्यवस्था की प्रभावकारिता पर निर्भर करता है तथा तीन सम्बद्ध परोक्षी घटक-कर निर्धारण की गति, निर्धारित बकायों की वसूली और कर निर्धारण के लिए संभावित करदाताओं का पंजीयन मुख्य हैं। कर अनुपालन, स्वैच्छिक तथा बाधित दोनों होते हैं। यद्यपि स्वैच्छिक अनुपालन प्रभावी एवं निवारक जुर्मानों के अतिरिक्त प्रवर्तन मशीनरी की प्रभावकारिता पर भी निर्भर है। मध्यावधि में आय एवं निगम करों के लिए कर दरें साधारणतः स्थिर बनी हैं।

2.14 उत्प्लावकता गुणांक, स.घ.उ. या कर आधार में एक प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद कर राजस्व में प्रतिशतता बढ़ोतरी को दर्शाता है। आधार के अतिरिक्त, उच्चतर उत्प्लावकता, कर की दरों तथा इसकी व्याप्ति में परिवर्तन के कारण भी हो सकता है। जबकि एक से अधिक की उत्प्लावकता अपेक्षित है, एक से कम की उत्प्लावकता यह दर्शाती है कि संबंधित कर संग्रहण, आधार के परिवर्तन के साथ गति नहीं पकड़ा है। तालिका 2.8 मुख्य करों की, निकटतम दो वर्षों की उत्प्लावकता के साथ 1985-2005 के दौरान तथा VIII वीं एवं IX वीं योजना अवधियों के दौरान की उत्प्लावकता को भी दर्शाती है।

तालिका 2.8 : मुख्य करों की उत्प्लावकता

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमाशुल्क	उत्पाद शुल्क
1985-2005	0.914	1.381	1.251	0.657	0.799
VIII वीं योजना (1992-1997)	0.961	1.313	1.495	1.088	0.632
IX वीं योजना (1997-2002)	0.863	1.644	1.781	0.154	1.094
2003-04	1.463	3.128	1.018	0.699	0.854
2004-05	1.589	2.403	1.521	1.475	0.735

2.15 इस प्रकार उत्प्लावकता गुणांक, करों के आर-पार तथा योजनाओं से उभर घटता बढ़ता रहा है। जबकि महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष करों अर्थात् निगम कर तथा आयकर की समग्र उत्प्लावकता एक से बढ़ गया था। दो महत्वपूर्ण उत्पाद कर अर्थात् सीमा एवं उत्पाद शुल्कों में यह संकेतक रूप से एक से कम था। जबकि यह संघ करों की संग्रहण

संरचना में परिवर्तन के कारण आंशिक रूप से था, 1985-2005 के दौरान सकल कर संग्रहणों की उत्प्लावकता भी एक से कम थी। तथापि, वर्तमान वर्ष में उत्पाद शुल्कों के अतिरिक्त अन्य तीन मुख्य करों में एक से अधिक इनकी वृद्धि दरों में बड़ी उत्प्लावकता देखी गई थी क्योंकि उनकी वृद्धि दरों में स.घ.उ. की दरों से महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई थी।

कर-स.घ.उ. अनुपात

2.16 सरकार के संसाधन संग्रहण प्रयासों की पर्याप्तता एवं प्रभावकारिता का तथा इसके कर सम्भाव्य की उगाही की सीमा का अन्य संकेतक कर-स.घ.उ. का अनुपात है। तालिका 2.9 योजनाओं के ऊपर इस अनुपात तथा एक वार्षिक आधार पर सर्वाधिक निकटतम दो वर्षों की प्रवृत्ति को दर्शाती है। यद्यपि कर में विचलन की औसत वार्षिक दर-सं.घ.उ. अनुपात (-) 1.06 प्रतिशत था, वर्तमान वर्ष में अनुपात 0.61 प्रतिशतता अंको तक दीर्घावधि प्रवृत्ति से बढ़ गया। कर-सं.घ.उ. अनुपात 2001-02 में 8.15 प्रतिशत के निम्न स्तर तक गिर गया था तथा चालू वर्ष में वसूली के बावजूद यह अभी भी 10 प्रतिशत से नीचे था जो कि 1985-1993 के दौरान चालू था। यदि स.घ.उ. तथा सकल कर प्राप्तियां 1985-86 में 100 पर स्थिर था, तो कर प्राप्तियों का सूचकांक 2004-05 में 1064 पर, 1117 के स.घ.उ. सूचकांक से कम था।


2.17 स.घ.उ. के सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क संग्रहण के अनुपात में गिरावट से इस अवधि में कर-स.घ.उ. अनुपात में समग्र गिरावट आई। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क संग्रहणों के लिए स.घ.उ. अनुपात VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 2.92 और 3.58 प्रतिशत के औसत से 2004-05 में क्रमशः 1.86 तथा 3.19 प्रतिशत के औसत तक गिर गया था। उसकी उ.घ.उ. के सापेक्षिक भाग में एक ऋणात्मक विचलन से सकल कर संग्रहणों में एक समग्र ऋणात्मक विचलन हुआ। सापेक्षिक स.घ.उ. में निगम तथा आयकर संग्रहणों में प्रगति को दर्शाती है तथा एक घनात्मक विचलन दर थी।

तालिका 2.9: मुख्य करों का कर/स.घ.उ.अनुपात

(प्रतिशत)

अवधि	सकल कर राजस्व	निगम कर	आयकर	सीमा शुल्क	उत्पाद शुल्क	सेवा कर
1985-2005	9.21	1.68	1.33	2.41	3.44	0.15
VIII वीं योजना (1992-1997)	9.32	1.31	1.21	2.92	3.58	0.04
IX वीं योजना (1997-2002)	8.68	1.54	1.32	2.27	3.18	0.12
2003-04	9.22	2.30	1.50	1.76	3.29	0.29
2004-05	9.82	2.66	1.59	1.86	3.19	0.46
हिस्सों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1985-2005	-1.06	4.65	3.06	-4.19	-2.45	*

* वार्षिक विचलन दर परिकलित नहीं की गई थी क्योंकि सेवाकर 1994-95 में लागू किया गया था।



गैर-कर राजस्व

2.18 सरकार के गैर-कर राजस्व के दो घटक इसके राजकीय क्रियाकलापों जैसे न्यायपालिका, पुलिस, मुद्रा एवं सिक्के आदि से आय तथा वह जो या तो मध्यस्थता वापसी अथवा लाभांश अथवा उपभोगकर्ता प्रभारों जैसे रेलवे, डाक और विभागीय उपक्रमों के रूप में इसकी परिसम्पत्तियों/निवेशों से उत्पन्न हुआ हो, से संघटित समझा जा सकता है। जबकि राजकीय क्रियाकलापों, वित्तीय मध्यस्थता एवं निवेशों से राजस्व वास्तविक उगाही के रूप में होते हैं, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं से आय सकल आधार पर होती है तथा उनका सेवा हस्तान्तरण की प्रचालन लागत के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता है। आगे, लाभांश आय में भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष भी शामिल होता है तथा यह निवेश सम्बद्ध होने से कहीं सलाभ सिक्का ढलाई¹ से अधिक सम्बन्धित है। राशि, जो सरकार की आय/राजस्व के रूप में वास्तव में हिसाब में ली जानी चाहिए, के सम्बन्ध में गैर-कर राजस्व की सीमाओं के होते हुए, इस साधन से संभूतियों का संघ के वर्तमान राजस्व का लगभग 46 प्रतिशत अंशदान था। 1985-2005 के दौरान एकत्रित गैर-कर राजस्व सकल आधार पर 13.32 प्रतिशत की औसत दर से बढ़ा था। (तालिका 2.10)।

2.19 लाभांशों एवं लाभों से गैर कर राजस्व (भारतीय रिजर्व बैंक से अंतरित अधिशेष को शामिल करके), 1985-2005 के दौरान 24.95 प्रतिशत की एक औसत दर से बढ़ता हुआ तीव्रतम घटक था। यद्यपि पिछले दो वर्षों में, इस स्रोत से राजस्व वास्तविक रूप में स्थिर था। ये गिरावट भारतीय रिजर्व बैंक से 2002-03 में 10320 करोड़ रु. से 2003-04 में 8834 करोड़ रु. और आगे 2004-05 में 5400 करोड़ रु. का अधिशेष अंतरित करने के कारण थी। चालू वर्ष में ब्याज प्राप्तियों में भी गिरावट देखी गयी थी। यद्यपि चालू वर्ष में आर्थिक सेवाओं से प्राप्तियों में 10.90 प्रतिशत वृद्धि हुई थी,

¹ सलाभ सिक्के ढलाई मुद्रापूर्ति में गैर मुद्रा स्फीति वृद्धि है।

सामाजिक सेवाओं से प्राप्तियों में सामान्य वृद्धि तथा ब्याज प्राप्तियों में ऋणात्मक वृद्धि के परिणामस्वरूप 2004-05 में गैर-कर प्राप्तियों में गिरावट आई थी।

तालिका 2.10: गैर-कर राजस्व - प्रवृत्तियां

(करोड़ रूपयों में)

अवधि	कुल गैर-कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	राजकीय तथा अन्य कार्य
1985-2005	75444	21661	7727	479	38774	6804
VIII वीं योजना (1992-1997)	61459	16791	4969	606	33100	5993
IX वीं योजना (1997-2002)	115933	34526	11555	572	60257	9023
2003-04	150518	46645	21160	449	68156	14108
2004-05	150508	36412	22939	451	75588	15118
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1985-2005	13.32	14.05	24.95	3.13	12.03	11.23
VIII वीं योजना (1992-1997)	14.66	14.32	30.01	10.93	15.54	2.87
IX वीं योजना (1997-2002)	8.00	13.00	21.19	-21.24	2.25	13.16
2003-04	7.76	4.34	-0.33	5.90	12.35	11.44
2004-05	-0.01	-21.94	8.41	0.45	10.90	7.16

2.20 गैर-कर राजस्व के विभिन्न घटकों के सापेक्षिक अंशों में 1985-2005 के दौरान महत्वपूर्ण परिवर्तन देखे गये (तालिका 2.11)। पिछले दो वर्षों में अन्तः वर्ष में भिन्नताएं तथा सामान्य वृद्धि होने के बावजूद VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8 प्रतिशत की औसत दर से 2004-05 के दौरान लगभग 15 प्रतिशत तक लाभों तथा लाभांशों के भाग में वृद्धि हुई और 1985-2005 के दौरान धनात्मक औसतन वार्षिक विचलन दर 10.26 प्रतिशत थी। ब्याज प्राप्तियों में भी धनात्मक विचलन दर थी यद्यपि चालू वर्ष में 1985-2005 के दौरान समग्र गैर कर प्राप्तियों का भाग प्रवृत्ति दर से 24.19 प्रतिशत नीच पाया गया था। चालू वर्ष में दिए गए ऋणों तथा ऋणों की अदला-बदली पर नवीनतम ब्याज दरों से अवत्तरण देखा गया। सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं और सरकार के सार्वभौमिक तथा अन्य सामान्य कार्यकलापों से गैर-कर प्राप्तियों के कारण 1985-2005 के दौरान ऋणात्मक विचलन दर थी। आर्थिक सेवाओं के लिए इस गिरावट का सापेक्षिक भाग दूरसंचार से राजस्व का विराम था क्योंकि विभागीय उपक्रमों का निगमीकरण हो गया था। उनका राजस्व जो पहले समेकित निधि का हिस्सा होता था, नये गठित निगम का राजस्व बन गया था। रेलवे, आर्थिक सेवाओं से राजस्व का लगभग दो तिहाई का अंशदान करता है। गैर-कर राजस्व में सामाजिक सेवाओं का समग्र रूप से अंशदान नगण्य ही नहीं था बल्कि उत्तरोत्तर गिर रहा था।

तालिका 2.11: गैर कर राजस्व घटकों का सापेक्षिक हिस्सा

(प्रतिशत)

	कुल गैर कर राजस्व	ब्याज प्राप्तियां	लाभांश तथा लाभ	सामाजिक सेवाएं	आर्थिक सेवाएं	राजकीय एवं अन्य कार्य
1985-2005	100.00	28.71	10.24	0.63	51.39	9.02
VIIIवीं योजना (1992-1997)	100.00	27.32	8.09	0.99	53.86	9.75
IXवीं योजना(1997-2002)	100.00	29.78	9.97	0.49	51.98	7.78
2003-04	100.00	30.99	14.06	0.30	45.28	9.37
2004-05	100.00	24.19	15.24	0.30	50.22	10.04
हिस्सों में विचलन की औसत वार्षिक दर						
1985-2005		0.64	10.26	-8.99	-1.14	-1.84

गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां

2.21 गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तिओं में विविध पूंजीगत प्राप्तियां (विनिवेश) तथा कर्जों एवं अग्रिमों की वसूली शामिल हैं। तालिका 2.12 विनिवेश से गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तिओं तथा संघ सरकार द्वारा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र सरकारों, विदेशी सरकारों, सरकारी निगमों, गैर सरकारी संस्थानों तथा सरकारी कर्मचारियों को दिये गये कर्जों तथा अग्रिमों की वसूली के विवरण को दर्शाती हैं। यह तालिका संघ सरकार के कर्जों तथा अग्रिमों की वास्तविक वसूली के साथ-साथ विनिवेश से प्राप्तिओं के बजट अनुमान तथा वास्तविक वसूली को भी दर्शाती है। 2002-05 के दौरान ऋणों की वसूली का बजट लक्ष्यों से महत्वपूर्ण रूप से अधिक होना मुख्यतः संघ सरकार द्वारा राज्यों को उनके उच्च लागत ऋण की वापसी सुगम बनाने के लिए घोषित ऋण समाप्त योजना के कार्यान्वयन के कारण था।

तालिका 2.12: विनिवेश से वसूली एवं कर्जों की वसूली

वर्ष	विनिवेश			कर्जों की वसूली		
	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली	बजट अनुमान	वास्तविक वसूली	प्रतिशत वसूली
	(करोड़ रूपयों में)			(करोड़ रूपयों में)		
1991-92	2500	3038	121.52	6778	7001	103.29
1996-97	5000	380	7.60	8184	8696	106.26
1998-99	5000	5369	107.38	11560	13189	114.09
1999-00	10000	1723	17.23	13337	12551	94.11
2000-01	10000	1870	18.70	15839	16799	106.06
2001-02	12000	3028	25.23	17488	20733	118.56
2002-03	12000	3149	26.24	20080	38745	192.95
2003-04	13200	16632	126.00	20523	69827	340.24
2004-05	4000	4363	109.10	29625	64240	216.84

2.22 अन्य पूंजीगत प्राप्तिओं में बाजार उधार और लोक लेखे में संभूतियां सम्मिलित होती हैं, जो प्रकृति से कर्जों का सृजन करने वाली हैं और जिनकी चर्चा आगे के अध्यायों में की गयी हैं।

अध्याय 3

संसाधनों का उपयोग : व्यय

3.1 संघ सरकार अपने संप्रभु क्रियाकलापों का निष्पादन, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के वितरण के अपने मौजूदा नेटवर्क के रखरखाव, पूंजीगत व्यय और निवेशों के माध्यम से इन सेवाओं के नेटवर्क के विस्तार और ऋण सेवा की बाध्यताओं के निर्वहन के लिए संसाधन जुटाती है। सरकार ने 2004-05 के दौरान जुटाए अपने संसाधनों से संवितरण के लिए कुल 1664,333 करोड़ रु. का उपयोग किया था जैसा कि तालिका 3.1 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.1 : संसाधनों का उपयोग

(करोड़ रुपयों में)

I	उपलब्ध संसाधन		1664,333
II	संसाधनों का उपयोग		1584,585
	क.	ऋणों की वापसी	430,963
		आन्तरिक ऋण	549,167
		बाह्य ऋण	7,102
	ख.	लोक लेखे की देयताओं को चुकाना	400,388
		अल्प बचत तथा भविष्य निधि	263,293
		आरक्षित निधि	23,374
		जमा तथा अग्रिम	103,993
		अन्य	9,728
	ग.	वास्तविक व्यय	549,333
		राजस्व व्यय	455,571
		पूंजीगत व्यय	53,654
		कर्ज और अग्रिम	40,108
	घ.	करो में राज्यों का अंश	78,595
III	रोकड़ अन्तशेष		79,748*

* बाजार स्थायीकरण योजना के अन्तर्गत राशियों को मिलाकर

3.2 ऋण की वापसी तथा लोक लेखे की देयताओं को चुकाने (956,657 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (130,958 करोड़ रु.) और अपनी सकल कर प्राप्ति के अधिदेशित अंश को राज्यों के सुपुर्द करने (78,595 करोड़ रु.) में इसके कुल संसाधनों का लगभग 78 प्रतिशत चला गया। अतः सरकार के पास चालू सेवाओं पर खर्च के लिए कुल संग्रहण का केवल 22 प्रतिशत ही शेष बचा था।

कुल संवितरण


3.3 संघ सरकार के समस्त संवितरण के चार मुख्य घटक हैं: राज्यों को सहायता अनुदान सहित वास्तविक खर्च; राज्यों को संघ करों की आय में से अनिवार्य अन्तरण; ऋण का पुनर्भुगतान तथा लोक लेखे में से संवितरण। इन व्यय वर्गों के आर-पार सापेक्ष गतियों को तालिका 3.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.2: कुल संवितरण के घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे में संवितरण	कुल संवितरण	स.घ.उ. (बाजार मूल्य)
1985-2005	255895	31835	211597	136557	635884	1307525
VIII वीं योजना (1992-1997)	203539	26391	126525	77261	433716	1035315
IX वीं योजना (1997-2002)	374502	44622	310011	207404	936539	1914401
2003-04	506817	65766	430963	391783	1395329	2760025
2004-05	549333	78595	556269	400388	1584585	3105512
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत में)						
1985-2005	12.22	12.94	9.73	17.17	11.92	13.89
VIII वीं योजना (1992-1997)	11.87	14.41	20.90	14.32	14.84	16.54
IX वीं योजना (1997-2002)	8.86	11.05	-2.34	22.05	7.00	10.43
2003-04	6.40	17.18	26.87	44.98	22.15	12.04
2004-05	8.39	19.51	29.08	2.20	13.56	12.52

3.4 केन्द्र सरकार का कुल संवितरण, VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान औसतन 433,716 करोड़ रु. से बढ़कर चालू वर्ष में, 1584,585 करोड़ रु. हो गया था। तथापि 1985-2005 के दौरान औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि 11.92 प्रतिशत की दर, स.घ.उ. की वृद्धि दर, जो कि उसी अवधि में औसतन 13.89 प्रतिशत थी, से कम थी। VIIIवीं और IXवीं योजना के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि की दर भी, स.घ.उ. की वृद्धि दर से कम थी। तथापि, सबसे हाल के दो वर्षों में इस प्रवृत्ति में पलटाव देखा गया। कुल संवितरण की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि से बढ़ गयी। कुल संवितरण के तीनों घटकों अर्थात् वास्तविक खर्च, संघ करों में राज्यों के हिस्से तथा ऋण का पुनर्भुगतान की वृद्धि दरों की प्रवृत्ति, स.घ.उ. की वृद्धि से कम थी। तथापि, लोक लेखाओं में से संवितरण की वृद्धि प्रवृत्ति स.घ.उ. की वृद्धि से उच्चतर थी। यदि 1985-86 में सभी चार संघटकों का कुल संवितरण 100 पर स्थित हों, तो लोक लेखे में से संवितरण के 2217 के मूल्य की तुलना में ऋण के पुनर्भुगतान के संघटक के सूचकांक का मूल्य 414 होगा। अन्य दो घटकों, वास्तविक व्यय तथा करों में राज्यों की हिस्सेदारी के मूल्य क्रमशः 828 और 1052 होंगे (ग्राफ 1)।



3.5 कुल संवितरण के चार घटकों के आपेक्षिक अंश में वर्षानुवर्ष आधार पर और योजना अवधियों में बहुत उतार-चढ़ाव दिखाई दिया (तालिका 3.3)। वास्तविक व्यय (वर्तमान प्रचालनों पर व्यय को शामिल कर राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय और कर्जों तथा पेशगियों सहित दर्शाते हुए) में इसके सापेक्ष अंश में 1985-2005 के दौरान घनात्मक दर से विचलन हुआ। तथापि, वास्तविक व्यय का अंश VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.94 प्रतिशत के अपने शिखर तक पहुँच गया और उसके बाद से अन्य घटकों की अपेक्षा मन्दन प्रवृत्ति दर्शाई। चालू वर्ष में इसका अंश 34.67 प्रतिशत तक गिर गया। यद्यपि ऋण की पुनः अदायगी पर व्यय के सापेक्ष अंश की दीर्घावधि प्रवृत्ति ऋणात्मक थी, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान, यह लगभग इसी प्रवृत्ति की ओर अभिमुख हो गई थी। 1985-2005 के दौरान लोक लेखे से संवितरण ने 21.48 प्रतिशत की दीर्घावधि प्रवृत्ति दर्शाई। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान इस घटक का सापेक्ष अंश प्रारम्भ में घटकर कुल संवितरणों का 17.81 प्रतिशत हो गया था लेकिन बाद में यह IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 22.15 प्रतिशत की वार्षिक औसत तक बढ़ कर, एन एस एस एफ (NSSF) के सृजन तथा अल्पबचतों के शेषों के दिनांकित प्रतिभूतियों में परिवर्तन के परिणामस्वरूप 1999-2000 में 33.76 प्रतिशत के शिखर तक पहुँच गया। चालू वर्ष 2004-05 में लोक लेखे में संवितरण का अंश 25.27 प्रतिशत था। संवितरण के इस घटक की 4.70 प्रतिशत की महत्वपूर्ण सकारात्मक परिवर्तन दर थी।

तालिका 3.3: संवितरण घटक: सापेक्ष अंश

(प्रतिशत)

अवधि	वास्तविक व्यय	करों में राज्यों का अंश	ऋण की पुनः अदायगी	लोक लेखे से संवितरण
1985-205	40.24	5.01	33.28	21.48
VIIIवीं योजना (1992-1997)	46.94	6.08	29.17	17.81
IXवीं योजना (1997-2002)	39.99	4.76	33.10	22.15
2003-04	36.32	4.71	30.89	28.08
2004-05	34.67	4.96	35.11	25.27
अपने सापेक्ष अंशों में औसत वार्षिक परिवर्तन दर				
1985-2005	0.27	0.91	-1.95	4.70

व्यय: मुख्य समष्टि

3.6 तालिका 3.4 योजना अवधियों के दौरान संघ सरकार के वास्तविक व्यय इनमें (ऋण की पुनः अदायगी तथा लोक लेखे में से संवितरण शामिल नहीं हैं जिनकी चर्चा राजकोषीय देयताओं के अध्याय में अलग की गई है) तथा इसके विभिन्न घटकों की अवलोकित प्रवृत्ति वृद्धि दरों का सार प्रस्तुत करती है।


तालिका 3.4: व्यय घटक

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व व्यय	पूँजीगत व्यय	ऋण और अग्रिम	कुल व्यय	राजस्व व्यय/कुल व्यय	अन्य/कुल व्यय
1985-2005	208664	21546	25686	255895	81.54	18.46
VIIIवीं योजना (1992-1997)	160541	19550	23447	203539	78.88	21.12
IXवीं योजना (1997-2002)	313109	26234	35159	374502	83.61	16.39
2003-04	440086	35401	31330	506817	86.83	13.17
2004-05	455571	53654	40108	549333	82.93	17.07
औसत वार्षिक वृद्धि दर						
1985-2005	13.74	7.79	6.18	12.22	1.35	-4.70
VIIIवीं योजना (1992-1997)	14.64	-8.44	11.91	11.87	विचलन की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)	
IXवीं योजना (1997-2002)	10.40	9.22	-3.42	8.86		
2003-04	7.45	16.08	-13.51	6.40		
2004-05	3.52	51.56	28.02	8.39		

3.7 परिशिष्ट-III-क 1985-1986 से पिछले 20 वर्षों के दौरान वास्तविक व्यय और उसके तीन उप-घटकों के आंकड़ों को प्रस्तुत करता है। राजस्व व्यय, कुल व्यय का प्रमुख घटक बना रहा तथा इसका अंश, VIIIवीं योजना के दौरान औसत 78.88 प्रतिशत से बढ़कर 2004-05 में 82.93 प्रतिशत हो गया। 1985-2005 के दौरान इसके सापेक्ष अंश की प्रतिवर्ष 1.36 प्रतिशत की धनात्मक परिवर्तन दर थी। इस की तुलना में पूँजीगत व्यय तथा कर्जों और पेशगियों के सापेक्ष अंश, VIIIवीं योजना के दौरान 21.12 प्रतिशत के औसत से घटकर 2004-05 में 17.07 प्रतिशत रह गये। 1985-2005 के दौरान, संघ सरकार के राजस्व व्यय (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) 13.74 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ गये। किन्तु इस अवधि के दौरान, पूँजीगत व्यय और कर्ज एवं पेशगियां क्रमशः 7.79 और 6.18 प्रतिशत की निम्नतर दर से बढ़ी। वास्तविक व्यय की औसत वार्षिक प्रवृत्ति वृद्धि, जिसमें ये तीनों घटक शामिल थे, 12.22 प्रतिशत थी। VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान पूँजीगत व्यय में एक संकुचन देखा गया तथा एक नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई। IXवीं योजना (1997-2002) के

दौरान औसत वार्षिक वृद्धि 9.22 प्रतिशत तक सुधर गई। तथापि पिछले दो वर्षों में पूँजीगत व्यय में एक सुधार था। किंतु ऋणों और अग्रिमों ने IXवीं योजना के दौरान नकारात्मक हुई वृद्धि दर तथा हाल के दो वर्षों में नकारात्मक तथा संकारात्मक वृद्धि के बीच विचलन वाली एक अलग ही तस्वीर दिखाई।



व्यय: योजनागत और योजनेतर

3.8 वित्त लेखाओं में व्यय वितरण को आगे योजनागत और योजनेतर में बाँटा गया है। योजनागत व्यय सामान्यतः नई परियोजनाओं अथवा योजनाओं पर सीमान्त विकास व्यय से संबंधित होता है और इसमें राजस्व तथा पूँजीगत दोनों व्यय शामिल होते हैं। दूसरी तरफ, योजनेतर व्यय सामान्यतः सेवाओं के पहले से प्राप्त किए गए स्तरों को बनाए रखने के लिए उपयोग होता है। तथापि, योजनागत और योजनेतर व्यय, दोनों में राजस्व व्यय के सापेक्ष पूँजीगत व्यय में अधिक वृद्धि को गुणात्मक रूप से अधिक वांछनीय माना जाता है क्योंकि यह सरकार द्वारा सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना नैटवर्क के विस्तार और पूँजी निर्माण को जन्म देती है। तालिका 3.5 संघ सरकार के योजनागत एवं योजनेतर व्यय की वृद्धि तथा गठन को प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.5: व्यय के घटक-योजनागत एवं योजनेतर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	योजनागत				योजनेतर			
	कुल	राजस्व	पूँजीगत	ऋण	कुल	राजस्व	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम
1985-2005	59231	34163	9533	15535	196665	174501	12014	10150
VIIIवीं योजना (1992-1997)	48190	26749	8380	13061	155348	133792	11170	10386
IXवीं योजना (1997-2002)	78595	47090	10132	21373	295907	266019	16102	13786
2003-04	122281	78638	16913	26730	384536	361448	18488	4600
2004-05	132932*	87494	19372	26066	416401	368077	34282	14042

औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)								
1985-2005	10.50	14.16	5.01	8.01	12.81	13.65	11.01	2.34
VIIIवीं योजना (1992-1997)	7.53	11.48	-4.45	7.28	13.24	15.27	-11.36	18.27
IXवीं योजना (1997-2002)	13.49	14.50	4.56	15.71	7.63	9.69	13.12	-29.30
2003-04	9.70	9.88	15.50	5.83	5.40	6.93	16.61	-58.04
2004-05	8.71	11.26	14.54	-2.48	8.29	1.83	85.43	205.24

* वित्त लेखों में पूंजीगत व्यय में एन.एस.एस.एफ. को जारी प्रतिभूतियों का मोघन शामिल नहीं है। इसका परिणाम राजकोषीय घाटों में परिवर्तन में भी होता है जिसकी व्याख्या तालिका 1.3 में की गई है।

3.9 1985-2005 के दौरान कुल व्यय में योजनागत व्यय का अंश लगभग स्थिर था। 1985-2005 के दौरान कुल व्यय के 23.15 प्रतिशत के दीर्घावधि औसत की तुलना में इसके अंश में 2004-05 में 24.20 प्रतिशत तक केवल थोड़ा सा सुधार था। तथापि यह स्थिर प्रतीतमान अंश, कुल योजना तथा इसके उप-घटक स्तरों पर अन्तःवर्ष और अन्तःयोजना परिवर्तनों को छिपाता है। योजनागत व्यय की वृद्धि दर ने VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 7.53 प्रतिशत प्रतिवर्ष की औसत से 13.49 प्रतिशत तक बढ़ कर, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान लगभग छः प्रतिशतता बिन्दुओं की गतिवृद्धि दर्शाई है। यह गतिवृद्धि इसके तीनों उप-घटकों के आर-पार थी। यद्यपि योजनेतर व्यय की दीर्घावधि प्रवृत्ति वृद्धि अपेक्षाकृत अधिक थी, IXवीं योजना के दौरान और Xवीं योजना के पहले दो वर्षों में वृद्धि की दरों में मन्दन देखा गया था। पिछले तीन वर्षों में, जो Xवीं योजना के पहले तीन वर्षों (2002-05) के साथ पड़ने हैं, वृद्धि दरों में, विशेष रूप से उप घटकों के स्तर पर, व्यापक उतार-चढ़ाव हुए थे। किन्तु योजना व योजनेतर व्यय, दोनों की समग्र प्रवृत्ति वृद्धि, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर से कम थी। योजना व्यय की उत्प्लावकता, 1985-2005 के दौरान स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के साथ क्रमशः 0.756 तथा 0.811 थी। हालांकि योजनेतर व्यय के मामले में उत्प्लावकता गुणांक काफी अधिक थे फिर भी वे एक से कम थे (योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति हेतु क्रमशः 0.922 तथा 0.990 थी)

3.10 योजनागत और योजनेतर व्यय दोनों के लिए राजस्व घटक न केवल सबसे प्रधान रहा अपितु 1985-2004 के दौरान यह सापेक्ष रूप से सबसे अधिक उत्प्लावक भी था। योजनागत व्यय में राजस्व घटक का अंश, जो 1985-2005 के दौरान औसतन 57.68 प्रतिशत था, बढ़कर 2004-05 में 65.82 प्रतिशत तक पहुँच गया। योजनेतर व्यय में उसका अंश 1985-2005 के दौरान 88.73 प्रतिशत के प्रवृत्ति औसत से बढ़कर 2003-2004 में 94 प्रतिशत पर पहुँच गया, हालांकि चालू वर्ष में यह प्रवृत्ति स्तर पर संतुलित हो गया। पूंजीगत प्रकृति के योजनागत व्यय और योजनागत ऋणों तथा अग्रिमों ने इसके राजस्व घटक की अपेक्षा एक बहुत मन्द प्रवृत्ति की वृद्धि दर्ज की थी, तथापि योजनागत पूंजीगत व्यय ने 2003-04 और 2004-05 में काफी गतिवृद्धि हासिल की।


व्यय की उत्प्लावकता

3.11 नाममात्र व्यय में वृद्धि या इसके परम परिमाण (मात्रा) से अधिक महत्वपूर्ण है, आधार के सापेक्ष इसके विभिन्न संघटकों की उत्प्लावकता। नीचे दी गई तालिका 3.6 राजस्व प्राप्तियों तथा स.घ.उ. के सापेक्ष, व्यय के विभिन्न संघटकों की उत्प्लावकता दर्शाती है। स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियों, दोनों के ही सम्बन्ध में कुल व्यय की तुलना में राजस्व व्यय की अपेक्षाकृत उच्च उत्प्लावकता इंगित करती थी कि कुल व्यय की वृद्धि की दर में संतुलन मुख्यतः पूंजीगत व्यय और/अथवा ऋणों और अग्रिमों का घटा कर हासिल किया गया था। राजस्व व्यय के लिए एक के निकट रही उत्प्लावकता की तुलना में स.घ.उ. और राजस्व प्राप्ति के साथ पूंजीगत व्यय की उत्प्लावकता 0.5 और 0.6 के बीच रही है। इसी प्रकार, स.घ.उ. और राजस्व प्राप्तियां, दोनों के संबंध में योजनेतर व्यय की उत्प्लावकता, योजनागत व्यय की उत्प्लावकता की अपेक्षा अधिक रही है।

तालिका 3.6: व्यय की उत्प्लावकता-(1985-2005)

व्यय के प्रकार	स.घ.उ. के साथ	राजस्व प्राप्तियों के साथ
योजनागत व्यय	0.756	0.811
योजनेतर व्यय	0.922	0.990
राजस्व व्यय	0.989	1.062
पूँजीगत व्यय	0.558	0.599
कर्ज एवं अग्रिम	0.445	0.478
कुल व्यय	0.880	0.944

3.12 स.घ.उ. के सम्बन्ध में कुल व्यय की निम्नतर उत्प्लावकता, स.घ.उ. से कुल व्यय के अनुपात में गिरावट में भी प्रतिबिंबित होती है। समग्र व्यय से स.घ.उ. का अनुपात 1986-87 में 24.4 प्रतिशत के शिखर से 2004-05 में 17.69 प्रतिशत तक गिर गया। राजस्व तथा कुल व्यय के साथ कुल व्यय-स.घ.उ. अनुपात के परिशुद्ध आंकड़े नीचे ग्राफ में दर्शाए गए हैं।



आर्थिक सहायताओं का प्रबन्धन

3.13 किसी भी कल्याणकारी राज्य में, समाज के सुविधावंचित वर्गों को आर्थिक सहायताएं/राजकीय सहायताएं प्रदान करना तथा उत्कर्ष पदार्थों¹ के लिए भुगतान देना असामान्य नहीं है। यदि आर्थिक सहायताओं का प्रभाव वस्तुओं या आगतों की कीमतों को कम करने में होता है, जो बदले में इन वस्तुओं को लक्षित वर्गों के लिए सुगमता से प्राप्य बनाता है या/और उच्चतर उत्पादन को प्रोत्साहित/सुगम करता है, तो ऐसी आर्थिक सहायताएं कल्याण-प्रेरक हो सकती हैं। तालिका 3.7, सरकार द्वारा VIIIवीं और IXवीं योजनाओं के दौरान और पिछले तीन वर्षों में मुख्य मदों पर स्पष्ट रूप से प्रदान की गई आर्थिक सहायताओं का चित्र प्रस्तुत करती है।

तालिका 3.7: संघ सरकार के बजट में स्पष्ट आर्थिक सहायता

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	खाद्य और चीनी	उर्वरक	निर्यात वृद्धि	अन्य*	कुल आर्थिक सहायता	आर्थिक सहायता (क)	आर्थिक सहायता (ख)
औसतन वार्षिक मूल्य							
VIIIवीं योजना (1992-1997)	4976	6088	571	1834	13469	1.32	8.55
IXवीं योजना (1997-2002)	11199	11376	552	2964	26091	1.36	8.33
2002-03	24176	7790	493	11549	44008	1.80	10.74
2003-04	25160	8521	712	10575	44968	1.63	10.22
2004-05	23280	10985	686	9388	44339	1.43	9.73

(क) स.घ.उ. की प्रतिशतता के रूप में

(ख) राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में

* अन्यो में पेट्रोलियम आर्थिक सहायता, ब्याज आर्थिक सहायता, विनिमय हानि की क्षतिपूर्ति इत्यादि शामिल हैं।

3.14 सम्पूर्ण रूप से, स्पष्ट आर्थिक सहायता VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 13,469 करोड़ रुपये के औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 26,091 करोड़ रु. के औसत तक बढ़ गयी। स.घ.उ. के सापेक्ष, आर्थिक सहायता VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 1.32 प्रतिशत से थोड़ी बढ़कर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसतन 1.36 प्रतिशत तक हो गई। पिछले तीन वर्षों में, संघ सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायताओं की कुल राशि सामान्यतः स्थिर रही थी जिसका परिणाम उनके अंश के, स.घ.उ. और राजस्व की तुलना में, घटते जाने में हुआ है।

¹ प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण एवं आवश्यक वस्तुओं का सार्वजनिक वितरण उत्कर्ष पदार्थों के कुछ उदाहरण हैं।

3.15 स्पष्ट आर्थिक सहायताओं के साथ-साथ संघ सरकार अस्पष्ट आर्थिक सहायताओं की प्रकृति के व्यय को भी वहन करती है। वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों को बजटीय सहायता, सा.क्षे.उ. में इसके निवेश से अपर्याप्त प्राप्तियां तथा सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सामाजिक और आर्थिक सेवाओं से उपभोगकर्ता प्रभारों की अपर्याप्त वसूली, अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायताओं की श्रेणी में आती हैं। नीचे की तालिका 3.8 निवेश व बकाया अग्रिमों पर वापसी को तथा उपभोगकर्ता प्रभारों को सामाजिक व आर्थिक सेवाओं हेतु राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में दर्शाती है।

तालिका 3.8: निवेश और अग्रिम पर वापसी और उपभोगकर्ता से प्रभारों की वसूली (सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में)

(प्रतिशत)

अवधि	ऋण व अग्रिम	निवेश	सामाजिक सेवाएँ	आर्थिक सेवाएँ
1985-2005	12.96	5.72	4.36	53.26
VIIIवीं योजना (1992-1997)	11.23	2.35	9.57	57.22
IXवीं योजना (1997-2002)	14.15	5.30	3.59	55.80
2003-04	15.91	9.84	1.91	45.27
2004-05	14.30	13.29	1.49	51.37
वापसियों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर				
1987-2005	4.36	13.31	-11.78	-1.00

(उपभोगकर्ता प्रभारों की वसूली उनके राजस्व व्यय के प्रतिशत के रूप में सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं से राजस्व प्राप्तियां हैं।)

3.16 सरकारी निवेश पर वापसी की औसत दर (निवेश के प्रारंभिक स्टॉक पर आधारित) VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 2.35 प्रतिशत के औसत से बढ़कर 2004-2005 में 13.29 प्रतिशत हो गई। तथापि यह वापसी, निवेश के खातामूल्य पर आधारित है न कि निवल मूल्य या बाजारी पूँजीकरण पर। इसी अवधि के दौरान ऋणों तथा अग्रिमों पर (आदि शेष) ब्याज की औसत दर भी 11.23 प्रतिशत से बढ़कर 14.30 प्रतिशत हो गई। यद्यपि सरकार की वित्तीय मध्यस्थता पर अप्रत्यक्ष आर्थिक सहायता नहीं थी क्योंकि प्राप्त किए गए ब्याज की औसत दर, लिये गये उधारों पर ब्याज के मूल्य से अधिक थी, सरकार के निवेश पर वापसी की प्रवृत्ति की 5.12 प्रतिशत दर, सरकार द्वारा लिये गये उधारों के ब्याज की दर (8.36 प्रतिशत) से बहुत नीचे थी। तथापि निवेश पर वापसी की दर में काफी गतिवृद्धि देखी गई तथा 1987-2005 के दौरान इसकी 13.31 प्रतिशत धनात्मक परिवर्तन दर थी। वर्तमान स्तरों पर, ये संसाधन जुटाने की लागत से अधिक थीं। सामाजिक और आर्थिक सेवाओं में, वसूली की दर (राजस्व प्राप्तियां/राजस्व व्यय) में मंदन की प्रवृत्ति दिखाई दी। सामाजिक एवं आर्थिक दोनों सेवाओं में, राजस्व प्राप्तियां, जो संचालन खर्चों के सदृश है, राजस्व व्यय से कम थीं। इसलिए इस अवसंरचना के सृजन पर पूँजीगत प्रभार से या संचयी पूँजीगत व्यय से कोई वापसी नहीं हुई थी।

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर व्यय

3.17 क्रियाकलापों के अनुसार, समग्र व्यय को सामान्य सेवाओं (जिसमें प्रशासन और रक्षा शामिल है), सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं से संघटित हुआ माना जा सकता है। बाद की दो श्रेणियां भी विकासात्मक प्रकृति की समझी जाती हैं। नीचे दी गई 3.9 तालिका सामाजिक सेवाओं और उनके विभिन्न घटकों पर व्यय में प्रवृत्तियां दर्शाती है।

तालिका 3.9: सामाजिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूंजीगत) - प्रवृत्तियां एवं संघटन

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	सामाजिक सेवायें	शिक्षा	स्वास्थ्य	जलापूर्ति	सूचना	श्रमिक कल्याण	अन्य
1987-2005	11693	4904	1651	2051	819	558	1710
VIIIवीं योजना (1992-1997)	6903	2696	901	887	986	465	968
IXवीं योजना (1997-2002)	15998	6457	2227	3217	568	768	2761
2003-04	24593	10965	3907	4669	1219	823	3010
2004-05	31115	13997	4465	5997	1237	994	4425
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)							
1987-2005	15.26	15.56	15.91	23.56	0.00	9.85	18.69
VIIIवीं योजना (1992-1997)	19.61	16.02	11.39	35.64	12.93	9.52	36.63
IXवीं योजना (1997-2002)	7.96	11.38	19.15	12.90	0.00	10.68	25.93
2003-04	12.76	11.37	23.48	15.45	4.19	7.72	6.66
2004-05	26.52	27.65	14.28	28.44	1.48	20.78	47.01

3.18 संघ सरकार का सामाजिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान औसत 6903 करोड़ रु. से बढ़कर 2004-05 में 31,115 करोड़ रु. हो गया। सामाजिक सेवाओं पर व्यय में वृद्धि की दीर्घावधि प्रवृत्ति की 15.26 प्रतिशत (1987-2005) दर, स.घ.उ. राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय से अधिक थी। तथापि IXवीं योजना के दौरान इन दरों में बहुत मन्दन था और पिछली योजना की तुलना में, गिरावट 12 प्रतिशत बिन्दु से अधिक थी (VIIIवीं योजना के दौरान 19.61 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से IXवीं योजना के दौरान औसत 7.96 प्रतिशत तक)। सामाजिक सेवाओं पर व्यय, चालू वर्ष में विशेष रूप से उत्प्लावक थे। सामाजिक सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति, और सफाई (आवास और शहरी विकास सहित) पर व्यय अपेक्षाकृत उत्प्लावक था। चालू वर्ष में भी, स्वास्थ्य और जलापूर्ति पर व्यय में बहुत उत्प्लावकता देखी गई।

3.19 आर्थिक सेवाओं के घटकों पर व्यय नीचे तालिका 3.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.10: आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व व पूंजीगत) -प्रवृत्तियां और संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आर्थिक सेवायें	कृषि एवं अनुषंगी	ग्रामीण विकास	ऊर्जा	उद्योग एवं खनिज	परिवहन	डाक	दूर संचार	अन्य
1987-2005	90337	15141	4408	6516	9709	33913	2764	7506	10381
VIIIवीं योजना (1992-1997)	69161	9665	3263	3061	7229	24246	1598	8417	11682
IXवीं योजना (1997-2002)	121107	20048	5146	10158	12294	44714	3937	13554	11256
2003-04	166058	32911	12174	13664	16761	64379	5681	3102	17387
2004-05	165885	36366	9478	9897	17664	69578	5940	3579	13383
औसत वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)									
1987-2005	11.31	15.70	23.78	10.74	7.78	11.74	13.87	4.59	6.84
VIIIवीं योजना (1992-1997)	9.35	14.89	81.37	4.36	2.17	9.22	13.62	26.75	-9.69
IXवीं योजना (1997-2002)	6.36	18.28	2.79	1.23	8.78	14.26	19.11	-27.41	-5.55
2003-04	7.80	5.82	3.72	12.76	20.02	6.56	4.89	-11.02	10.02
2004-05	-0.14	10.50	-22.15	-27.57	5.39	8.08	4.56	15.38	-23.03

3.20 आर्थिक सेवाओं पर समग्र व्यय VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 69,161 करोड़ रु. औसत से बढ़कर 2004-05 में 165,885 करोड़ रु. हो गया। 1987-2005 के दौरान आर्थिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि की वार्षिक प्रवृत्ति दर 11.31 प्रतिशत थी। सामाजिक सेवाओं की भांति, IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दरों में मन्दन देखा गया था। 3 प्रतिशत बिन्दुओं का यह मन्दन आर्थिक सेवाओं के लिए सापेक्षतया मामूली था। चालू वर्ष में मुख्यतः ग्रामीण विकास और ऊर्जा क्षेत्रों पर व्यय में गिरावट के कारण वृद्धि दर और भी ऋणात्मक हो गई। अंतः वर्ष और अंतः सेवाओं की वृद्धि दरों में बहुत विचलन थे। कृषि एवं अनुषंगी गतिविधियों (सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सहित) तथा ग्रामीण विकास पर व्यय अपेक्षाकृत उत्प्लावक थे तथापि, ग्रामीण विकास के मामले में, व्यय की वृद्धि दर में, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 81.37 प्रतिशत औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 2.79 प्रतिशत की औसत तक की और चालू वर्ष में ऋणात्मक 22.15 प्रतिशत तक तीव्र गिरावट आई। IXवीं योजना के दौरान विभाग के संचालनों के निगमीकरण के फलस्वरूप दूरसंचार पर व्यय में नकारात्मक वृद्धि की संभावना थी। दूर संचार सेवाओं हेतु व्यय आधार 2003-04 में एक चौथाई तक घट गया था। अतः चालू वर्ष की वृद्धि एक संकरे आधार पर थी।

3.21 यह अधिक महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक सेवाओं के व्यय को स.घ.उ. की सापेक्षता में देखा जाये क्योंकि वह इन क्षेत्रों को प्रदान की गई सापेक्षिक प्राथमिकता और इन व्यापक समूहों में किसी विशिष्ट क्षेत्र को दी गई प्राथमिकता को

दर्शाता है। 1987-2005 के दौरान संघ सरकार का सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय, स.घ.उ. का औसतन 7.18 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह 2004-05 में स.घ.उ. के 6.34 प्रतिशत तक गिर गया। चुनी हुई आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर स.घ.उ. के सापेक्ष व्यय, तालिका 3.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.11: सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत)
स.घ.उ. के सापेक्ष

(प्रतिशत)

अवधि	सामाजिक सेवाएं				आर्थिक सेवाएं				
	कुल	शिक्षा	स्वास्थ्य	अन्य	कुल	कृषि और ग्रामीण विकास	ऊर्जा	परिवहन	अन्य
1987-2005	0.82	0.35	0.12	0.36	6.36	1.38	0.46	2.39	2.13
VIIIवीं योजना (1992-1997)	0.67	0.26	0.09	0.32	6.68	1.25	0.30	2.34	2.79
IXवीं योजना (1997-2002)	0.84	0.34	0.12	0.38	6.33	1.32	0.53	2.34	2.14
2003-04	0.89	0.40	0.14	0.35	6.02	1.63	0.50	2.33	1.56
2004-05	1.00	0.45	0.14	0.41	5.34	1.48	0.32	2.24	1.31
सापेक्ष अंश में विचलन की वार्षिक औसत दर									
1987-2005	1.47	1.73	2.04	0.94	-2.01	2.69	-2.51	-1.63	-5.08

3.22 1987-2004 के दौरान सामाजिक सेवाओं (इस क्षेत्र में ऋणों और अग्रिमों को छोड़कर) पर व्यय की, स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंश में, धनात्मक विचलन दर थी। दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामाजिक सेवाओं-शिक्षा और स्वास्थ्य में भी धनात्मक विचलन दर को देखा गया था। तथापि, धनात्मक विचलन दर के बावजूद, सामाजिक क्षेत्रों के लिए समग्र आबंटन स.घ.उ. के एक प्रतिशत से कम था।

3.23 आर्थिक सेवाओं पर व्यय की, स.घ.उ. के सापेक्ष उनके अंशों में, ऋणात्मक विचलन दर थी। स.घ.उ. के सापेक्ष आर्थिक सेवाओं पर व्यय का समग्र अंश VIII वीं योजना (1992-97) में स.घ.उ. के 6.68 प्रतिशत से गिरकर 2004-05 में 5.34 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं में परिवहन, उर्जा और अन्य आर्थिक सेवाओं में उनके सापेक्ष अंश में ऋणात्मक विचलन दर थी। कृषि और ग्रामीण विकास के मामले में, उनके सम्मिलित व्यय के अंश में, VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान स.घ.उ. के 1.25 प्रतिशत के औसत से 2004-05 में 1.48 प्रतिशत का सुधार हुआ।

अध्याय 4

घाटा: राजकोषीय असंतुलों का प्रबंधन

4.1 वार्षिक बजट, तीन प्रकार के घाटे, जैसे राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे को इंगित करता है। इस अध्याय में इन घाटों के स्वरूप तथा परिमाण, समय पर उनकी प्रवृत्ति तथा इन घाटों को वित्तपोषित करने के ढंग की चर्चा की गई है। घाटे, राजस्व तथा व्यय में असंतुलों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये असंतुलन अस्थायी अथवा संरचनात्मक हो सकते हैं। भारतीय संदर्भ में, राजकोषीय असंतुलन दीर्घकालिक तथा निरन्तर, दोनों प्रकार के हुए हैं। आकार तथा नियमितता के अतिरिक्त, इसकी संरचना, विशेष रूप से राजस्व घाटे की, जो वर्तमान उपभोग की वित्त व्यवस्था के लिए हुआ है, भी इस विषय का एक कारण रही है। बृहद् आर्थिक क्रियाकलापों के संदर्भ में राजकोषीय नियमों को निर्धारित करने में मुख्यतः वित्तीय व्यय के रूप में होने वाले घाटे के आकार के संबंध में नियम समाविष्ट होते हैं।

4.2 राजस्व घाटा, सरकार की राजस्व प्राप्तियों पर राजस्व व्यय का आधिक्य है। यह सरकार के निवल गैर-बचत तथा वर्तमान खपत में विचलन को दर्शाता है। राजस्व घाटा पूँजीगत/परिसंपत्ति को तदनुसार निर्माण किये बिना उधारों को बढ़ावा देता है। उधार, राजस्व घाटे को पूरा करने में सहयोग देता है इसलिए किसी भी परिसंपत्तियों का पृष्ठपोषण नहीं करता है तथा एक बेमेल परिसंपत्ति देयता का सृजन करता है। इन विशेषताओं के कारण, राजस्व घाटा साधारणतया कम वांछनीय समझा जाता है। राजकोषीय सुधार तथा बजट प्रबंधन (रा.सु.ब.प्र.) अधिनियम 2003 की धारा 4(1) के अनुसार यह प्रावधान है कि संघ सरकार को राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे को कम करने के लिए उचित कदम उठाने होंगे जिससे कि राजस्व घाटे को 31 मार्च 2009 तक समाप्त किया जा सके।

4.3 राजस्व घाटे की प्रवृत्तियां तथा उसके कुछ मुख्य पैरामीटर नीचे दी गयी तालिका 4.1 में दर्शाये गये हैं।


तालिका 4.1: राजस्व घाटा तथा उसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)


अवधि	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व घाटा	राजस्व घाटा प्रतिशत के अनुसार		
				स.घ.उ.	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय
1985-2005	164051	208664	44613	3.41	27.19	21.38
VIII वीं योजना (1992-1997)	131601	160541	28941	2.80	21.99	18.03
IX वीं योजना (1997-2002)	237397	313109	75711	3.95	31.89	24.18
2003-04	339100	440086	100986	3.66	29.78	22.95
2004-05	376871	455571	78700	2.53	20.88	17.28

वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2005	12.94	13.74	17.10	2.80	3.67	2.94
VIII वीं योजना (1992-1997)	15.61	14.64	10.88	सापेक्ष भाग में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-2002)	8.12	10.40	17.29			
2003-04	13.10	7.45	-8.00			
2004-05	11.14	3.52	-22.07			

4.4 संघ सरकार का समग्र राजस्व घाटा VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 28,941 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2004-05 में 78,700 करोड़ रु. हो गया। राजस्व घाटे की वृद्धि की औसत वार्षिक दर 17.10 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय में वृद्धि की प्रवृत्ति के बीच एक नकारात्मक फँलाव ने राजस्व घाटे के बहाव में योगदान दिया। तथापि, पिछले तीन वर्षों में राजस्व व्यय की वृद्धि दर, उस राजस्व प्राप्ति से कम थी जो कि राजस्व घाटे की नकारात्मक वृद्धि वाली थी। स.घ.उ. के सापेक्ष में, VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान राजस्व घाटा 2004-05 के अपने 2.53 प्रतिशत के वर्तमान स्तर पर अवतारण से पूर्व स.घ.उ. के 2.8 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2001-02 में 4.80 प्रतिशत हो गया। स.घ.उ. के राजस्व घाटे के हिस्से में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर 2.80 प्रतिशत थी। राजस्व प्राप्तियों के समानुपात के रूप में, 2004-05 में राजस्व घाटे का स्तर VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान अभिभावी स्तर के नजदीक था। 1985-2005 के दौरान, राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय से औसतन एक चौथाई के लगभग कम पड़ गईं। राजस्व व्यय के समानुपात के रूप में, 1985-2005 के दौरान राजस्व घाटा औसतन 21.38 निकला जो कि ऋण वित्त पोषित राजस्व व्यय के समानुपात को दर्शाता है।



4.5 यद्यपि, पिछले तीन वर्षों में, राजस्व घाटे में गिरावट थी। वर्ष 2004-05 में यह गिरावट 22.07 प्रतिशत की थी। इस गिरावट के कारण, स.घ.उ. में राजस्व घाटे का अनुपात, राजस्व प्राप्ति तथा राजस्व व्यय भी कम हो गए थे। इन तीन वर्षों में राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय के बीच चार से सात प्रतिशत का एक सकारात्मक फौलाव देखा गया था। सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता तथा मध्यम गति से बढ़ते हुए राजस्व व्यय ने राजस्व घाटों में गिरावट तथा मुख्य राजकोषीय समुच्चयों के सापेक्ष इसके अनुपात की गिरावट में मदद की। जैसा कि रा.सु.ब.प्र. अधिनियम में निर्धारित किया गया है कि मार्च, 2009 तक राजस्व घाटे को शून्य तक पहुँचाने के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सरकार को राजस्व घाटे के गिरावट की दर को बनाये रखने की आवश्यकता है।



राजकोषीय घाटा


4.6 राजकोषीय घाटा गैर-ऋण प्राप्तियों (राजस्व प्राप्तियां, विविध पूँजीगत प्राप्तियां तथा ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली) पर सरकार के कुल व्यय का आधिक्य है। राजकोषीय घाटा साधारणतः सरकार की बढ़ती हुई देयताओं या इसके अतिरिक्त ऋणों का प्रतिनिधित्व करता है। कमी को या तो अतिरिक्त लोक ऋणों से (आन्तरिक या बाह्य) अथवा लोक लेखाओं में से अधिशेष का प्रयोग करके पूरा किया जा सकता है। मुख्य राजकोषीय पैरामीटरों के सापेक्ष में घाटे की प्रवृत्तियों के साथ राजकोषीय घाटे की प्रवृत्तियाँ तालिका 4.2 में दर्शाई गयी है।

तालिका 4.2: राजकोषीय घाटा तथा इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियां	कुल व्यय	राजकोषीय घाटा	राजकोषीय घाटा प्रतिशत के अनुसार		
				स.घ.उ.	गै.ऋ.प्रा.	कुल व्यय
1985-2005	182644	255895	73251	5.60	40.11	28.63
VIII वीं योजना (1992-1997)	140973	203539	62565	6.04	44.38	30.74
IX वीं योजना (1997-2002)	254827	374502	119675	6.25	46.96	31.96
2003-04	425880	506817	80937	2.93	19.00	15.97
2004-05	445535	549333	103798	3.34	23.30	18.90
वृद्धि की औसत वार्षिक दर						
1985-2005	13.23	12.22	9.55	-3.82	-3.25	-2.38
VIII वीं योजना (1992-1997)	14.51	11.87	6.42	अनुपात में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
IX वीं योजना (1997-2002)	8.74	8.86	9.00			
2003-04	24.63	6.40	-39.86			
2004-05	4.62	8.39	28.25			

4.7 VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटा 62565 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2004-05 में 103798 करोड़ रु. हो गया। 1985-2005 के दौरान राजकोषीय घाटे की वृद्धि की प्रवृत्ति दर 9.55 प्रतिशत थी। गैर-ऋण प्राप्तिओं की वृद्धि दर तथा कुल व्यय के बीच के औसतन सकारात्मक फैलाव में अपेक्षाकृत इन कुल राजकोषीय समुच्चयों की तुलना में राजकोषीय घाटों में, निम्नतर सापेक्ष बढ़ोतरी के कारण था। राजकोषीय घाटे की वृद्धि दर स.घ.उ. की वृद्धि दर से भी कम थी। इसलिए राजकोषीय घाटा और स.घ.उ. का अनुपात VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 6.04 प्रतिशत की औसत से गिर कर 2004-05 में 3.34 प्रतिशत रह गया। इसके भाग में औसतन वार्षिक परिवर्तन दर (-)3.8 प्रतिशत थी। राजकोषीय घाटा तथा गैर-ऋण प्राप्तियां और कुल व्यय की औसतन वार्षिक परिवर्तन दर भी ऋणात्मक रही।




4.8 पूंजीगत/परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए या आर्थिक एवं सामाजिक अवसंरचना के सृजन के लिए निधियों से उधार लेना तथा राजकोषीय घाटे को चलाना सरकार के लिए कोई असामान्य नहीं है। ऐसे उधारों के माध्यम से सृजित ये परिसम्पत्तियां, एक आय प्रवाह का सृजन करके स्वयं के लिए लाभकर हो सकती हैं। पूंजीगत निर्माण से आर्थिक क्षमता में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में समग्र आय की उत्पत्ति की जा सकती है तथा कर आधार को बढ़ाया जा सकता है। आगे, ऐसी स्थिति में जहाँ अवसंरचना वृद्धि के लिए बाध्यकारी बाधा बनती है, तो सरकार द्वारा ऐसी पूंजीगत रचना की वृद्धि में त्वरण को अधिक व्यावहारिक बना सकती है। अतः ऐसे में राजकोषीय घाटे के विभिन्न संघटकों का विश्लेषण करना आवश्यक हो जाता है। यदि राजकोषीय घाटे के विस्तार की अधिक पूंजीगत व्यय को बनाये रखने के लिए या पूंजीगत निर्माण के अस्तित्व के लिए वित्तीय सुविधायें प्रदान करना, ऐसे घाटे पर एक वांछनीय हद तक सोच-विचार किया जा सकता है। नीचे दी गई तालिका 4.3 में योजना अवधियों से तथा हाल के दो वर्षों में राजकोषीय घाटे की संघटकों की गति को दर्शाती है।

तालिका 4.3: राजकोषीय घाटे के संघटक

(प्रतिशत)

अवधि	राजस्व घाटा	निवल पूंजीगत व्यय	निवल ऋण एवं अग्रिम
1985-2005	60.90	25.92	13.18
VIII वीं योजना (1992-1997)	46.26	28.25	25.49
IX वीं योजना (1997-2002)	63.26	19.53	17.20
2003-04	124.77	22.79	-47.56
2004-05	75.82	47.43	-23.25
परिवर्तन की औसत वार्षिक दर			
1985-2005	6.88	-2.86	

4.9 राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के घटक पर प्रभाव जारी रहा, वह 1985-2005 के दौरान लगभग 61 प्रतिशत आंका गया। VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान समग्र राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटे का समानुपात 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2004-05 में 75.82 प्रतिशत हो गया। 1985-2005 के दौरान राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात में 6.88 प्रतिशत की एक सकारात्मक परिवर्तन दर देखी गयी थी। 1985-2005 के दौरान निवल पूँजीगत व्यय (पूँजीगत व्यय-पूँजीगत प्राप्तियाँ) समग्र राजकोषीय घाटे के एक-चौथाई भाग से भी कम था। यही नहीं, यह 2.86 प्रतिशत की ऋणात्मक परिवर्तन दर थी। राजकोषीय घाटे को निवल ऋणों एवं अग्रिमों की लगभग 13 प्रतिशत की धन राशि से वित्तपोषित किया गया। पिछले तीन वर्षों में ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली, जारी किये नवीन ऋणों से आगे बढ़ गई तथा अधिशेष वास्तव में राजकोषीय घाटे के हिस्से के रूप में वित्तपोषित किये गये। चालू व्यय को करने के लिए उधार ली गयी निधियों का निरन्तर उपयोग, न केवल परिसम्पत्ति बैकअप काट का उल्लेख करता है बल्कि इसने पूँजीगत व्यय (ऋणों तथा अग्रिमों को समाविष्ट करते हुए) के रूप में परिवर्तनीय समायोजन किए। उधार लिए गए दुर्लभ संसाधनों को केवल पूँजीगत गठन के लिए अंशतः आबंटित किया जा सकता था।



प्राथमिक घाटा

4.10 यद्यपि राजकोषीय घाटा साधारणतया, ऐसे संसाधनों के एक भाग जिसे ब्याज भुगतानों द्वारा वित्तपोषित करने की आवश्यकता होती है उन अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता को निरूपित करता है। ब्याज का भुगतान पिछले दायित्वों के व्यय तथा जो चालू विनिर्धारित वरीयताओं के लिए स्वतंत्र हैं, उनको दर्शाता है। यदि असंतुलन के वर्तमान स्वरूप की ओर ध्यान दें तो इन भुगतानों को कुल असंतुलन में से पृथक करने की और घटाये जाने की आवश्यकता है। प्राथमिक घाटा, जो ब्याज भुगतानों के निवल वर्तमान असंतुलन को प्रस्तुत करता है, की औसत 1985-2005 के दौरान 14,817 करोड़ रु. थी हालांकि इसमें एक मंदन प्रवृत्ति देखी गई। 2003-04 तथा 2004-05 में एक प्राथमिक अधिशेष था क्योंकि ब्याज भुगतान, राजकोषीय घाटे को पार कर गया।

स.घ.उ. के सापेक्ष में प्राथमिक घाटा VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 1.77 प्रतिशत की औसत से गिरकर 2002-03 में 0.41 प्रतिशत के स्तर तक रह गया। 2003-04 तथा 2004-05 में इसमें एक सकारात्मक बदलाव आया। नीचे दी गई तालिका 4.4 में प्राथमिक घाटे तथा इसके पैरामीटर की प्रवृत्ति को दर्शाया गया है।

तालिका 4.4: प्राथमिक घाटे एवं इसके पैरामीटर

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	ब्याज भुगतान	प्राथमिक* घाटा	स.घ.उ. के प्रतिशत के रूप में प्राथमिक घाटा
1985-2005	44613	73251	58434	14817	1.13
VIII वीं योजना (1992-1997)	28941	62565	44280	18285	1.77
IX वीं योजना (1997-2002)	75711	119675	91102	28573	1.49
2003-04	100986	80937	128114	-47177	-1.71
2004-05	78700	103798	130958	-27160	-0.87
वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर (प्रतिशत)					
1985-2005	17.1	9.55	16.89	परिवर्तन की औसत वार्षिक दर	
VIII वीं योजना (1992-1997)	10.88	6.42	17.44		
IX वीं योजना (1997-2002)	17.29	9.00	14.90		
2003-04	-8.00	-39.86	2.84		
2004-05	-22.07	28.24	2.22		

* नकारात्मक आंकड़े प्राथमिक अधिशेष के अस्तित्व को दर्शाते हैं।

4.11 2004-05 में स.घ.उ. के प्राथमिक घाटे में 1.77 प्रतिशत की औसत से घटकर स.घ.उ. (-)0.87 प्रतिशत तक का रह जाने का सुधार, यह स्पष्ट दर्शाता है कि 2003-04 तथा 2004-05 में पूँजीगत व्यय तथा ऋणों और अग्रिमों के ब्याज भुगतानों को सम्मिलित करते हुये उस वर्ष में किये गये खर्चों को गैर-ऋण प्राप्तियों से पूरा करना पर्याप्त था। तथापि ये मुख्यतः ऋणों की वसूली में वृद्धि के कारण से था न कि राजस्व प्राप्तियों में किसी गतिवर्धन के कारण था। ऋणों की वसूली या विविध पूँजीगत प्राप्तियों की संभूतियां सरकार की परिसम्पत्ति आधार में एक गिरावट को इंगित करती है तथा इसे एक सीमित एवं अस्थायी विकल्प के रूप में देखा जा सकता है।

अध्याय 5

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

5.1 आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण और अन्य देयताएं, देयताओं के तीन सेट हैं जो संघ सरकार के ऋण को संघटित करते हैं। आन्तरिक एवं बाह्य ऋण लोक ऋण को संघटित करते हैं और भारत की समेकित निधि के अधीन सुरक्षित हैं। आन्तरिक ऋण में बाजार ऋण, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी विशेष प्रतिभूतियाँ और राष्ट्रीय लघु बचत निधि, क्षतिपूर्ति एवं अन्य बन्ध-पत्र और अन्य रूपया प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। बाह्य ऋण विदेशी सरकारों और निकायों से प्राप्त ऋणों को निरूपित करता है। सरकार की अन्य देयताएं उधारकर्ता से अधिक बैंकर के या न्यासी रूप में अपनी क्षमता से अधिक उद्भूत होती हैं जिसमें कर्मचारियों की भविष्य निधि आरक्षित निधि और शोधन निधि (व्यय को प्रभारित करके जब वास्तविक व्यय तथा संवितरण अभी किया जाना है द्वारा सृजित) और जमा समाविष्ट है। ये उधार या संभूतियां भा.स.नि. के अधीन सुरक्षित नहीं हैं और लोक लेखों के भाग के रूप में दर्शाए जाते हैं। तथापि, यह सभी देयताएं उनकी वापसी अथवा विशिष्ट व्यय के सम्बन्ध में सरकार के दायित्व हैं।

5.2 सरकार ऋण की पुनः अदायगी के लिए अपनी संसाधन आवश्यकताओं, लोक लेखा पर देयताओं को चुकाने, पूंजीगत व्यय और इस प्रकार की अन्य वर्तमान व्यय मांगों जो कि राजस्व और गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों द्वारा वसूली की जानी शेष होती है, को पूरा करने के लिए इन देयताओं को वहन करती है।

सकल राजकोषीय देयताएँ: प्रवृत्तियां तथा संरचना

5.3 तालिका 5.1 विनिमय की वर्तमान दर तथा ऐतिहासिक दर (वह दर जिस पर ऋण मूल रूप से अनुबंधित किया गया था) पर संगणित दोनों आंतरिक ऋण तथा बाह्य ऋण तथा 1985-2005 के दौरान लोक लेखा सहित, सरकार की सकल देयताओं को प्रस्तुत करती है। **परिशिष्ट-V-क** में उसकी संरचना के आधार पर वार्षिक कुल देयता दर्शायी गई है।


तालिका 5.1: सकल राजकोषीय देयताएं - प्रवृत्तियां तथा संरचना

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखा*	कुल देयताएं (ऐतिहासिक दरों पर)	बाह्य ऋण (वर्तमान दरों पर)	कुल देयताएं (वर्तमान दरों पर)
1985-2005	445607	45270	211226	702101	127399	784231
VIII वीं योजना (1992-1997)	272725	49206	218152	540082	137732	628608
IX वीं योजना (1997-2002)	655942	61703	292049	1009694	183073	1131064
2003-04	1141706	46125	333725	1521556	184203	1659634
2004-05	1275971	60877	356037	1692885	191271	1823279
वृद्धि की औसत वार्षिक दर (प्रतिशत)						
1985-2005	16.73	6.52	10.30	13.99	11.06	14.04
VIII वीं योजना (1992-1997)	14.13	5.95	14.80	13.62	5.88	12.48
IX वीं योजना (1997-2002)	25.42	6.77	-7.05	12.80	5.05	11.85
2003-04	11.86	-22.63	0.70	7.78	-6.05	7.20
2004-05	11.76	31.98	6.69	11.26	3.84	9.86

वित्त लेखाओं में विनिमय की वर्तमान दर पर बाह्य ऋण को दर्शाना 1991-92 से शुरू किया था। बाह्य ऋण के पूर्व आंकड़े विनिमय की वर्तमान दर पर श्रृंखला को पूरा करने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए हैं।
* वर्ष 1999-2000 से लोक लेखा देयताओं में, राष्ट्रीय लघु बचतों में राज्य सरकारों द्वारा राष्ट्रीय लघु बचत निधि (रा.ल.ब.नि.) को जारी प्रतिभूतियों की सीमा तक देयताएं शामिल नहीं हैं।

5.4 सकल राजकोषीय देयताएं VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 628,608 करोड़ रु. की औसत से बढ़कर 2004-05 में 1823, 279 करोड़ रु. हो गई थी। 1985-2005 के दौरान इन देयताओं की वृद्धि की औसत वार्षिक प्रवृत्ति दर 14.04 प्रतिशत थी। आन्तरिक ऋण, 2004-05 में इनका लगभग दो तिहाई के लिए लेखाबद्ध करने हेतु, सकल देयताओं का न केवल सबसे प्रमुख घटक था, बल्कि वह उसकी वृद्धि के साथ 10.30 प्रतिशत औसत होने का सबसे तीव्र बढ़ने वाला घटक भी था। लोक लेखे देयताओं में 16.73 प्रतिशत की न्यूनतम वृद्धि थी। ये दो घटक, जो मूल रूप से घरेलू देयताएं हैं, 2004-2005 में सकल देयताओं का लगभग 90 प्रतिशत के बराबर बनते थे। सकल देयताओं में इन दो घटकों के हिस्से का भी VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान 78 प्रतिशत की औसत से वर्तमान स्तर तक सुधार हुआ था। 2004-05 में वर्तमान विनिमय दर पर बाह्य देयताएं सकल देयताओं का लगभग 10 प्रतिशत से कुछ अधिक बनती थीं। ऐतिहासिक दर पर बाह्य देयताओं की वृद्धि निम्न थी। तथापि, यह केवल ब्याज की गणना के लिए है क्योंकि इस ऋण के पुनः भुगतान दायित्वों को केवल विनिमय की वर्तमान दर पर ही पूरा किया जाता है। इसमें कुल देयताएं तथा घरेलू देयताओं का भाग निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है।



स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

5.5 तालिका 5.2 स.घ.उ. की तुलना में संघ सरकार की सकल राजकोषीय देयताओं को दर्शाती है। 1991-92 के दौरान सकल राजकोषीय देयताएं-स.घ.उ. अनुपात अधिकतम ऊंचाई को छू गया जब यह स.घ.उ. के 65.43 प्रतिशत तक पहुंच गया था। VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान यह अनुपात 60.72 प्रतिशत की औसत तक अवत्वरित हुआ और इसके आगे IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 59.08 प्रतिशत की औसत तक आ गया था। हाल ही के दो वर्षों में जबकि राजकोषीय देयताओं एवं-स.घ.उ.का अनुपात 2003-04 में स.घ.उ. के 60.13 प्रतिशत तक बढ़ गया; यह वर्तमान वर्ष में 58.71 प्रतिशत तक गिर गया जो कि दीर्घावधि प्रवृत्ति स्तरों से कम था। 1985-2005 के दौरान, स.घ.उ. अनुपात का राजकोषीय देयताओं के अनुपात की दीर्घावधि प्रवृत्ति में 0.13 प्रतिशत के औसत वार्षिक दर के विचलन के साथ स्थिरता था। जबकि आंतरिक ऋण एवं स.घ.उ. के अनुपात में औसत वार्षिक दर का विचलन 2.49 प्रतिशत था, अन्य दो घटकों में ऋणात्मक विचलन दर रहने से ऋण एवं स.घ.उ. का अनुपात प्रवृत्ति स्तर पर ही रहा।

तालिका 5.2: स.घ.उ. के सापेक्ष में राजकोषीय देयताएं

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक ऋण	ऐतिहासिक दरों पर बाह्य ऋण	लोक लेखे	कुल देयताएं	वर्तमान दरों पर बाह्य ऋण	कुल देयताएं
1985-2005	34.08	3.46	16.15	53.70	9.74	59.98
VIIIवीं योजना (1992-1997)	26.34	4.75	21.07	52.16	13.30	60.72
IX वीं योजना (1997-2002)	34.26	3.22	15.26	52.74	9.56	59.08
2003-04	41.37	1.67	12.09	55.13	6.67	60.13
2004-05	41.09	1.96	11.46	54.51	6.16	58.71
सापेक्षित हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर						
1985-2005	2.49	-6.47	-3.16	0.23	-2.49	0.13

5.6 यदि 1985-86 में राजकोषीय देयताओं के विभिन्न घटकों को 100 पर रखा जाए तो 2004-05 में देयताओं के आंतरिक तथा कुल ऋण संघटकों के लिए उत्प्लावकता को एक से अधिक इंगित करते हुए, स.घ.उ. सूचकांक 1117 के विरुद्ध आंतरिक ऋण, बाह्य एवं सकल देयताओं का सूचकांक क्रमश 1796, 718 एवं 1249 होगा। 1985-2005 के दौरान स.घ.उ. के संदर्भ में आंतरिक ऋण, बाह्य ऋण तथा देयताओं की उत्प्लावकता (चालू विनिमय दर पर परिकलित किया जा रहा बाह्य ऋण) क्रमशः 1.20 एवं 1.01 थी।

5.7 सकल राजकोषीय देयताओं पर संघ सरकार की प्राप्तियों के सापेक्ष में दृष्टि डालना उचित होगा। यह अनुपात ऋण स्टॉक के लिए एक अच्छा सूचक माना गया है क्योंकि यह प्रत्यक्ष रूप से स्रोतों से सम्बन्धित है जो इसकी सेवा और प्रतिदान के लिए उपलब्ध हैं। तालिका 5.3 बकाया राजकोषीय देयताओं के अनुपात को, गैर-ऋण प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों को प्रतिशतता के रूप में दर्शाती है।


तालिका 5.3: गैर-ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया राजकोषीय देयताएं

अवधि	गैर-ऋण प्राप्तियाँ	राजस्व प्राप्तियाँ
1985-2005	429	478
VIIIवीं योजना (1992-1997)	446	478
IXवीं योजना (1997-2002)	444	476
2003-04	390	489
2004-05	409	484
सापेक्षित हिस्सों में परिवर्तन की औसत वार्षिक दर		
1985-2005	0.71	0.97
औसत वार्षिक वृद्धि दर पैरामीटर की वृद्धि		
1985-2005	13.23	12.94

टिप्पणी:- गैर-ऋण प्राप्तियाँ, राजस्व प्राप्तियाँ (करों में राज्यों के हिस्से का निवल) तथा गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियाँ होती हैं।

5.8 1985-2005 के दौरान राजस्व, और गैर-ऋण प्राप्तियों के प्रति राजकोषीय देयताओं के अनुपात में विचलन दर घनात्मक थी। राजकोषीय देयताओं की वृद्धि की प्रवृत्ति दर उपरोक्त दो पैरामीटरों की वृद्धि की दर से बढ़ गई थी। VIII वीं योजना (1992-97) के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों के प्रति राजकोषीय देयताओं का औसत, 446 प्रतिशत से 2004-05 में 409 के चालू स्तर में मंदन से पूर्व 2001-02 में 483 की चरम सीमा तक बढ़ गया था। यह मंदन पिछले तीन वर्षों में गैर ऋण प्राप्तियों के सापेक्ष में राजकोषीय देयताओं की नवीनतम वृद्धि के कारण था। राजस्व प्राप्तियों में सम्मुख राजकोषीय अनुपात के मामले में इसी प्रकार की प्रवृत्ति पायी गयी थी। 1985-2005 के दौरान गैर ऋण प्राप्तियों तथा राजस्व प्राप्तियों की सम्मुख राजकोषीय देयताओं में क्रमशः 1.06 तथा 1.09 की उत्प्लावकता थी। क्योंकि, आंतरिक ऋण तथा घरेलू ऋण

(आंतरिक ऋण तथा लोक लेखा संयुक्त अधिशेष) में बड़ा उतप्लावकता थी क्योंकि बाह्य ऋण देयताओं में कम वृद्धि का सामान्य प्रवाह था। स.घ.उ. के तीन पैरामीटरों में गैर ऋण प्राप्तियां, और राजस्व प्राप्तियां निम्नलिखित ग्राफ में दर्शायी गयी है:



ऋण धारिता

5.9 यदि सरकार दूरदर्शी भविष्य के लिए इन देयताओं के सम्भार का लाभ लेने में सक्षम होती है, और ऋण-स.घ.उ. अनुपात अनियंत्रणीय समानुपातों तक नहीं बढ़ता है, तो राजकोषीय देयताओं को जारी रखने योग्य समझा जाता है। इस स्थिरता के लिए एक आवश्यक शर्त डोमर का ऋण स्थिरता समीकरण है। यह बताता है कि यदि अर्थ व्यवस्था की वृद्धि की दर ऋण पर ब्याज की दर से बढ़ती है तो ऋण-स.घ.उ. अनुपात की स्थिर रहने की संभावना होती है, बशर्ते प्राथमिक शेष या तो शून्य या सकारात्मक या नाममात्र नकारात्मक हों। ऐसी स्थिति में जहाँ ब्याज की दर उत्पादन की वृद्धि की दर से अधिक है, ऋण-स.घ.उ. अनुपात का बढ़ना जारी रहेगा जब तक प्राथमिक शेष सकारात्मक नहीं हो जाते। ऋण की धारिता की अंतः अस्थायी बजट प्रतिबंधों के संबंध में भी जांच की जाती है अन्तःधारिता इस बात पर निर्भर करती है कि क्या उधारदाताओं से किसी प्रतिकूल आशय या प्रति उत्तर के बिना, राजस्व व्यय और राजकोषीय घाटे के पूर्व व्यवहार को अनिश्चित रूप से जारी रखा जा सकता था। इस प्रकार, ऋण की धारिता के प्रश्न पर यह विचारणीय है कि क्या पॉजी वित्तपोषण को ऋण प्रबंधन योजना के रूप में उपयोग किया गया था। सम्पन्नता या समग्र बजट प्रतिबंधों के लिए यह भी आवश्यक है कि प्रारंभिक ऋण स्टॉक, भविष्य में प्राथमिक आधिक्य के वर्तमान कटौती किये गये मूल्य के बराबर हो। चालू ऋण की समानता और अधिशेष के वर्तमान मूल्य से, अनिवार्य रूप से यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि ऋण का अंत में पुनर्भुगतान हो चुका है या कि ऋण अन्त में स्थिर रहा। इन सबसे यह परिणाम निकलता है कि ऋण अन्त में ब्याज दर से कम तीव्रता से बढ़ता है। ऋण स्थिरता दो संभव उपायों में से एक में हो सकती है। यदि अर्थव्यवस्था की नाममात्र वृद्धि दर, घरेलू ऋण पर ब्याज की नाममात्र दर से बढ़ती है, जो वित्तीय दमन के अंतर्गत हो सकता है, जब प्राथमिक घाटा

चल रहा हो तभी घरेलू ऋण की स्थिरता संभव है (मुद्रिकरण की अधिकता में भी)। परन्तु यदि नाममात्र ब्याज दर वृद्धि दर से बढ़ती है तो ऋण स्थिरता की सम्भावना के लिए प्राथमिक घाटा मुद्रिकरण से पर्याप्त रूप से कम होना चाहिए।

5.10 काफी समय से कुल ऋण पर औसत ब्याज दर (नाममात्र) 1985-2005 के दौरान बाजार मूल्यों पर स.घ.उ. की वृद्धि की दर से कम रही, जैसे कि तालिका 5.4 में दर्शाया गया है। तथापि विस्तार, VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 8.63 प्रतिशत की औसत से IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान गिरकर औसत 1.37 प्रतिशत हो गया था। 2002-03 में स.घ.उ. वृद्धि तथा ब्याज दरों के बीच विस्तार नकारात्मक हो गया था परन्तु बाद में 2003-04 में 3.77 प्रतिशत और आगे 2004-05 में 4.63 प्रतिशत तक बढ़कर सकारात्मक हो गया।

5.11 यद्यपि, राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दरें, एक संकुचित स्तर से बढ़ीं। 1985-2005 के दौरान बाह्य ऋण पर औसत वार्षिक ब्याज की दर 2.58 प्रतिशत थी। यह आठवीं योजना (1992-97) के दौरान 3.07 प्रतिशत की औसत से 2004-05 में 1.52 प्रतिशत तक गिर गयी। घरेलू देयताओं के लिए (लोक ऋण तथा लोक लेखे) औसत ब्याज की दर IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 10.42 प्रतिशत थी जो 2003-04 में नाममात्र को घटकर 9.24 प्रतिशत और आगे 2004-05 में 8.69 प्रतिशत हो गई। घरेलू देयताओं पर ब्याज की दरों की औसत में गिरावट 2000-01 में आरम्भ हुई तथा इसमें पिछले चार वर्षों में 210 आधार अंकों की गिरावट देखने में आई (उच्चतम ब्याज की दर 1999-2000 में 10.79 प्रतिशत थी)।

तालिका 5.4: राजकोषीय देयताओं पर औसत ब्याज दर

(प्रतिशत)

अवधि	आन्तरिक देयताएं	बाह्य ऋण	कुल देयताएं	स.घ.उ. की वृद्धि दर	ब्याज विस्तार
1985-2005	9.54	2.58	8.36	13.89	5.54
VIIIवीं योजना (1992-1997)	9.37	3.07	7.91	16.54	8.63
IXवीं योजना (1997-2002)	10.42	2.51	9.06	10.43	1.37
2003-04	9.24	1.60	8.28	12.04	3.77
2004-05	8.69	1.52	7.89	12.52	4.63
औसत वार्षिक वृद्धि दर					
1985-2005	1.93	-2.79	1.93		

औसत ब्याज दर = वर्ष*100 के शुरु में भुगतान किया गया ब्याज/बकाया देयताएं

5.12 सरकार के लिए, पूँजीगत परिसम्पत्तियाँ सृजित करने या निवेश करने के लिए निधियां उधार लेना आम बात है। यद्यपि सरकारी लेखाविधि पद्धति में सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में ली गई स्थायी परिसम्पत्तियों जैसे भूमि तथा भवन आदि का विस्तृत हिसाब करने के लिए ही तुलन-पत्र सृजित नहीं किए जाते हैं, तथापि लेखाओं में किए गए व्यय

से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को भी अधिग्रहण कर उनका प्रावधान किया जाता है। सरकारी निवेश, बकाया कर्ज एवं पेशगियां तथा संचित पूँजीगत व्यय को उसकी परिसम्पत्तियों के रूप में समझा जा सकता है। इसकी कुल राजकोषीय देयताओं से इन परिसम्पत्तियों के अनुपात को उधार ली गई निधियों के उपयोग की गुणवत्ता के प्रतिनियुक्त उपाय के रूप में माना जा सकता है।

तलिका 5.5: परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता तथा परिसंपत्तियों का देयताओं के प्रति अनुपात

(रूपये करोड़ में, अनुपात तथा वृद्धि दर प्रतिशत में)

अवधि	कुल देयताएं	कुल परिसम्पत्तियां	परिसंपत्तियों का देयताओं प्रति अनुपात	देयताओं की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की वार्षिक वृद्धि	परिसंपत्तियों की उत्प्लावकता
1985-2005	784231	405600	51.72	14.04	10.00	0.71
VIIIवीं योजना (1992-1997)	628609	362555	57.68	12.48	10.31	0.83
IXवीं योजना (1997-2002)	1131064	575689	50.90	11.85	8.28	0.70
2003-04	1659634	688434	41.48	7.20	-0.70	-0.10
2004-05	1823279	717675	39.36	9.86	4.25	0.43

5.13 VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान परिसम्पत्तियों के प्रति देयताओं के अनुपात ने 57.68 प्रतिशत की औसत में दीर्घकालीन गिरावट जो 2003-04 में 41.48 प्रतिशत और आगे 2004-05 में 39.36 प्रतिशत तक कम हो गई थी, को प्रमाणित किया। इस अनुपात में, परिवर्तन की औसत वार्षिक दर, 1985-2005 के दौरान (-) 3.54 प्रतिशत थी। 2004-05 तक संघ सरकार की लगभग 60 प्रतिशत देयताओं की परिसंपत्तियों के समर्थन की क्षमता समाप्त हो गई थी। परिसंपत्तियों की समग्र वृद्धि दर न केवल देयताओं की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत कम रही बल्कि इन वृद्धि दरों के बीच विस्तार और भी बढ़ रहा था। देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में भी VIIIवीं योजना (1992-1997) के दौरान 0.83 से 2004-05 में 0.43 तक की गिरावट आई थी (तालिका 5.5)। 2003-04 में कर्जों व अग्रिमों की बढ़ी हुई वसूली के कारण समग्र परिसम्पत्तियों में वास्तव में गिरावट आई जबकि देयताओं में वृद्धि जारी रही।

5.14 ऋण धारिता का एक अन्य मामला कुल ऋण प्राप्ति के प्रति ऋण मोचन का अनुपात है। उच्चतर अनुपात यह दर्शाता है कि जिस सीमा तक ऋण प्राप्तियाँ, ऋण मोचन में प्रयुक्त होती थी, संसाधनों की निवल संभूति कम थी। तालिका 5.6, 1985-2005 के दौरान, और VIIIवीं और IXवीं योजना अवधियों में, हाल के दो वर्षों की सूचना सहित, ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात दर्शाती है।

तालिका 5.6: ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण मोचन का अनुपात

अवधि	ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनःअदायगी		ऋण पुनः- अदायगी (1) / ऋण प्राप्तियां	ऋण पुनः- अदायगी (2) /ऋण प्राप्तियां
		मूल (1)	मूल+ ब्याज (2)		
	(करोड़ रु. में) (वार्षिक औसत)			(प्रतिशत)	
1985-2005	384649	307434	365868	79.93	95.12
VIIIवीं योजना (1992-1997)	266443	203787	248066	76.48	93.10
IXवीं योजना (1997-2002)	530341	411106	502208	77.52	94.70
2003-04	811010	726131	854245	89.53	105.33
2004-05	1070716	894577	1025535	83.55	95.78

ऋण प्राप्तियां तथा भुगतान दर्शाए गए वर्षों का औसत है तथा अर्थोपाय अग्रिमों का निवल है।

5.15 ऋण धारिता के मामलों की क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा भी चर्चा की गई थी। नौवें वित्त आयोग ने पाया कि अन्ततः सरकारी ऋण समस्या का समाधान उधार ली गई निधियों में ही निहित है- (क) वित्त पोषित राजस्व व्यय के लिए उपयोग नहीं की जा रही तथा (ख) पूँजीगत व्यय के लिए प्रभावशाली व उत्पादकतापूर्ण ढंग से उपयोग की जा रही, जो या तो प्रत्यक्षतः लाभ प्रदान करती है या जो परिणामतः साधारण तौर पर आर्थिक उत्पादकता को बढ़ाती है, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी राजस्व में वृद्धि हो सकती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने सलाह दी कि ऋण धारिता को सार्थक पूर्ण ढंग से सरल बनाया जा सकता था यदि बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बदले हुए ब्याज के भार तथा बढ़ते हुए प्राथमिक व्यय को पूरा कर सकती। तालिका 5.7 VIIIवीं तथा IXवीं योजना तथा हाल के दो वर्षों के लिए, जैसा ऊपर परिभाषित किया गया है, संसाधन गैप को इंगित करती है। यह देखा जा सकता है कि 1985-2005 के दौरान, बढ़ती हुई राजस्व प्राप्तियां बढ़ते हुए राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए लगभग एक तिहाई से कम पड़ गई थीं। यह गैप IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान 45 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया था। तथापि, बाद के दो वर्षों में, व्यय में नवीन वृद्धि तथा ब्याज दरों में नवीनता के कारण एक सकारात्मक गैप था।

तालिका 5.7 : राजस्व व्यय बढ़ोतरी तथा ब्याज भुगतानों को पूरा करने के लिए राजस्व प्राप्तियों की बढ़ोतरी में कमी

(करोड़ रुपयों में)

अवधि	बढ़ोतरी				संसाधन गैप
	प्राप्तियां	गैर ब्याज राजस्व व्यय	ब्याज व्यय	कुल व्यय	
1985-2005	16737	15338	6700	22038	-5301
VIIIवीं योजना (1992-1997)	16887	13589	6576	20166	-3279
IXवीं योजना (1997-2002)	18621	23212	10939	34151	-15530
2003-04	39274	26954	3541	30495	8779
2004-05	37771	12641	2844	15485	22286

रोकड़ प्रबंधन

5.16 संघ सरकार के भारतीय रिजर्व बैंक के साथ 1994 में एक अनुबन्ध होने के साथ ही 1997 में बजट घाटे की स्वचालित मुद्रीकरण की एक पद्धति का क्रमबद्ध किया गया था। अप्रैल 1997 से लागू अर्थोपाय अग्रिमों (अ.अ.) की नई योजना को सरकार के लिए उसके नकद प्रवाह में अस्थायी बेमेल को काबू करने को सुगम बनाने हेतु प्रारंभ किया गया था। इस पद्धति द्वारा ऋण प्रबंधन और रोकड़ प्रबंधन में भी अधिक दक्षता की मांग की गई थी। जबकि अ.अ. का निरन्तर आधार पर लाभ उठाने की आवश्यकता थी, पद्धति में स्थिरता देखी गई। वर्ष 2002-03 के अंत में कोई बकाया अ.अ. शेष नहीं था (तालिका 5.8)।

तालिका 5.8: अर्थोपाय अग्रिम

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	अथ शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान वापस दिए गए	बकाया अर्थोपाय अग्रिम
1999-00	3042	124972	127032	982
2000-01	982	131300	126887	5395
2001-02	5395	170953	171172	5176
2002-03	5176	118961	124137	शून्य
2003-04	शून्य	96615	96615	शून्य
2004-05	शून्य	62080	62080	शून्य

अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

5.17 31 मार्च 2005, को अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता, 68,435 करोड़ रु. थी। अधिकतर अप्रयुक्त बाह्य सहायता अवसंरचना क्षेत्र में परियोजनाओं के लिए थी (विवरण परिशिष्ट-V-बी में)। तालिका 5.9 वर्षवार अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता को दर्शाती है।

तालिका 5.9: अप्रयुक्त वचनबद्ध बाह्य सहायता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राशि
2000-01	56920
2001-02	62565
2002-03	67365
2003-04	64521
2004-05	68435

5.18 अनाहरित बाह्य सहायता पर वचनबद्धता प्रभार, बाद की तिथियों में आहरण हेतु पुनर्निर्धारित मूल राशि पर दिए जाते हैं। क्योंकि वचनबद्धता प्रभारों के भुगतान को दर्शाने के लिए लेखाओं में कोई पृथक शीर्ष नहीं है, इसे 'ब्याज देयता' शीर्ष के अन्तर्गत दर्शाया जाता है। तालिका 5.10, 2000-2005 के दौरान बाद की तिथियों में सहायता

के आहरण के पुनर्निर्धारित करने के लिए विभिन्न निकायों/सरकारों को दिए गए प्रभारों को दर्शाती है। यह इस सम्बन्ध में निरन्तर अपर्याप्त योजना की ओर संकेत करता है जिसके परिणामस्वरूप 2004-05 में 165.11 करोड़ रु. का वचनबद्ध प्रभारों के रूप में परिहार्य व्यय हुआ।

तालिका 5.10: वचनबद्धता प्रभार

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	ए डी बी	फ्रांस	जर्मनी	आईबीआरडी	जोड़
2000-01	13.52	0.27	0.19	26.25	40.23
2001-02	12.84	0.22	0.76	34.64	48.46
2002-03	26.45	0.19	0.95	39.60	67.19
2003-04	38.23	0.02	8.99	45.91	93.15
2004-05	45.10	शून्य	2.07	117.94	165.11

स्रोत: बाह्य सहायता विवरणिका 2002-2003. * आई.डी.ए. सहायता सम्मिलित है।

संघ सरकार की आकस्मिक देयताओं में वृद्धि

5.19 संघ सरकार की आकस्मिक देयताएं, निवेशकों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने और उधार जोखिम कम करने में इसकी अपनी भूमिका, विशेषकर उन क्रियाकलापों में जहाँ निवेश का स्वरूप लम्बी अवधि की परिपक्वताओं द्वारा विशेषीकृत किया जाता है, के कारण उत्पन्न होती हैं। जबकि गारंटियां रूढ़िगत रूप से मापे गए ऋण का भाग नहीं होती, चूक होने की स्थिति में, इससे सरकार की ऋण स्थिति में तेजी की संभावना होती है। गारंटियों का मामला, अवसंरचना की बढ़ती हुई निवेश आवश्यकता; इस प्रकार की परियोजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीधारी और इसके आह्वान किये जाने की बढ़ती सम्भावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण हो जाता है। रिसर्जेन्ट इण्डिया बॉन्ड्स और इण्डिया मिलेनियम डिपोजिट्स के लिए उपलब्ध विनिमय जोखिम गारंटियों में, सरकारी प्राप्तियों से पर्याप्त वित्तीय व्यय हुआ था। तालिका 5.11, 1999-2005 के दौरान, वित्तीय वर्ष के अन्त तक गारंटियों की अधिकतम राशि तथा गारंटीकृत राशियां तथा बकाया राशियों से संबंधित स्थिति को दर्शाती है।

तालिका 5.11: संघ सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष के अंत में स्थिति	गारंटी की अधिकतम राशि	बकाया गारंटीकृत राशि	बकाया बाह्य गारंटियां	बकाया गारंटीकृत राशियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया बाह्य गारंटियां
1999-2000	144438	83954	47663	56.77
2000-01	135678	86862	55664	64.08
2001-02	168712	96859	57006	58.65
2002-03	174487	90617	51097	56.39
2003-04	184420	87780	50328	57.33
2004-05	132728	107957	48276	44.72

5.20 कुल बकाया गारंटियाँ, स.घ.उ. का 4.27 प्रतिशत थी तथा संघ सरकार को प्रोद्भूत राजस्व प्राप्तियों का 35.22 प्रतिशत थी। तथापि, ये गारंटियाँ अनिर्णीत पेंशन भुगतानों के रूप में अस्पष्ट आकस्मिक देयताओं की राशि को शामिल नहीं करती हैं।

अध्याय 6

विनियोग लेखे 2004-05: प्रस्तावना

संवैधानिक प्रावधान

6.1 लोकसभा द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान मांगें पारित होने के तत्काल पश्चात्, सरकार अनुच्छेद 114 के अधीन भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) में से विनियोग कराने के लिए एक विनियोग बिल प्रस्तुत करती है। संसद द्वारा पारित विनियोग अधिनियम, सरकार को विशिष्ट सेवाओं के लिए भा.स.नि. से उपयुक्त विशिष्ट राशि के विनियोग का प्राधिकार देता है। संसद, संविधान के अनुच्छेद 115 की शर्तों के अनुसार अनुवर्ती विनियोग अधिनियमों द्वारा अनुपूरक अथवा अतिरिक्त अनुदान भी संस्वीकृत कर सकती है। विनियोग अधिनियमों में संवितरण, जो अनुच्छेद 114 तथा 115 की शर्तों के अनुसार विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत संसद द्वारा दत्तमत किए गए हैं, तथा संविधान के अनुच्छेद 112(3) तथा अनुच्छेद 293(2) की शर्तों के अनुसार भा.स.नि. को प्रभारित किए गए संवितरण शामिल हैं। सरकार प्रत्येक वर्ष विभिन्न सेवाओं पर वास्तव में व्यय की गई सकल राशि की तुलना में विनियोग अधिनियमों द्वारा प्राधिकृत किये गये व्यय के विवरण को दर्शाते हुए विनियोग लेखे तैयार करती है।

6.2 नियंत्रक महालेखा (नि.म.ले.) सिविल मंत्रालयों के 98 अनुदानों और विनियोजन के संबंध में विनियोग लेखे तैयार करता है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे और डाक विभाग अपने-अपने अनुदानों के विनियोग लेखे तैयार करते हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सरकार के कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों जैसे सिविल, रक्षा, डाक तथा रेलवे के संबंध में चार अलग-अलग विनियोग लेखे, प्रत्येक वर्ष संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत अपने प्रतिवेदन सहित राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है जो कि उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। 2004-05 के दौरान विभिन्न मंत्रालयों के अनुदानों तथा विनियोगों के लिए मांगों का विवरण निम्न प्रकार था:

क्रियाकलाप का क्षेत्र	अनुदानों/विनियोगों के लिए मांगों की संख्या
सिविल	98
रक्षा सेवायें	6
डाक सेवायें	1
रेलवे	16
योग :	121

6.3 इस प्रतिवेदन में, आबंटन से अधिक व्यय, जिसकी संसद द्वारा अनुमोदन की आवश्यकता हो; अव्ययित प्रावधान, जिसके स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो; अनियमित तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन, कुछ मंत्रालयों द्वारा आवश्यकता के बिना किए गए अनुपूरक प्रावधान, अवास्तविक बजट, तथा गहन परीक्षण के लिए चयनित मंत्रालयों के संबंध में विस्तृत अभ्युक्तियों का विश्लेषण, शामिल करते हुए विनियोग लेखाओं (सिविल, डाक तथा रक्षा सेवाओं), की लेखापरीक्षा टिप्पणियां, निहित हैं। क्षेत्रीय विशिष्टताओं की बेहतर समालोचना की सुविधा हेतु सिविल विभागों, डाक तथा रक्षा विनियोग सम्बन्धी सभी अनुदानों पर व्यापक रूप से विचार किया गया है। विनियोग लेखे की सम्पूर्ण प्रक्रिया को कवर करने के अनुक्रम में जहां आवश्यक है रेलवे विनियोगों को संदर्भित किया गया है। तथापि रेलवे विनियोग पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष 2006 की संख्या 6 के प्रतिवेदन में उपलब्ध है।

एक सारांश

6.4 तालिका 6.1 वर्ष 2004-05 के दौरान कुल प्रावधान (प्रभारित तथा दत्तमत-दोनों) तथा संवितरण दर्शाती है। **परिशिष्ट-VI-क** सिविल मंत्रालयों/विभागों, डाक, रक्षा सेवाओं तथा रेलवे के विनियोग लेखाओं के सारांश के ब्यौरे प्रस्तुत करता है।

तालिका 6.1: 2004-05 के दौरान प्रावधान तथा संवितरण

विभाग	कुल प्रावधान	संवितरण	(करोड़ रुपयों में)
			अव्ययित प्रावधान
सिविल	982390	977196	5194
डाक	6220	6091	129
रक्षा सेवाएं	80960	78633	2327
रेलवे	83543	84229	(+) 686*
कुल योग	1153113	1146149	6964

* आधिक्य

6.5 सिविल मंत्रालयों/विभागों से संबधित 5194 करोड़ रु. की राशि का निवल अव्ययित प्रावधान, दो अनुदानों और एक विनियोग के अंतर्गत और अनुदानों और विनियोगों में 38979 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधान के अंतर्गत 33785 करोड़ रु. के समग्र अत्यधिक व्यय के कारण था। 33785 करोड़ रु. के अधिक व्यय में से 33784 करोड़ रु., अनुदान सं. 38-ऋण का पुनर्भुगतान के अंतर्गत उच्च लागत के बाह्य कर्जों का पूर्व-भुगतान करने के कारण था। 38979 करोड़ रु. के समग्र अव्ययित प्रावधान में से 337 करोड़ रु. 91 दिवसीय खजाना बिलों पर बजट से कम ब्याज का भुगतान करने के कारण थे। इसको छोड़कर, सकल अव्ययित प्रावधान 38642 करोड़ रु. था।

6.6 सिविल मंत्रालयों से संबंधित अनुदानों/विनियोगों के अंतर्गत 205 अनुभागों में निवल अव्ययित प्रावधान और तीन अनुभागों में आधिक्य, डाक विभाग के दो अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और एक अनुभाग में आधिक्य, रक्षा मंत्रालय के दस अनुभागों में अव्ययित प्रावधान और दो अनुभागों में आधिक्य रेलवे के 20 अनुभागों में अव्ययित प्रावधान तथा 15 अनुभागों में आधिक्य थे। **परिशिष्ट-VI-ख** विवरणों के सार को दर्शाता है।

प्रभारित तथा दत्तमत संवितरण

6.7 **परिशिष्ट-VI-ग** में वर्ष 1993-2005 के लिए सिविल मंत्रालयों की अनुमोदित मांगों (अनुदान तथा विनियोग) के प्रति किए गए वास्तविक संवितरणों का विवरण निहित है। इन वर्षों, दौरान, सिविल मंत्रालयों के लिए कुल संवितरणों का 70 से 77 प्रतिशत भारत की समेकित निधि को प्रभारित था।

6.8 2004-05 के दौरान सिविल मंत्रालयों के अन्तर्गत कुल संवितरण 977196 करोड़ रु. के थे जो 2003-2004 के दौरान 830989 करोड़ रु. के कुल संवितरण से 146207 करोड़ रु. अधिक थे। यह 1993-94 में 271118 करोड़ रु. से 260 प्रतिशत तक बढ़ गया था। प्रभारित संवितरण 1993-94 में 188621 करोड़ रु. से 284 प्रतिशत तक बढ़ कर 2004-05 में 724942 करोड़ रु. थे तथा दत्तमत संवितरण उसी अवधि में 82497 करोड़ रु. से 206 प्रतिशत तक बढ़ कर 252254 करोड़ रु. तक हो गए थे। 2004-05 के दौरान सिविल मंत्रालयों के प्रभारित संवितरण मुख्यतः, ब्याज भुगतानों (130958 करोड़ रु. जो 2003-04 के लिए 128114 करोड़ रु. से दो प्रतिशत अधिक था), ऋण की अदायगी (556269 करोड़ रु.), मुख्यतः ब्लॉक अनुदानों के संबंध में राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को अंतरण, राज्य योजनागत योजनाओं के लिए कर्जे, ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऋण आदि के कारण था तथा कुल संवितरणों का 74 प्रतिशत बनता था।

6.9 जबकि प्रभारित संवितरणों के लिए संसद के मतदान की आवश्यकता नहीं होती, संसद द्वारा वित्तीय नियंत्रण का क्षेत्र सिविल मंत्रालयों में कुल संवितरण के केवल 26 प्रतिशत तक ही सीमित हो जाता है। तथापि, भा.स.नि. से कुल संवितरण (सकल - 1146149 करोड़ रु.) की पृष्ठभूमि में देखने पर प्रभारित संवितरण की प्रतिशतता 63 प्रतिशत (725036 करोड़ रु.) बनती थी (डाक, रक्षा एवं रेलवे सहित)।

संवितरण

6.10 **परिशिष्ट-VI-घ** में दिए गए विवरण यह दर्शाते हैं कि राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को दिए गए सहायता अनुदानों, पूंजीगत परिव्यय और निवेश पर संवितरण का मुख्य भाग मार्च 2005 माह में ही जारी किया गया था। चूंकि मार्च में विभिन्न संगठनों

को जारी की गई निधियां वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं हो सकती, यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि इन निधियों का उसी वर्ष के दौरान जो उसी माह के अंतिम दिन उन्हीं प्रयोजनों, जिनके लिए वे प्राधिकृत की गई थी, हेतु उपयोग किया गया था। उत्तर पूर्वी क्षेत्र, विकास मंत्रालय (अनुदान संख्या 29) ने जनवरी 2006 में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की और बताया कि अगले वर्ष से अंतिम तिमाही में अन्धाधुन्ध व्यय से बचने के लिए सचेतन प्रयास किए जा रहे थे। आर्थिक कार्य विभाग (अनुदान सं. 32) में, यू.एन.डी.पी. सहायता प्राप्त परियोजना के अंतर्गत मार्च 2005 में भुगतान जारी करने के लिए सार्वभौमिक संस्वीकृति जारी करके दिसम्बर 2005 में अन्धाधुन्ध व्यय आरोपित हुआ। वित्त मंत्रालय (अनुदान सं. 43) में (दिसम्बर 2005) वित्तीय वर्ष के अंत में तैयार निर्मित कार्यालय आवासों की खरीद के लिए, खरीद के अधिकतर प्रस्तावों की निकासी के लिए अन्धाधुन्ध व्यय आरोपित किया। वित्त मंत्रालय ने (अनुदान सं.44) मार्च 2005 के अंत में अधिकतर खरीद प्रस्तावों की निकासी पर अन्धाधुन्ध व्यय आरोपित किया (जनवरी 2006)। आयुष विभाग स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, (अनुदान सं.48) ने इसे रेडक्रॉस सोसाईटी के साथ किराया अनुबन्ध में निष्पादन में विलम्ब, सं.अ.स्तर पर निधियों की वृद्धि, शर्तों के अनुसार अन्तिम तिमाही में निर्माण कार्य के भुगतानों का संवितरण इत्यादि पर आरोपित किया (जनवरी 2006)। गृह मंत्रालय (अनुदान सं.55) द्वारा अन्धाधुन्ध व्यय को राज्य सरकारों से योजनाओं के लिए बिलों और प्रस्तावों के वित्तीय वर्ष के अन्त में प्राप्ति पर आरोपित किया। मानव संसाधन विकास (अनुदान सं.58) ने बताया (जनवरी 2006) कि मंत्री को वर्ष के अन्त में निधियों के उपयोग करने का विवेकाधीन अधिकार था और अन्धाधुन्ध व्यय उत्तरी पूर्वी क्षेत्र विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इटानगर से वित्तीय विवरण की प्राप्ति में विलम्ब, अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच में निधियों का अनुमोदन और प्रस्तावों के देर से प्राप्त होने इत्यादि के कारण था। विधि एवं न्याय मंत्रालय (अनुदान सं.63) ने अन्धाधुन्ध व्यय को राज्यों और संघ शासित राज्यों में जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों में कम्प्यूटरीकरण के लिए परियोजना के कार्यान्वयन जिसे आर्थिक मामलों पर केबिनेट समिति द्वारा मार्च 2005 में अनुमोदित किया गया था, पर आरोपित किया (जनवरी 2006)। कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (अनुदान सं. 70) ने अन्धाधुन्ध व्यय को तैयार फ्लैटों की खरीद के लिए दि.वि.प्रा. से भुगतान के लिए मांग की देर से प्राप्ति और राज्य सरकारों द्वारा किये गये वास्तविक व्यय के विलम्ब विवरणों की प्राप्ति पर आरोपित किया गया (जनवरी 2006)। विदेशी भारतीय कार्य मंत्रालय (अनुदान सं. 66) ने अन्धाधुन्ध व्यय को अन्तिम तिमाही में कार्यालय भवन के लिए भूमि के आबंटन आदि पर आरोपित किया (दिसम्बर 2005)।

अध्याय 7

विनियोग लेखे 2004-05: एक विश्लेषण

अनुदानों/विनियोगों की तुलना में अधिक संवितरण

7.1 संविधान के अनुच्छेद 114(3) में व्यवस्था है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार विधि द्वारा पारित किए गए विनियोगों के अधीन को छोड़कर, कोई भी धन, भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) से, आहरित नहीं किया जाए। इसके अतिरिक्त, सामान्य वित्तीय नियमावली (सा.वि.नि.) के नियम 71 में अनुबंध है कि अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने या आकस्मिक निधि से अग्रिम को छोड़कर, कोई ऐसा संवितरण नहीं किया जाना चाहिए जिसके कारण वह एक वित्तीय वर्ष के लिए संसद द्वारा प्राधिकृत कुल अनुदान अथवा विनियोग से अधिक हो जाए। तालिका 7.1 में भा.स.नि. से अनुमोदन से अधिक कुल आधिक्य का सार सम्मिलित है। 2004-05 के दौरान, सिविल मंत्रालयों में तीन अनुदानों के तीन खण्डों में 337845261673 रु. (अर्थात् 33784.53 करोड़ रु.), रेलवे के 10 अनुदानों/विनियोगों के 15 खण्डों के अंतर्गत 2104.61 करोड़ रु., रक्षा में दो अनुदान के दो खंडों में 41.99 करोड़ रु. तथा डाक में एक अनुदान के खंड में 0.05 करोड़ रु. का अधिक संवितरण था। इनका विस्तृत विवरण तालिका 7.2 में दिया गया है तथा संविधान के अनुच्छेद 115(1)(ख) के अंतर्गत नियमन की आवश्यकता है।

तालिका 7.1: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरणों का सार

		(रुपयों में)				
		सिविल	रेलवे	रक्षा	डाक	
दत्तमत	राजस्व	-	7145586950	419931967		
	पूंजीगत	-	13890900134	-		
प्रभारित	राजस्व	9769304	6434812	-	498909	
	पूंजीगत	337835492369	3181125	-		
अनुदानों/विनियोगों की संख्या		3	10	2	1	
कुल आधिक्य		337845261673	2104610302	419931967	498909	340370302851

तालिका 7.2: अनुदानों/विनियोगों से अधिक संवितरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए कारण	
सिविल:				
राजस्व (प्रभारित)				
1.	21- रक्षा मंत्रालय	अनुदान व्यय आधिक्य	8600000 15743011 7143011	डाटा एन्ट्री आपरेटर के संबंध में न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के अत्याधिक मामलों का अन्तिम रूप देने के कारण।
2.	100 - शहरी विकास विभाग	अनुदान व्यय आधिक्य	229600000 232226293 2626293	अनुरक्षण कार्य के लिए कच्ची सामग्री जैसे स्टील, सीमेन्ट, इत्यादि की कीमतों में वृद्धि की बढ़ती प्रवृत्ति के कारण।
पूँजीगत(प्रभारित)				
3.	38- ऋण का पुनर्भुगतान	अनुदान व्यय आधिक्य	5224852300000 5562687792369 337835492369	अपेक्षा से अधिक ट्रेजरी बिलों के अत्याधिक प्रतिदान तथा राज्य सरकारों द्वारा अपेक्षा से अधिक निवेश के कारण।
डाक सेवाएं				
राजस्व (प्रभारित)				
4.	14-डाक	अनुदान व्यय आधिक्य	2300000 2798909 498909	न्यायालय की अवमानना तथा ब्याज से बचने के लिए न्यायिक आदेशों के अंतर्गत भुगतान।
रक्षा:				
राजस्व (दत्तमत)				
5.	26- रक्षा आयुध कारखाने	विनियोग व्यय आधिक्य	10189900000 10589908594 400008594	घटाव शीर्ष के अन्तर्गत आयुध कारखानों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति में कमी के कारण।
6.	27- रक्षा सेवाएं - अनुसंधान तथा विकास	विनियोग व्यय आधिक्य	24198500000 24218423373 19923373	बकाया वचनबद्धताओं के प्रति भुगतान अपेक्षा से अधिक बुकिंग, कई वचनबद्धताओं को पूरा करने, विद्युत प्रशुल्कों तथा मजदूरी का अपेक्षा से अधिक भुगतान के कारण।
रेलवे:				
राजस्व (दत्तमत)				
7.	3- सामान्य अधीक्षण एवं सेवाएं	अनुदान व्यय आधिक्य	18016872000 18113311447 96439447	विवरण 2006 का प्रतिवेदन सं. 6 (रेलवे) में दिया गया है।
8.	4- स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	32997141000 33233661623 236520623	-वही-

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग	रूप	सरकार द्वारा बताए गए कारण	
9.	5 - प्रेरक बल की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	16691965000 17045897816 353932816	- वही -
10.	6- डिब्बों तथा वैगनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	अनुदान व्यय आधिक्य	34606234000 35165895544 559661544	-वही-
11.	9- संचालन खर्च - यातायात	विनियोग व्यय आधिक्य	71220128000 71686599007 466471007	-वही-
12.	10- संचालन खर्च - ईंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	87590756000 88194086886 603330886	-वही-
13.	11- स्टाफ कल्याण तथा सुख सुविधाएँ	विनियोग व्यय आधिक्य	13937016000 13975292567 38276567	-वही-
14.	14 - निधियों के विनियोग - डी.आर.एफ, डी.एफ, पेंशन तथा सी.एफ	विनियोग व्यय आधिक्य	116543000000 121333954060 4790954060	- वही -
पूँजीगत (दत्तमत)				
15.	16- परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, इत्यादि पूँजीगत	अनुदान व्यय आधिक्य	216145271000 230036171134 13890900134	विवरण 2006 का प्रतिवेदन सं. 6 (रेलवे) में दिया गया है।
राजस्व (प्रभारित)				
16.	4-स्थायी मार्गों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	4253000 4855713 602713	विवरण 2006 का प्रतिवेदन सं. 6 (रेलवे) में दिया गया है
17.	5 -प्रेरक बल की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	139000 180522 41522	- वही -
18.	6- डिब्बों तथा वैगनों की मरम्मत एवं अनुरक्षण	विनियोग व्यय आधिक्य	48950000 48964763 14763	-वही-
19.	10 - संचालन खर्च - ईंधन	विनियोग व्यय आधिक्य	83345000 88345000 5000000	-वही-
20.	13 -भविष्य निधि, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	विनियोग व्यय आधिक्य	7366000 8141814 775814	-वही-
पूँजीगत (प्रभारित)				
21.	16 - परिसम्पत्तियां - अधिग्रहण, निर्माण, इत्यादि पूँजीगत	विनियोग व्यय आधिक्य	209696000 212877125 3181125	-वही-

7.2 रेलवे के अधिक संवितरणों के विवरण तथा अनुदानों से संबंधित अन्य विवरण भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 2006 के प्रतिवेदन सं. 6 में उल्लिखित हैं।

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

7.3 भुगतान एवं लेखा अधिकारी किसी उप-शीर्ष अथवा प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट आवंटन से अधिक भुगतान के केवल अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से यह आश्वासन प्राप्त करने के पश्चात ही कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश इत्यादि जारी करने पर प्रदान की जाएगी। यद्यपि, 2004-05 वर्ष के शीर्ष-वार विनियोग खातों में 10 अनुदानों तथा विनियोगों के 24 मामलों में देखा गया कि यद्यपि उपशीर्षों में उपलब्ध प्रावधानों से 43389.66 करोड़ रूपए का अधिक व्यय किया गया संबंधित अनुदान/विनियोग को प्रबंधित करने वाले प्राधिकारी ने व्यय को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किए थे, जो बजटीय नियंत्रण में ढिलाई को दर्शाते हैं। कुछ मामले जिनमें 2 करोड़ या इससे अधिक आधिक्य हुए, **परिशिष्ट VII-क** में दिए गए हैं। राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (अनुदान सं.43) ने बताया (दिसम्बर 2005) कि व्यय विभाग के अनुमोदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में अधिक व्यय किया गया तथा बाद में व्यय विभाग ने पुनर्नियोजन के प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया, जिसका परिणाम अधिक व्यय में हुआ। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि अनुमोदन की प्रत्याशा में अधिक व्यय करना अनियमित था।

100 करोड़ रु. अथवा अधिक के अव्ययित प्रावधान

7.4 एक अनुदान अथवा विनियोग में अव्ययित प्रावधान या तो खराब बजटीय अथवा निष्पादन में कमी अथवा दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2004-05 के दौरान 38 अनुदानों और एक विनियोग से सम्बन्धित 48 मामलों में 100 करोड़ रु. से अधिक के अव्ययित प्रावधान हुए, जिनकी लोक लेखा समिति को विस्तृत व्याख्यात्मक टिप्पणी दी जाने की आवश्यकता है। अधिक अव्ययित प्रावधान कृषि, ऊर्जा, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण, परिवार कल्याण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, भूतल परिवहन एवं राजमार्गों, पेयजल आपूर्ति, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा जहाजरानी जैसे क्षेत्रों में थे। मंत्रालयों/विभागों द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए कुछ योजनाओं को आरम्भ करने में असफल होना बताया गया था। **परिशिष्ट-VII-ख** अव्ययित प्रावधानों के ब्यौरे दर्शाता है।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

7.5 सा.वि.नि. 69 के प्रावधानों के अनुसार, अनुदान अथवा विनियोग से अव्ययित प्रावधान का जैसे ही पूर्वानुमान लग जाए उसे वर्ष के अंतिम दिन की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को अभ्यर्पित कर दिया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को भविष्य में सम्भावित

आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। 2004-05 के दौरान, सिविल मंत्रालयों के 96 अनुदानों/विनियोगों के 205 खण्डों के अंतर्गत 38978.59 करोड़ रु. का अव्ययित प्रावधान था। यह दो अनुदानों तथा एक विनियोगों के तीन खण्डों के अंतर्गत आधिक्य के द्वारा प्रतिसन्तुलित किया गया था, परिणामतः 5194.06 करोड़ रु. का निवल आधिक्य रहा।

अभ्यर्पित की गई राशियाँ तालिका 7.3 में दर्शाई गई हैं।

तालिका 7.3: अव्ययित प्रावधान तथा अभ्यर्पण का विवरण

	निवल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित की गई राशि	अन्तिम तिथि को अभ्यर्पित की गई राशि	(करोड़ रुपयों में) अभ्यर्पित न की गई राशि
राजस्व				
दत्तमत	18236.16	15121.02	13944.40	3115.14
प्रभारित	7108.03	7772.66	7772.08	-
कुल : राजस्व	25344.19	22893.68	21716.48	-
पूँजीगत				
दत्तमत	8064.10	7025.80	6851.83	1038.30
प्रभारित	(+) 28214.23	13549.70	13549.70	-
कुल : राजस्व	(+) 20150.13	20575.50	20401.53	-
सकल योग	5194.06	43469.18	42118.01	-

7.6 ब्याज भुगतान, लोक निर्माण, विदेश मंत्रालय, गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधन पंचायती राज, विदेशी भारतीय मामले, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन, ऊर्जा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता तथा रक्षा सेवाएं - नौसेना के संबंध में अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत अभ्यर्पित की गई राशि अव्ययित प्रावधानों से अधिक थी। विवरण परिशिष्ट-VII-ग में दिए गए हैं।

निधियों का पुनर्विनियोग

7.7 संवितरण के लिए कोई अनुदान अथवा विनियोग उन उपशीर्षों अथवा मानक विषयों में वितरित किया जाता है जिनके अन्तर्गत उसे लेखाबद्ध किया जाता है। वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले सक्षम अधिशासी प्राधिकारी द्वारा एक अनुदान अथवा विनियोग के भीतर प्राथमिक इकाइयों के बीच जिसके साथ ऐसी अनुदान अथवा विनियोग सम्बन्धित है, का पुनर्विनियोजन अनुमोदित कर सकता है। निधियों का पुनर्विनियोग केवल तभी करना चाहिए जब यह ज्ञात हो अथवा प्रत्याशित हो कि उस

इकाई के विनियोग, जिससे निधियों का अन्तरण किया जाना है, को पूरी तरह प्रयोग में नहीं लाया जायेगा अथवा अव्ययित प्रावधान को पुनर्विनियोजन की इकाई में प्रभावी किया जा सकता है।

7.8 2004-05 के लिए पुनर्विनियोजन आदेशों के संदर्भ में विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि संसद द्वारा प्राधिकृत मूल प्रयोजन/कार्यकलाप को विफल करते हुए विभिन्न प्राथमिक इकाइयों के बीच निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किए गए थे। कुछ मामले जहाँ पर निधियों के भारी पुनर्विनियोजन किये गये थे, कृषि (510 करोड़ रु.) उर्वरक विभाग (269 करोड़ रु.), पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (172 करोड़ रु.), राज्य तथा सं.शा.क्षे. सरकारों को अंतरित (7686 करोड़ रु.), भारी उद्योग विभाग (593 करोड़ रु.), पेय जलापूर्ति विभाग (397 करोड़ रु.), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग विभाग (413 करोड़ रु.) अंतरिक्ष विभाग (284 करोड़ रु.), ब्याज भुगतान (4175 करोड़ रु.), स्वास्थ्य विभाग (631 करोड़ रु.), परिवार कल्याण विभाग (403 करोड़ रु.), पुलिस (505 करोड़ रु.), महिला, बाल विकास विभाग (462 करोड़ रु.) तथा ग्रामीण विकास विभाग (1637 करोड़ रु.) में थे।

उप-शीर्षों को अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजन

7.9 लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि सात अनुदानों/विनियोगों के सात मामलों में, कुल 33.09 करोड़ रु. का पुनर्विनियोजन अविवेकपूर्ण था क्योंकि जिन उपशीर्षों में निधियां पुनर्विनियोजन के द्वारा अन्तरित की गई थी उनके अन्तर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। एक करोड़ रु. से अधिक के कुछ मामले **परिशिष्ट-VII-घ** में दिए गए हैं। परिणामतः उप शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचतें इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। वित्त मंत्रालय (अनुदान सं.42) ने दिसम्बर में पुनर्विनियोजन के लिए क्षारोद के निष्कर्षण के लिए अपेक्षा से कम अफीम की मात्रा का उपभोग होने, 11 के.वी. से 33 के.वी. की पावर लाईन इत्यादि को परिवर्तित करने के कार्य के पूरा न होने के कारणों को आरोपित किया 1 राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय (अनुदान संख्या:44) ने बचतों को जनवरी 2006 में क्षेत्रीय प्राधिकारियों द्वारा सूचित अनुमानित व्यय की उचित शुद्धता के साथ योजना की आवश्यकताओं का सही अनुमान लगाने में कठिनाईयों तथा खाली पदों को न भरने तथा बकाया बिलों के निपटान को आरोपित किया।

अनियमित पुनर्विनियोग

7.10 वित्त मंत्रालय ने अनुदेश जारी किये थे कि वर्ष के दौरान जारी कोई भी पुनर्विनियोजन आदेश जिसका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत 25 प्रतिशत से अधिक अथवा एक करोड़ रु. जो भी अधिक हो, तक बजट प्रावधान को बढ़ाने का प्रभाव हो, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना चाहिए। विशेष मामलों में, अनुपूरक मांगों की अंतिम बैच के प्रस्तुतीकरण के पश्चात मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी

किसी भी पुनर्विनियोजन आदेश की उपरोक्त सीमा बढ़ जाने पर सचिव/अपर सचिव, व्यय विभाग, का पूर्वानुमोदन अपेक्षित है।

7.11 2004-05 के लिए विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि 77 अनुदानों/विनियोगों के 501 उप-शीर्ष/मामले ऐसे थे जिनमें एक करोड़ रूपए से अधिक का पुनर्विनियोजन किया गया था। इनमें से, 67 अनुदान/विनियोगों के 258 उप-शीर्षों/मामलों में पुनर्विनियोजन बजट प्रावधान के 25 प्रतिशत से बढ़ गया तथा इन्हें अनुपूरक अनुदान मांगों की अंतिम बैच के साथ संसद को सूचित किया जाना अपेक्षित था। केवल 74 मामलों में ऐसे पुनर्विनियोजन संसद को सूचित किए गए थे।

सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन के बिना पुनर्विनियोजन

7.12 सभी पुनर्विनियोजन जिनका एक उप-शीर्ष के अंतर्गत एक करोड़ रु. अथवा अधिक से बजट प्रावधान बढ़ाने में प्रभाव पड़ता हो, सचिव (व्यय) के पूर्वानुमोदन से ही किए जाने चाहिए, चाहे पुनर्विनियोजित राशि पूर्ववर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित पुनर्विनियोजन नियन्त्रण की सीमा प्रावधान के 25 प्रतिशत के भीतर हो। तालिका 7.4 में उल्लिखित मामलों में, एक करोड़ रुपये से अधिक के पुनर्विनियोजन के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन नहीं लिया गया था। अपने उत्तर में वित्त मंत्रालय (अनुदान सं. 44) ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए जनवरी 2006 में बताया कि भविष्य में उपयुक्त प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा। आयुष विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (अनुदान सं.48) ने बताया (जनवरी 2006) कि मुख्य शीर्ष - 2552-उत्तर पूर्वी क्षेत्रों से उप-शीर्षों को पुनर्विनियोजन किया गया था जिसके लिए सचिव (व्यय) के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं थी। उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

तालिका 7.4: मामले जिनमें पुनर्विनियोग के लिए सचिव (व्यय) का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया गया था

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
1.	33 - मुद्रा, सिक्के एवं टिकट	4046 - मुद्रा, सिक्के एवं टकसाल पर पूंजीगत परिव्यय	धातु	मू. 0.71 पु.वि. 2.07	
2.	36 - राज्य और संघ शासित सरकार को अन्तरण	2245 - प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि को अंतरण	मू. 1600.00 पु.वि. 1000.00	
3.	44 - अप्रत्यक्ष कर	2037 - सीमाशुल्क	राजस्व आसूचना निदेशालय	मू. 25.04 अनु. 0.55 पु.वि. 1.50	
4.	-वही-	2038 - संघ उत्पाद शुल्क	आयुक्तालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)	मू. 705.35 अनु. 36.97 पु.वि. 13.06	

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
5.	-वही-	-वही-	प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, प्र.मु.ले.नि. के वेतन एवं लेखा कार्यालय (केन्द्रीय उत्पाद कर)	मू: 13.25 पु.वि. 1.09	
6.	- वही -	-वही-	भूमि सीमाशुल्क की वसूली	मू: 6.42 पु.वि. 1.05	
7.	47-स्वास्थ्य विभाग	2210 - चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य	औषधालयों/अस्पतालों की स्थापना ।	मू: 258.50 पु.वि. 79.65	
8.	- वही -	- वही -	डा.राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली	वा: 68.60 पु.वि. 3.15	
9.	-वही-	-वही-	केन्द्रीय मनोरोगविज्ञान संस्थान, राँची	मू: 12.10 पु.वि. 2.90	
10.	-वही-	- वही -	कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली	मू: 17.25 अनु. 1.02	
11.	-वही-	-वही-	अस्पताल अविशिष्ट प्रबन्धन	मू: 4.50 पु.वि. 1.80	
12.	- वही -	- वही -	कैंसर अनुसंधान	मू: 46.50 पु.वि. 13.84	
13.	- वही -	- वही -	उत्तर पूर्वी इन्दिरा गांधी क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान, शिलांग	पु.वि. 70.00	
14.	- वही -	- वही -	ट्रेकोमा और अन्धापन नियंत्रण कार्यक्रम	मू: 29.50 पु.वि. 18.91	
15.	- वही -	- वही -	राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम	मू: 89.00 अनु. 14.00 पु.वि. 21.61	
16.	- वही -	- वही -	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	मू: 232.00 अनु. 190.00 पु.वि. 45.36	
17.	- वही -	- वही -	प्रशासन एवं खाद्य पदार्थ मिलावट रोकथाम	मू: 27.10 पु.वि. 17.29	
18.	- वही -	- वही -	केन्द्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन	मू: 16.60 पु.वि. 11.52	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
19.	- वही -	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	राष्ट्रीय मलेरिया रोधक कार्यक्रम (ग्रामीण) (सामान्य घटक)	मू. पु.वि.	40.26 48.53
20.	48 - आयुष विभाग	2210 - चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	राष्ट्रीय चिकित्सा पादक बोर्ड का गठन	मू. पु.वि.	23.05 4.51
21.	- वही -	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	राज्य औषधि जांच प्रयोगशालाएं/भेषजी	मू. पु.वि.	3.00 7.88
22.	- वही -	- वही -	आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी एवं होम्योपैथिक के लिए आवश्यक औषधि (आई.एस.एम.एवं एच) विभिन्न राज्यों में ग्रामीण एवं पिछड़े राज्यों के लिए औषधालय	मू. अनु. पु.वि.	12.00 8.50 1.25
23.	- वही -	- वही -	जिला अस्पतालों में आई.एस.एम. स्कंध का गठन	मू. पु.वि.	3.00 7.70
24.	49 - परिवार कल्याण विभाग	2211 - परिवार कल्याण	मुख्यालय पर कार्यकलाप	मू. अनु. पु.वि.	4.50 0.01 6.98
25.	- वही -	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	मू. पु.वि.	58.82 1.68
26.	- वही -	- वही -	पी.ओ.एल./वाहनों के प्रापण के लिए प्रावधान	मू. पु.वि.	49.45 1.15
27.	- वही -	- वही -	बन्धीकरण के लिए क्षतिपूर्ति	मू. पु.वि.	195.15 8.78
28.	- वही -	- वही -	ए.एन.एम./एल.एच.वी का प्रशिक्षण	मू. पु.वि.	65.62 4.68
29.	- वही -	- वही -	राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का अनुक्षण	मू. पु.वि.	194.06 12.10

क्र. सं.	अनुदान की सं. एवं नाम	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष		राशि
30.	- वही -	- वही -	उप-केन्द्र	मू.	1527.46
				अनु.	190.00
				पु.वि.	69.93
31.	57 - शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	2202 - सामान्य शिक्षा	सर्व शिक्षा अभियान	मू.	3035.15
				अनु.	1676.30
				पु.वि.	409.29
32.	60 - सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	2220 - सूचना एवं प्रचार	फिल्म प्रभाग	मू.	23.85
				पु.वि.	1.17
33.	- वही -	- वही -	प्रेस सूचना ब्यूरो	मू.	19.09
				पु.वि.	1.79
34.	- वही -	- वही -	क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	मू.	21.28
				पु.वि.	1.54
35.	- वही -	- वही -	रोजगार समाचार सेवाएं	मू.	20.00
				पु.वि.	4.08
36.	- वही -	2221 - प्रसारण	प्रसार भारती	मू.	975.22
				अनु.	18.52
				पु.वि.	17.04
37.	90 - सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	3454 - जनगणना, सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	अधीनस्थ कार्यालय	मू.	80.53
				अनु.	0.64
				पु.वि.	3.78
38.	94 - जनजाति मामले मंत्रालय	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	पी एम एस, बुक बैंक तथा ज.जा.विद्यार्थियों के गुण उन्नयन की योजना	मू.	64.35
				पु.वि.	12.00

मू. = मूल प्रावधान

अनु. = अनुपूरक

पु.वि. = पुनर्विनियोजन

अनावश्यक अनुपूरक अनुदान

7.13 1998-99 से आगे सिविल मन्त्रालयों के अन्तर्गत प्राप्त मूल तथा अनुपूरक अनुदानों तथा मूल प्रावधानों से अनुपूरक प्रावधानों की प्रतिशतता की स्थिति परिशिष्ट - VII-ई में दी गई है। 22 अनुदानों से सम्बन्धित 29 मामलों में, जिनके ब्यौरे तालिका

7.5 में दिये गये हैं, जबकि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में 2004-05 के दौरान 2259.81 करोड़ रू. प्राप्त किये थे, अन्तिम ब्यय मूल अनुदान/विनियोग से भी कम हुआ था। अनुपूरक प्रावधान की कुल राशि का अनावश्यक शेष रहना त्रुटिपूर्ण बजट बनाने को इंगित करता है।

तालिका 7.5: अनुपूरक अनुदान/विनियोग से अधिक अव्ययित प्रावधान

(करोड रूपयों में)

क्रम सं.	अनुदान/विनियोग	मूल प्रावधान	प्राप्त अनुपूरक अनुदान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
राजस्व दत्तमत्त					
1	1-कृषि तथा सहकारिता विभाग	2782.77	397.06	2617.03	562.80
2	34-वित्तीय संस्थानों को भुगतान	3515.41	109.93	2091.33	1534.01
3	49-परिवार कल्याण विभाग	6696.37	280.02	5816.96	1159.43
4	50-भारी उद्योग विभाग	159.87	2.95	85.54	77.28
5	52-गृह मंत्रालय	707.21	8.87	698.99	17.09
6	60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	1263.35	18.52	1248.96	32.91
7	66-भारतीय विदेश मामले मंत्रालय	6.00	3.00	5.84	3.16
8	68-समुद्री विकास विभाग	229.08	37.00	227.62	38.46
9	82-पेय जलापूर्ति विभाग	3301.39	248.00	3283.51	265.88
10	84-वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	1295.90	41.02	1283.93	52.99
11	86-जहाजरानी मंत्रालय	570.55	29.66	489.41	110.80
12	90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1834.87	0.65	1531.41	304.11
13	93-पर्यटन मंत्रालय	227.24	3.50	200.79	29.95
14	98- दमन एवं दीव	247.50	8.11	247.36	8.25
15	99- लक्षद्वीप	218.66	4.14	217.18	5.62
16	104-जल संसाधन मंत्रालय	793.38	5.00	618.79	179.59
राजस्व प्रभारित					
17	79- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	0.40	0.10	0.22	0.28
पूंजीगत दत्तमत्त					
18	1- कृषि तथा सहकारिता विभाग	94.73	20.91	88.68	26.96
19	18-उपभोक्ता मामले विभाग	9.46	20.20	5.81	23.85

20	54-पुलिस	1501.95	6.00	1364.74	143.21
21	83-विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	70.70	9.01	45.63	34.08
22	84- वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान विभाग	4.10	9.00	2.06	11.04
23	86- जहाजरानी मंत्रालय	307.63	40.01	92.64	255.00
24	93- पर्यटन मंत्रालय	314.50	2.00	298.33	18.17
25	79- लक्षद्वीप	38.03	0.35	36.68	1.70
26	104- जल संसाधन मंत्रालय	57.48	6.50	56.26	7.72
पूँजीगत प्रभारित					
27	36-राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अंतरण	26767.92	947.01	24040.57	3674.36
28	100- शहरी विकास विभाग	9.00	1.13	8.24	1.89
29	104- जल संसाधन मंत्रालय	3.50	0.25	2.18	1.57
योग		2259.81			

व्यय/संशोधित अनुमानों का अवास्तविक अनुमान

7.14 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय/विभागों ने तालिका 7.6 में दर्शाई गई योजनाओं/गतिविधियों के अन्तर्गत विभिन्न उद्देश्यों के लिए बड़ी राशि की अतिरिक्त आवश्यकता की सूचना संसद को दी परन्तु अन्ततः वे न केवल समस्त अनुपूरक अनुदानों या उसके भाग, बल्कि कुछ मामलों में मूल बजट प्रावधान को भी व्यय करने में असमर्थ रहे। वित्त मंत्रालय (अनुदान सं. 44) द्वारा बचतों का बचत के लिए खाली पदों को न भरा जाना, कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरी इत्यादि को आरोपित किया था (जनवरी 2006)। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विषयों के क्रम का पूर्वानुमान लगाए बिना अत्याधिक अनुपूरक अनुदान को प्राप्त करना मंत्रालय की ओर से अनियमितता थी। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (अनुदान सं. 48) के जनवरी 2006 बचत के कारणों को पदों के सृजन न होने पर आरोपित किया। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि इस आकसमिकता के पूर्वानुमान के बिना, मंत्रालय ने अनुपूरक अनुदान प्राप्त की।

तालिका 7.6 उप-शीर्षों के अन्तर्गत अतिरिक्त अनुपूरक निधियों को दर्शाती विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक सवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
1.	31- विदेश मंत्रालय	2061.00.798.02- अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं	1.39	0.87	0.36	1.90	अंशदानों का कुछ भाग कार्यान्वित न होने के कारण बचत हुई थी।
2.	31- विदेश मंत्रालय	3605.00.101. अप्रीकन देशों को सहायता	104.54	2.30	75.80	31.03	मारीसस में सभाकेन्द्र के लिए भुगतान जारी न करने तथा प्रक्रियात्मक कठिनाइयों के कारण
3.	34- वित्तीय संस्थाओं को भुगतान	2416.00.800.01- कृषि तथा ग्रामीण विभाग के राष्ट्रीय बैंक को अनुदान (नाबार्ड)	805.30	5.01	42.80	767.51	सहकारिता पर टास्क फोर्स द्वारा रिपोर्ट को अन्तिम रूप न देने के कारण बचत हुई थी।
4.	38- ऋण का पुनर्भुगतान	6001.00.112- 10% राहत बांड, 1993	0.50	1.87	0.16	2.21	धारकों द्वारा अपेक्षा से कम दावों के कारण बचत हुई थी।
5.	- वही -	6001.00.106.15- 9% राहत बांड, 1987	5.00	13.67	0.47	18.20	धारकों द्वारा अपेक्षाकृत कम दावों के कारण बचत हुई थी।
6.	- वही -	6001.00.106.18- 9% राहत बांड, 1993	7.50	1.79	0.74	8.55	धारकों द्वारा अपेक्षाकृत कम दावों के कारण बचत हुई थी।
7.	43- प्रत्यक्ष कर	2020.00.101.01- आयुक्त तथा उनके कार्यालय	1080.37	11.40	1058.62	33.15	व्यापक कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत हार्डवेयर/साफ्टवेयर कम्प्यूटर के आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को भुगतान न करना।
8.	44- अप्रत्यक्ष कर	2037.00.101.01- समुद्री सीमाशुल्क - महापत्तन	159.07.	3.50	140.69	21.87	रिक्त पदों को न भरने, मुख्य कम्प्यूटरीकरण प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में देरियों तथा भुगतान क्रियाविधि में परिवर्तन।
9.	44- अप्रत्यक्ष कर	2037.00.102.01- समुद्री सीमाशुल्क - महापत्तन	259.66	4.50	241.86	22.30	रिक्त पदों के न भरने तथा पंचाट नीति में परिवर्तन के कारण मामलों को अन्तिम रूप न देना।

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	अनुदान सं. व नाम	मुख्य शीर्ष/उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	वास्तविक सवितरण	अव्ययित प्रावधान	मंत्रालय/विभाग द्वारा आरोपित कारण
10.	47- स्वास्थ्य विभाग	3601.04.263.62- राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम (ग्रामीण) (ई.ए.सी.)	86.00	23.00	30.38	78.62	आवश्यकताओं पर अनिवार्य शर्त के सम्बन्ध में विश्व बैंक की आपत्ति के कारण कीटनाशक इत्यादि की खरीद में देरी, बोली दस्तावेज में वि.स्वा.सं. अच्छे विनिर्माण प्रक्रियाएं के कारण बचत
11.	48- आयुष विभाग	2210.02.101.09- के.स.स्वा.यो. आर्युवेद अस्पताल	1.03	0.19	0.92	0.30	के.स.स्वा.यो. आर्युवेद अस्पताल में आवश्यक पर्दों के सृजन न करने के कारण बचत हुई थी।
12.	58- माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	2251.00.090.17- माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर शिक्षा विभाग	27.54	1.67	27.26	1.95	रिक्त पर्दों को न भरना, किफायती उपाय, कम विदेशी दौरे तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति की कम प्राप्ति।
13.	- वही -	2203.00.105.11- नए बहुशिल्पों की स्थापना।	--	14.40	--	14.40	तकनीकी कार्रवाई के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होना।
14.	- वही -	2203.00.105.12- बहुशिल्प में संरचना विकास कार्यक्रम	--	8.11	--	8.11	तकनीकी कार्रवाई के कारण परियोजनाओं का कार्यान्वयन न होना।
15.	- वही -	2552.00.800.14- उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तथा सिक्किम की परियोजनाओं/ योजनाओं के लिए प्रावधान	--	10.51	--	10.51	उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के लाभ के लिए योजनाओं में प्रयोग हेतु कार्यात्मक शीर्षों में अंश निधियां का पुनर्विनियोजन

निधियों का अनियमित पुनर्विनियोजन

7.15 व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को मार्च 2005 में निर्देश जारी किए कि राजस्व तथा पूंजीगत व्ययों के मुख्य शीर्षों क्रमशः "2552" तथा "4552" के अन्तर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम की परियोजनाओं/योजना के लिए एक मुश्त प्रावधान को सिक्किम सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लाभ के लिए कार्यात्मक शीर्षों का पुनर्विनियोजन करने के निर्देश जारी किए थे ।

7.16 अनुदान सं.16 - सूचना प्रौद्योगिक विभाग के विनियोजन खातों की नमूना जांच के दौरान पाया कि सू.प्रौ.वि. ने सू.प्रौ.वि. तथा रा.सू.के. के वेतन तथा अन्य प्रशासनिक व्ययों को पूरा करने के लिए मुख्य उपशीर्ष क्रमशः '2552' तथा '4552' से कुल 13.40 करोड़ रूपए की विधियों का पुनर्विनियोजन किया, जो कि अनियमित था ।

डाक सेवाएं (अनुदान सं.14)

7.17 अनुदान के पूंजीगत भाग के एक भाग शीर्ष अर्थात् 'डाक सेवाओं का यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत पिछले चार वर्षों 2001-05 में निरन्तर बचतें देखी गई थी जैसा कि तालिका 7.7 में विवरण दिया गया है ।

तालिका 7.7: पूंजीगत (दत्तमत) भाग के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान तथा अनुपूरक अनुदान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता
2001-02	107.38	51.92	55.46	52
2002-03	128.56	41.54	87.02	68
2003-04	129.18	48.16	81.02	63
2004-05	178.75	126.29	52.46	29

7.18 विभाग द्वारा राजस्व (दत्तमत) तथा पूंजीगत (दत्तमत) भागों के अन्तर्गत बचतों के लिए बताये गये कारण निम्न प्रकार थे:

तालिका 7.8 :- अनुदान में बचतें

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान सं.14	कुल अनुदान या विनियोग	वार्षिक व्यय	बचतें	डाक विभाग द्वारा बताये गये कारण
राजस्व (दत्तमत)	6041.14	5964.26	76.88	<ul style="list-style-type: none"> - वेतन, चिकित्सा, कार्यालय तथा यात्रा व्ययों पर अपेक्षाकृत कम व्यय - सेवानिवृत्ति लाभों के अन्तर्गत अपेक्षा से कम दावों की प्राप्ति - कागज़ मिलों द्वारा कागज़ तथा बिलों की अपेक्षाकृत कम आपूर्ती - सरकारी मुद्राणालय से अपेक्षाकृत कम दावों की प्राप्ति - बिहार, गुजरात, कर्नाटक तथा महाराष्ट्र में ठेकेदारों द्वारा भवन निर्माण के कार्य को पूरा न करना । - योजना के अन्तर्गत अपेक्षा से कम प्रशिक्षण गतिविधियां । - 'यान्त्रीकरण एवं आधुनिकीकरण' के अन्तर्गत अनुसंधान तथा विकास के लिए परामर्शदाता के साथ पदती अध्ययन न करना ।
पूंजीगत (दत्तमत)	178.75	126.29	52.46	- आपूर्तिकर्ता से समय पर बिलों की गैस-प्राप्ति
योग	6219.89	6090.55	129.34	

रक्षा सेवाएं

7.19 रक्षा सेवाओं के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा ने तीन अनुदानों के दत्तमत भाग के अन्तर्गत 2002-05 के वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधान की निरन्तर प्रवृत्ति को प्रकट किया जैसा कि तालिका 7.9 में विवरण दिया गया है ।

तालिका 7.9 : निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपए में)

अनुदान सं. उप-मुख्य/लघु शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	अव्ययित राशि के लिए विनियोग लेखाओं में दिये गये कारण
23- रक्षा सेवाएं - थल सेवा				
110- भंडार	62.63	198.30	266.20	भंडार, तेल/लयूब्रिकैंट्स रसायनों के कुछ पदार्थों की पूर्ण आपूर्ति न करने, बुलेट प्रूफ जाकेटों की अपेक्षाकृत कम आपूर्ति तथा आयुक्त कारखानों द्वारा गोला-बारूद की कम आपूर्ति ।
800- अन्य व्यय	19.12	11.87	32.84	कुछ सामग्रियों के प्रापण तथा एस्ट्रो ट्रफ को तैयार करने में प्राकियात्मक देरियां ।
25- रक्षा सेवाएं - वायु सेना				
110- भंडार	6.75	93.15	172.61	पुरजों की संविदा न देने के कारण, विक्रेतों द्वारा भुगतान दावों में देरियां तथा आयुध कारखानों द्वारा समय पर भंडार की आपूर्ति न करना ।
111- निर्माण कार्य	19.82	23.15	55.67	भवन, संचार फर्नीचर आदि के अनुरक्षण के लिए निधियों का कम उपयोग किया गया ।
26- रक्षा आयुध कारखाने				
110- भंडार	173.20	31.18	10.43	कुछ खरीदों के पूरा न करने तथा रेलवे द्वारा बिलों को प्रस्तुत न करना।
800- अन्य व्यय	43.51	24.22	8.43	बिजली तथा जल की मांग में कमी, ओ.एफ.टी. ए.एम.आर. के टी.ओ.टी. भुगतान को स्थगित करना ।

7.20 उपर्युक्त अनुदानों के शीर्षों में भारी अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति, रक्षा मंत्रालय द्वारा निधियों की आवश्यकता से अधिक अनुमान लगाने को इंगित करती है ।

अध्याय 8

चुने हुये अनुदानों की समीक्षा

अनुदान संख्या 19- खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.1 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग खाद्यान्न क्षेत्रों से संबंधित प्राप्ति, भण्डारण परिवहन एवं वितरण से संबंधित नीतियों को प्रतिपादित करता है। यह गेहूँ, धान, एवं मोटे अनाज के उत्पादकों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को कार्यान्वित करता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा यह उपभोक्ताओं को उचित मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति करता है।

समग्र-स्थिति

8.2 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत्त भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र-स्थिति नीचे दी गई है : -

तालिका 8.1: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2002-03	24410.78	260.71	24293.64	139.76	117.14	121.04
2003-04	28377.07	362.33	25644.31	105.77	2732.76	256.56
2004-05	26628.59	472.22	26335.38	262.44	293.21	209.78

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.3 पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व और पूंजीगत भागों के अन्तर्गत अनुदानों में निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। उपरोक्त तीन वर्षों के दौरान अव्ययित प्रावधानों और अधिक व्यय के कुछ मामले परिशिष्ट VIII-क में दिये हुए हैं।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.4 नमूनां जांच से प्रकट हुआ की सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के विपरीत वित्तीय वर्ष 2002-05 की समाप्ति पर विभाग ने अव्ययित प्रावधान अभ्यर्पित किये। वर्ष 2002-05 के दौरान अभ्यर्पित राजस्व और पूंजीगत भागों की राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका 8.2: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
2002-03	238.18	233.01	31.3.2003
2003-04	2989.33	2951.81	31.3.2004
2004-05	502.99	454.13	31.3.2005

अन्धाधुन्ध व्यय

8.5 अन्धाधुन्ध संवितरण, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अन्तिम महीने में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत, वित्तीय वर्ष 2002-2005 के मार्च माह के दौरान तथा अन्तिम तिमाही में भारी मात्रा में संवितरण किये गये। कुछ उदाहरण नीचे दिये गये हैं:

तालिका 8.3: अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रु. में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	कुल व्यय	मार्च में व्यय	वर्ष के मार्च माह के दौरान किये गये व्यय की प्रतिशतता
2002-03	3456	1.38	0.66	48
	4408	30.08	14.78	49
2003-04	3456	0.40	0.22	55
	4408	39.49	13.54	34
	6860	66.16	34.59	52
2004-05	3456	0.77	0.72	94

विनियोग/पुनर्विनियोग की तुलना में अधिक व्यय

8.6 उन मामलों में जहाँ भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का) अनुदान नियन्त्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जायेगी।

वर्ष 2002-05 के लिए शीर्ष-वार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से पता चला कि यद्यपि, निम्न मामलों में पुनर्विनियोग के उपलब्ध प्रावधान से अधिक भुगतान किया गया था, किन्तु विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अंतिम व्यय अधिक्य को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किया था जो संबंधित अनुदान के नियंत्रक अधिकारी द्वारा निष्प्रभावी व्यय नियंत्रण को दर्शाता है।

तालिका 8.4: विनियोग/पुनर्विनियोग की तुलना में अधिक व्यय

(लाख रु. में)

क्रम सं.	मुख्य शीर्ष एवं उप-शीर्ष	मूल (मू.) पुनर्विनियोग (पु.)	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)
2002-03					
1.	3456.00.800.01 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशिक्षण अनुसन्धान तथा अनुवीक्षण से संबंधित योजना	मू 35.00 पू. 3.22	38.22	38.40	0.18
2003-04					
2.	2408.01.800.03 विभागीय कैंटीन राष्ट्रीय चीनी संस्थान	मू 10.50 पू. (-)0.80.	9.70	13.36	3.66
3.	2408.02.003.01 अनाज बचाओ अभियान	मू 586.00 पू (-)13.05	572.95	584.14	11.19
4.	2408.02.004.02 केन्द्रीय अनाज विश्लेषण प्रयोगशाला	मू 2.00 पू (-)1.05	0.95	0.96	0.01
2004-05					
5.	2408.01.798.01 अन्तर्राष्ट्रीय चीनी परिषद् को अशंदान	मू 25.00 पू (-)3.29	21.71	22.17	0.46
6.	2408.02.004.01 भारतीय अनाज प्रबन्धन तथा अनुसन्धान संस्थान	मू 325.00 पू (-)27.72	297.28	338.06	40.78
7.	2408.02.004.03 गुणवत्ता नियन्त्रण कक्ष	मू 49.00 पू 1.98	50.98	52.80	1.82
8.	6860.04.190.04 गन्ना विकास हेतु चीनी मिलें	मू 2500.00 पू (-)732.00	1768.00	1953.30	185.30
9.	6860.04.190.07 एलकोहल से एन्हाइड्रस एलकोहल अथवा इथेनॉल के उत्पादन हेतु चीनी मिलें	मू 10000.00 पू(-)8052.00	1948.00	1948.10	0.10

अवास्तविक बजट बनाना

8.7 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण-प्रवृत्तियों तथा वित्त मन्त्रालय द्वारा जारी किए गए अन्य कारकों जैसे मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने अपेक्षित होते हैं।

वर्ष 2002-05 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि इन वर्षों में पर्याप्त संख्या में उपशीर्ष प्रावधान अप्रयुक्त रहे तथा अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित किये गये जिससे संसद द्वारा पारित बजट प्रावधान का मूल उद्देश्य विफल हो गया। कुछ उदाहरण **परिशिष्ट VIII-ख** में दिये गए हैं।

समस्त निधियों का उपयोग न होना

8.8 वर्ष 2002-05 के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि 14 उपशीर्षों के अन्तर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहे। दो करोड़ रु. अथवा उससे अधिक के कुछ मामले **परिशिष्ट VIII-ग** में दिये गये हैं। इस प्रकार यह इस तथ्य का द्योतक था कि बजट अनुमान/अनुपूरक पिछले वर्षों के दौरान संवितरण प्रवृत्ति की पर्याप्त समीक्षा पर नहीं बनाये गये/आधारित थे।

अनुदान सं.30 - वन एवं पर्यावरण मंत्रालय

प्रस्तावना

8.9 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का कार्य मुख्यतः देश के प्राकृतिक संसाधनों जैसे नदियों और झीलों, इसकी जैविक विविधता, वन और वन्यजीवों का संरक्षण करने तथा प्रदूषण को रोकने और उसके उपशमन करने से संबंधित कार्यक्रमों और नीतियों का कार्यान्वयन करना है।

समग्र स्थिति

8.10 पिछले तीन वर्षों के दौरान बजटीय प्रावधानों, वास्तविक संवितरण और अनुदान के दत्तमत भाग के अंतर्गत अव्ययित प्रावधान नीचे दिये गये हैं-

तालिका 8.5: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2002-2003	1106.13	22.79	1034.83	22.69	71.30	0.10
2003-2004	1129.60	30.46	1011.93	24.26	117.67	6.20
2004-2005	1284.50	22.76	1136.27	17.82	148.23	4.94

निरंतर अव्ययित प्रावधान

8.11 पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्व और पूँजी हिस्सों के अन्तर्गत प्रावधान लगातार अव्ययित बने रहे। 2002-03 के दौरान अव्ययित प्रावधानों की राशि 71.40 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2004-05 के दौरान 153.17 करोड़ रुपये हो गई।

अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

8.12 नमूना जांच के दौरान पाया गया कि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के विपरीत, मंत्रालय ने वित्तीय वर्षों के अंत में अव्ययित प्रावधानों को अभ्यर्पित किया। 2002-2005 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण नीचे दर्शाये गये हैं :-

तालिका 8.6: अव्ययित प्रावधानों का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व (प्रतिशत)	पूँजीगत (प्रतिशत)	अभ्यर्पण की तिथि
2002-2003	71.30	0.10	64.56 (91)	-	31.03.2003
2003-2004	117.67	6.20	105.64 (90)	6.06 (98)	31.03.2004
2004-2005	148.23	4.94	140.10 (95)	4.29 (87)	31.03.2005

उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय

8.13 उन मामलों में जहाँ भुगतान की पूर्ति करने में वर्तमान प्रावधान अपर्याप्त हों, वेतन एवं लेखा अधिकारी किसी उपशीर्ष या प्राथमिक इकाई के अन्तर्गत बजट प्रावधान से अधिक केवल तभी भुगतान कर सकता है जब अनुदान नियंत्रक विभागाध्यक्ष यह आश्वासन दे कि संवितरणों का समायोजन पुनर्विनियोजन आदेश इत्यादि जारी करके कर दिया जायेगा।

वर्ष 2002-05 के शीर्षवार लेखाओं की नमूना जांच के दौरान पाया गया कि नीचे तालिका में दर्शाए गए कुछ मामलों में यद्यपि संबंधित उप शीर्ष के लिए उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय किया गया था लेकिन अनुदान/विनियोग के प्रशासनिक प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रावधानों से अधिक व्यय को समायोजित करने के लिये कोई पुनर्विनियोजन आदेश जारी नहीं किया था। यह कमजोर बजटीय नियंत्रण का द्योतक था।

तालिका 8.7: विनियोग/पुनर्विनियोग पर व्यय आधिक्य

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	आधिक्य
2002-03	3435.03.101.06 क्षेत्रीय वनस्पति उद्यानों के लिए सहायता	मू. 2.00	1.22	0.22
		पू. (-) 1.00		
2003-04	3435.02.001.01 मुख्यालय कार्यालय	मू. 2.56	2.56	0.20
		पू. (-) 0.20		
	3435.02.004.02 क्षेत्रीय कार्यालय	मू. 3.52	3.37	0.27
		पू. (-) 0.43		
	3435.03.003.01 पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण योजनाएं	मू. 17.02	19.01	0.17
		पू. 1.82		
3435.03.102.02 उत्कृष्टता केन्द्र	मू. 9.35	9.08	0.19	
	पू. 0.13 (-) 0.59			
3601.04.660.01 राष्ट्रीय उद्यान के विकास हेतु सहायता	मू. 29.00	43.19	0.19	
	पू. 14.00			
2004-05	2406.01.003.04 राज्य वन सेवा तथा रेंजर कालेज	मू. 3.33	4.10	0.50
		पू. 0.27		
	2406.01.004.01 भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान	मू. 40.28	42.28	0.15
		पू. 1.85		
2406.01.101.02 वन संभागों को मजबूत करना	मू. 4.00	4.67	0.42	
	पू. 0.25			

निधियों का विवेकहीन पुनर्विनियोग

8.14 अनुवर्ती उपशीर्षों के अंतर्गत निधियों का पुनर्विनियोग विवेकहीन था क्योंकि उपशीर्षों के अंतर्गत मूल प्रावधान पर्याप्त से अधिक था। परिणामतः उपशीर्षों के अंतर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थीं।

तालिका 8.8: निधियों का विवेकहीन पुनर्विनियोजन

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत
2002-03	3435.03.102.01 पर्यावरणीय सूचना तंत्र	मू. 2.24 पू. 0.32	2.20	0.35
2003-04	3435.03.102.01 पर्यावरणीय सूचना तंत्र	मू. 2.71 पू. 0.23	2.46	0.48
	3435.04.101.04 राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय	मू. 6.00 पू. 0.73	5.45	1.28
	3435.04.104.01 पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्यक्रम	मू. 2.85 पू. 0.29	2.76	0.38
	3435.60.800.06 जैव-विविधता संरक्षण	मू. 3.50 पू. 0.05	3.14	0.41
2004-05	3435.02.001.01 मुख्यालय कार्यालय	मू. 2.76 पू. 0.10	2.74	0.12

अवास्तविक बजट बनाना

8.15 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 में प्रावधान है कि मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों के दौरान संवितरण-प्रवृत्तियों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बचत निर्देशों जैसे अन्य संबंधित कारकों को ध्यान में रखकर ही अपने अनुमान तैयार करने चाहिये। वर्ष 2002-05 की अवधि के पुनर्विनियोग लेखों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि नीचे दर्शाये गये उपशीर्षों के अंतर्गत 51 से 100 प्रतिशत तक के उपलब्ध प्रावधानों का उपयोग नहीं किया जा सका और इनका पुनर्विनियोजन अन्य शीर्षों में हुआ जिसकी वजह से संसद द्वारा पारित किये गये मूल बजट प्रावधानों का उद्देश्य विफल रहा।

तालिका 8.9 अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
राजस्व अनुभाग					
2002-03	2406.02.110.13 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवन की सुरक्षा	5.00	---	5.00	100
	2406.04.101.06 उत्सरीकरण के विरुद्ध संघर्ष का राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम	1.50	---	1.50	100

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	2552.00.800.14 सिक्किम समेत उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की योजना/परियोजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	99.00	---	99.00	100
	3601.03.663.07 उत्सरीकरण के विरुद्ध संघर्ष का राष्ट्रीय कार्यवाही कार्यक्रम	1.50	---	1.50	100
	3601.03.663.08 भारत का हरित करण	1.50	---	1.50	100
2003-04	2406.01.101.07 एकीकृत वन संरक्षण योजना	3.50	1.42	2.08	59
	2406.02.110.13 संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्य जीवन की सुरक्षा	5.00	---	5.00	100
	2406.04.101.06 उत्सरीकरण के विरुद्ध संघर्ष का राष्ट्रीय कार्यक्रम	1.00	---	1.00	100
	2552.00.800.14- सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान	100.00	---	100.00	100
	3601.03.663.07 उत्सरीकरण के विरुद्ध संघर्ष का राष्ट्रीय कार्यक्रम	1.00	---	1.00	100
	3601.04.654.02 ताज संरक्षण योजना	33.00	---	33.00	100
	3601.04.654.06 वायु एवं जल प्रदूषण की रोकथाम तथा पौधों को सामान्य उत्सर्जन उपचार को प्रोत्साहन	5.00	---	5.00	100
	3602.03.657.06 एकीकृत वन संरक्षण योजना	2.00	---	2.00	100
	3602.04.654.01 राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (बाह्य सहायता प्राप्त योजना)	75.00	---	75.00	100
	3602.04.660.01 राष्ट्रीय उद्यानों के विकास हेतु सहायता (बाह्य सहायता प्राप्त योजना)	1.00	---	1.00	100
2004-05	2406.01.101.07 एकीकृत वन संरक्षण योजना	5.10	0.77	4.33	85
	2406.04.101.01 राष्ट्रीय वन्यीकरण एवं जैव विकास बोर्ड	22.80	11.06	11.74	51

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचत	बचत का प्रतिशत
	2552.00.800.14 सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान	115.00	---	115.00	100
	3435.04.104.02 स्वच्छ तकनीक का विकास एवं प्रोत्साहन	2.00	0.76	1.24	62
	3435.60.800.16 भारतीय पर्यावरण प्रबंधन क्षमता निर्माण तकनीकी सहायता परियोजना	25.26	6.99	18.27	72
	3601.04.654.02 ताज संरक्षण मिशन.	1.00	---	1.00	100
	3602.04.660.01 राष्ट्रीय उद्यानों के विकास हेतु सहायता	1.00	---	1.00	100
पूँजी विभाग					
2003-04	4552.00.800.14 सिक्किम समेत उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की परियोजनाओं/योजनाओं का एकमुश्त प्रावधान	1.00	---	1.00	100

उपयोग प्रमाण पत्र

8.16 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151(1) के अनुसार संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुदान के उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र, लेखा नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करने आवश्यक हैं। इन प्रमाणपत्रों को उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदानों का उपयोग उपयुक्त तरीके से और उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये किया गया है जिनके लिए संस्वीकृति प्रदान की गई थी और जहां पर अनुदान कुछ शर्तों के साथ दिये गये थे वहां पर निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो गई थी।

वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2003-04 तक जारी किये गये अनुदानों हेतु उपयोग प्रमाणपत्रों की संवीक्षा के दौरान पाया गया कि जून-2005 तक, **अनुबंध-VIII घ** में दर्शाये गये विवरण के अनुसार 849.21 करोड़ रूपये राशि के उपयोग प्रमाणपत्र बकाया थे।

उपयोग प्रमाणपत्रों के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि अनुदानों का वास्तव में उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये उपयोग हुआ है जिनके लिये संस्वीकृति प्रदान की गई थी।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.17 वन एवं पर्यावरण मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध, मंत्रालय के लेखा के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है और इस मंत्रालय के अधीन इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के संचालन हेतु उत्तरदायी है। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अधिकार क्षेत्र में 35 इकाइयों आती हैं जिनमें से 2002-2005 के दौरान नीचे दर्शाये गये विवरण के अनुसार केवल 18 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था।

तालिका 8.10 आंतरिक लेखापरीक्षा की कार्यप्रणाली

वर्ष	कुल इकाइयों की संख्या	वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयां	लेखापरीक्षित इकाइयों का प्रतिशत
2002-03	35	5	14
2003-04	35	4	11
2004-05	35	9	26

उपर्युक्त तालिका दर्शाती है कि मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं थी। मंत्रालय द्वारा संचालित निधियों की अधिकता और इसके कार्यक्षेत्र की सीमा को देखते हुये व्यय के परिमाण, प्रवाह, नियमितता औचित्य एवं मितव्ययिता पर नजर रखने के लिये एक प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र स्थापित/निर्माण करने की आवश्यकता है।

अनुदान सं. 49- परिवार कल्याण विभाग

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.18 परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तीन संघटक विभागों में से एक है। इसके मुख्य कार्य हैं :- (i) जनसंख्या वृद्धि, जन्म दर को कम करने के लिए योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम प्रतिपादित करना, (ii) प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य के लिए आवश्यकताओं का अनुमान लगाना तथा आवश्यकता आधारित, ग्राहक केन्द्रित तथा माँग आधारित प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (प्र.शि.स्वा.) देखभाल उपलब्ध कराना (iii) सेवा-पहुँच के मूलभूत ढांचे को मजबूत करना तथा अनिवार्य अवसंरचना तथा मानवशक्ति के अंतर को कम करना (iv) अनिवार्य दवाइयों तथा गर्भनिरोधकों की निरन्तर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए खराब कार्य निष्पादन करने वाले जिलों को अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराना तथा (v) नियोजित पितृत्व में पुरुषों की भागीदारी को प्राप्साहन देना।

समग्र स्थिति

8.19 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के दत्तमत भाग के अंतर्गत बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधानों की समग्र स्थिति नीचे दी गई हैं-

तालिका 8.11: समग्र स्थिति

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
	राजस्व	राजस्व	राजस्व
2002-03	5849.83	4661.51	1188.32
2003-04	5986.14	5194.83	791.31
2004-05	6976.39	5816.96	1159.43

निरन्तर अव्ययित प्रावधान

8.20 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व भाग के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। इस तथ्य के बावजूद कि इसे वर्ष 1997 तथा 2000 में प्रकाशित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पहले भी इंगित किया गया था, इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए मंत्रालय द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया है। दूसरी ओर, कुछ उपशीर्षों के अंतर्गत अत्यधिक अतिरिक्त व्यय किया गया था। उपर्युक्त तीन वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधान तथा अत्यधिक व्यय के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट VIII-ड एवं च** में दिए गये हैं।

इस प्रकार बजट संबंधी पूर्वानुमानों तथा कार्यक्रम प्रबंधन की दक्षता का पुनरीक्षण करने की आवश्यकता है

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.21 उन मामलों में जहां भुगतान के लिए वर्तमान प्रावधान पर्याप्त नहीं है, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.), अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त होने पर ही भुगतान कर सकता है, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदेश आदि जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी।

वर्ष 2002-2005 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि नीचे तालिका में उल्लिखित मामलों में, यद्यपि संबंधित उप शीर्ष के लिए उपलब्ध प्रावधानों से अधिक के भुगतान किए गए थे लेकिन अनुदान/विनियोग के प्रशासनिक प्राधिकारी ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अन्तिम व्यय आधिक्य को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। यह कमजोर वित्तीय नियंत्रण का द्योतक था।

तालिका 8.12: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	मूल/ पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	अन्तिम अधिक व्यय
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2002-03	2211.00.001.01 – मुख्यालय स्थित तकनीकी स्कंध	मू. 4.25 पु. (-) 0.04	4.32	0.11
	2211.00.200.05 – खाने वाली गोलियों का सामाजिक विपणन	मू. 18.00 पु. 0.80	19.14	0.34
	2211.00.800.07 – विशेषज्ञों की यात्रा/सम्मेलन/बैठकें आदि	मू. 1.50 पु. (-) 1.10	0.47	0.07
	3601.04.238.03 – पीओएल के लिए प्रावधान/वाहनों अधि-प्राप्ति	मू. 100.90 पु. 11.50	112.98	0.58
	3602.04.237.07 – राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम तथा पोलियों उन्मूलन को सुदृढ़ बनाना	मू. 6.00 पु. 0.19	6.35	0.16
2003-04	2211.00.800.09 – राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय	मू. 262.00 पु. (-) 16.29	246.93	1.22
	3601.04.237.09 – राष्ट्रीय टीका-करण कार्यक्रम तथा पोलियो उन्मूलन को सुदृढ़ बनाना	मू. 507.25 पु. (-) 35.10	478.78	6.63
	3601.04.238.03 – मू.पी.ओ.एल. के लिए प्रावधान/वाहनों की अधिप्राप्ति	मू. 48.80 पु. 24.65	79.80	6.35
	3601.04.240.03 – परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	मू. 162.30 पु. (-) 23.49	138.83	0.02
	3602.04.240.02 – परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति	मू. 5.85 पु. (-) 2.41	3.59	0.15
2004-05	2211.00.101.01 – गैर विधायी सं.रा.क्षे. में व्यय	मू. 3.43 पु. (-) 0.50	3.65	0.72
	3601.04.238.03 – पी.ओ.एल. हेतु प्रावधान/वाहनों की अधिप्राप्ति	मू. 49.45 पु. 1.15	54.72	4.12

अवास्तविक बजट बनाना

8.22 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों को अपने अनुमान बनाते समय, पिछले वर्षों के दौरान संवितरणों की प्रवृत्ति और अन्य सम्बन्धित तथ्यों जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आर्थिक अनुदेशों को ध्यान में रखा जाना अपेक्षित है। 2002-05 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि ऊपर उप पैरा 3 में चर्चित निरन्तर बचत के मामलों के अलावा कई शीर्षों में प्रावधान अप्रयुक्त रहे और अन्य शेषों को पुनर्विनियोजित किये गये थे जिससे वह उद्देश्य, जिसके

लिए संसद द्वारा मूल बजट प्रावधान पारित किये गये थे, विफल हो गया था। भारी बचतों के उदाहरण **परिशिष्ट-VIII छ** में दिए गए हैं।

अनुपूरक मांगों का अवास्तविक अनुमान

8.23 अनुपूरक अनुदान प्राप्त करते समय, मंत्रालय को उपलब्ध या वर्ष के दौरान उपलब्ध होने वाले संसाधनों को ध्यान में रखना होता है तथा इसके अतिरिक्त बजट के लिए निधियों की आवश्यकता के पूर्वानुमान के समय उचित सावधानी से कार्य करना होता है। केवल विशेष एवं अतितात्कालिक मामलों में ही अनुपूरक मांगों का सहारा लेना चाहिए।

निम्नलिखित मामलों में, यद्यपि अनुपूरक प्रावधान अधिक व्यय की प्रत्याशा में प्राप्त किए गए थे लेकिन अंतिम व्यय मूल अनुदानों से भी बहुत कम था। यह अनुश्रवण एवं व्यय नियंत्रण में कमी को दर्शाता है।

तालिका 8.13: अव्ययित अनुपूरक अनुदान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उपशीर्ष	प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2003-04	2211.00.103.04 प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य परियोजना	मू. 1307.92 अ 0.02	1080.95	226.99
2004-05	2211.00.105.01s-गैर विधायी संघराज्य क्षेत्रों में व्यय	मू. 1.00 अ 0.01	0.08	0.93
2004-05	2211.00.800.09 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय	मू. 258.90 अ 40.00	224.68	74.22

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.24 अभ्यर्पण बजट संबंधी एक साधन है जिसके द्वारा खर्च करने वाला विभाग अनुदान अथवा विनियोग के अप्रयुक्त भाग के बारे में वित्त मंत्रालय को सूचित करता है जो बाद में उसको स्वीकार करके किसी दूसरे क्षेत्र को पुनः आबंटित करता है। सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में वर्णित है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर, उसको, वित्तीय वर्ष की समाप्ति की प्रतीक्षा किए बिना, सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को किसी भावी सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि नियम के प्रतिकूल मंत्रालय ने जनवरी माह में संशोधित अनुमानों का अनुमोदन होने के बावजूद प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्ष के अंत में, वह भी आंशिक रूप से अव्ययित प्रावधान

का अभ्यर्पण किया। 2002-05 के दौरान अभ्यर्पित की गई राशियों के ब्यौरे निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका 8.14: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	राजस्व	
2002-03	1188.32	960.12	31.03.2003
2003-04	791.31	504.99	31.03.2004
2004-05	1159.43	724.39	30.03.2005

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.25 स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की देख रेख मंत्रालय के नई दिल्ली में स्थित मुख्यालय के मुख्य लेखा नियंत्रक द्वारा की जाती है। चार क्षेत्रीय आंतरिक लेखापरीक्षा दल मुम्बई, कोलकाता, बंगलौर और चंडीगढ़ में कार्य कर रहे हैं। स्कंध के लेखापरीक्षा अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 1732 इकाइयां थी जिसमें से 172 इकाइयां स्वास्थ्य विभाग तथा आयुष तथा 1560 परिवार कल्याण विभाग से संबंधित थीं।

वर्ष के दौरान परिवार कल्याण विभाग से संबंधित इकाइयों की लेखापरीक्षा करने के लिए कोई लेखापरीक्षा योजना अभिलेख में नहीं थी। लेखापरीक्षा नियम पुस्तक में निर्धारित आवधिकता के अनुसार वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा किए जाने वाले 344 इकाइयों के प्रति 2002-05 के दौरान वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या निम्न प्रकार थी:-

तालिका 8.15: आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी

वर्ष	लेखापरीक्षा के लिए अपेक्षित इकाइयों की संख्या	वास्तव में लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी की प्रतिशतता
2002-03	344	134	61
2003-04	344	65	81
2004-05	344	73	79

आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के लेखापरीक्षा नियम पुस्तक में निर्धारित है कि की गई लेखापरीक्षा के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के पश्चात एक माह के भीतर जारी किए जाने चाहिए। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति तथा समय पर जारी करने के लिए कोई लेखापरीक्षा नियंत्रण रजिस्टर नहीं रखा गया था। परिणामतः पिछले तीन वर्षों के दौरान निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में विलम्ब को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में उपलब्ध 78 निरीक्षण प्रतिवेदनों के ब्यौरे को लेखापरीक्षा के कहने पर संकलित किया गया था जिससे प्रकट हुआ कि निरीक्षण

प्रतिवेदन 10 माह तक के विलम्ब के बाद जारी किए गए थे जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.16: निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी करने में विलम्ब

निरीक्षण प्रतिवेदनों के जारी होने में विलम्ब	इकाइयों की संख्या		
	2002-03	2003-04	2004-05
1 माह से कम	-	1	2
1 से 3 माह तक	-	6	16
3 से 6 माह तक	1	8	26
6 माह से अधिक	1	4	13

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा, जो वार्षिक रूप से की जानी अपेक्षित थी, पिछले तीन वर्षों के दौरान केवल एक बार ही की गई थी। 2001-2004 की अवधि के लिए अगस्त सितम्बर 2004 में की गई लेखापरीक्षा के लिए निरीक्षण प्रतिवेदन एक वर्ष के विलम्ब के बाद भी अगस्त 2005 तक जारी नहीं किया गया था प्रतिवेदन की संवीक्षा से पता चला कि आंतरिक लेखापरीक्षा केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उत्पन्न लेनदेनों को आवृत करती थी। निरीक्षण प्रतिवेदन में बजट बनाने, व्यय नियंत्रण, अधिक व्यय, अव्ययित प्रावधान, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं की गई थी हालांकि ऐसी टिप्पणियां महत्वपूर्ण पहलुओं पर सामयिक चेतावनी संकेत देने में सहायक हो सकती थीं।

बकाया उपयोग प्रमाणपत्र

8.26 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151(1) के अनुसार, संस्वीकृति प्राधिकारी द्वारा अनुदानों के उपयोग प्रमाण-पत्र, नियंत्रक-लेखा को प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाण-पत्रों के प्रस्तुत करने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान उचित रूप से तथा उस उद्देश्य के लिए ही जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, उपयोग में लाए गए थे तथा जहां अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी किये गये थे, निर्धारित शर्तें पूरी की गई थीं।

नियंत्रक लेखा द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट से लेखापरीक्षा ने पाया कि 674.81 करोड़ रु. के सहायता अनुदान के प्रति 1152 उपयोग प्रमाण-पत्र अगस्त 2005 तक बकाया रहे जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:-

तालिका 8.17: प्रतीक्षित उपयोग प्रमाणपत्र

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान संस्वीकृत करने का वर्ष	देय		प्राप्त		बकाया	
	उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि
1982-2001	699	592.53	192	491.22	507	101.31
2002-02	281	313.76	177	228.60	104	85.16
2002-03	467	527.73	216	412.54	251	115.19
2003-04	423	1139.12	133	765.97	290	373.15
जोड़	1870	2573.14	718	1898.33	1152	674.81

उपयोग प्रमाण-पत्रों के अभाव में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या अनुदानों का वास्तव में उसी उद्देश्य, जिसके लिए ये सस्वीकृत किए गए थे, के लिए उपयोग किया गया था।

भुगतान एवं लेखा कार्यालय (सचिवालय) में अनुरक्षित सहायता अनुदान रजिस्ट्रों की नमूना जांच से पता चला कि रजिस्ट्रों में उपयोग प्रमाण-पत्रों की प्राप्ति की तिथियां दर्शाई नहीं गई थीं जिसके अभाव में मु.ले.का. द्वारा भेजे गए बकाया उ.प्र. के आंकड़े लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किए जा सके। विभाग ने बताया कि बकाया उपयोग प्रमाणपत्रों के अभिलेख कम्प्यूटरीकृत वातावरण में अनुरक्षित किए गए थे तथा जब कभी उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त होता था तो उसे सहायता अनुदान रजिस्टर में कोई प्रविष्टि किए बिना वहां से काट दिया जाता था। उत्तर युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि रजिस्टर में एक विशेष कॉलम का प्रावधान उपयोग प्रमाणपत्रों को समय पर भेजने पर निगरानी रखने के लिए है जिसको भुगतान एवं लेखा कार्यालय सुनिश्चित करने में विफल रहा।

अव्ययित प्रावधान द्वारा प्रभावित योजनाएं

8.27 अव्ययित रहे प्रावधानों द्वारा प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(i) सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं

चयनित क्षेत्रों/जिलों में क्षेत्र विशिष्ट परियोजनाओं के माध्यम से संगठित प्रयास करने के विचार को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय द्वारा मध्यप्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड तथा उड़ीसा राज्यों में सामाजिक विपणन प्रयत्न प्रारंभ किए गए थे। मंत्रालय ने 1998-99 के दौरान गर्भ निरोधकों के सामाजिक विपणन को सशक्त बनाने की परियोजनाएं हिन्दुस्तान लेटेक्स लिमिटेड के अंतर्गत एक लाभ-निरपेक्ष संगठन हिन्दुस्तान लेटेक्स परिवार नियोजन प्रोत्साहन न्यास (हि.ले.प. नि.प्रो.न्या.) तथा गै.स.सं. महिला एवं शिशु स्वास्थ्य समिति को सौंपी थी। तथापि परियोजना के अंतर्गत 22.10 करोड़ रु. राशि का समस्त बजट प्रावधान 2002-05 के दौरान अव्ययित रहा जिसकी नीचे चर्चा की गई है:-

तालिका 8.18: बजट प्रावधान और बचत

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	बचत
2002-03	9.00	-	9.00
2003-04	3.60	-	3.60
2004-05	9.50	-	9.50

विभाग ने समस्त प्रावधान अव्ययित रहने के लिए गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन पर राष्ट्रीय नीति/दिशानिर्देशों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा वर्तमान परियोजनाओं का

निधिकरण विदेशी सहायता द्वारा होने को आरोपित किए। उत्तर दर्शाता है कि योजना के कार्यान्वयन में फोकस की कमी थी क्योंकि समस्त प्रावधान वर्षानुर्ष अव्ययित रहे।

(ii) प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य (प्र.शि.स्वा.) कार्यक्रम

प्रजनन और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम, मातृत्व और शिशु स्वास्थ्य (मा.शि.स्वा.), शिशु उत्तरजीविता और सुरक्षित मातृत्व (शि.उ.सु.मा.) और परिवार नियोजन के तत्कालीन कार्यक्रमों को एकीकृत करने के बाद अक्टूबर 1997 में आरंभ किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु, उत्तरजीविता तथा जननक्षमता नियमन है। कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य मातृत्व और नवजात मृत्यु दर, अस्वस्थता दर, अवांछित जननक्षमता को, घटाना तथा जनसंख्या स्थिर रखने में योगदान देना है। कार्यक्रम को मुख्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान किया जाता है तथा इसका वित्तपोषण विश्व बैंक, यूरोपियन कमीशन, यू.एन.एफ.पी.ए. तथा अन्य द्विपक्षी दाताओं से प्राप्त सहायता द्वारा होता है। 2002-03 से 2004-05 के दौरान बजट प्रावधान और व्यय की पुनरीक्षा के दौरान यह देखा गया कि वर्ष 2002-03 के दौरान 5129.71 करोड़ के कुल बजट प्रावधान में से 1455.91 करोड़ रु. अप्रयुक्त रहे जिसके ब्यौरे नीचे तालिका में दिए गए हैं-

तालिका 8.19: बजट प्रावधान और अव्ययित प्रावधान

(करोड रूपयों में)

वर्ष	शीर्ष	बजट प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
2002-03	2211.00.103.04 *	1293.37	824.60	468.77
	3601.04.237.07 **	225.00	128.22	96.78
	3602.04.237.05 ***	4.00	0.58	3.42
2003-04	2211.00.103.04	1307.94	1080.95	226.99
	3601.04.237.07	261.39	114.05	147.34
	3602.04.237.05	2.15	0.57	1.58
2004-05	2211.00.103.04	1809.29	1416.87	392.42
	3601.04.237.07	222.87	105.94	116.93
	3602.04.237.05	3.70	1.92	1.78
	जोड़	5129.71	3673.80	1455.91

* केन्द्रीय स्तर पर जारी अनुदान, ** राज्य सरकारों को जारी अनुदान, *** सं.रा.क्षे. सरकारों को जारी अनुदान

विभाग ने भारी अव्ययित शेषों के लिए राज्यों, सं.रा.क्षे. से प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, उनसे पहले जारी राशियों के उ.प्र. की प्राप्ति न होने तथा एच.एस.सी.सी./एच.एल.एल.द्वारा प्र.शि.स्वा. की सामग्री/दवाइयों की आपूर्ति न होने/कम होने को उत्तरदायी ठहराया। यह प्र.शि.स्वा. सामग्री की सामयिक आपूर्ति तथा राज्य/सं.रा.क्षे. सरकारों द्वारा उपयोग प्रमाण पत्रों का सामयिक प्रस्तुतीकरण सुनिश्चित करने में विभाग की ओर से नियोजन तथा अनुश्रवण की कमी का संकेत देता है।

अनुदान सं. 57- प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय)

प्रस्तावना

8.28 प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तीन संघटक विभागों में से एक है। इसका मुख्य कार्य शिक्षा नीति तैयार करना, प्रारंभिक शिक्षा के मानक तय करना, अनौपचारिक तथा प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देना तथा इन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए सेमिनार करना है।

समग्र स्थिति

8.29 पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के बजट प्रावधान, वास्तविक संवितरण तथा अव्ययित प्रावधान की समग्र स्थिति नीचे दी गई है:-

तालिका 8.20: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
	राजस्व	राजस्व	राजस्व
2002-03	4904.87	4475.27	429.60
2003-04	5454.63	5437.16	17.47
2004-05	8004.71	7950.65	54.06

अंधाधुंध व्यय

8.30 अंधाधुंध संवितरणों को, विशेष तौर पर वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में, वित्तीय नियमितता का उल्लंघन माना जाता है तथा इससे बचा जाना चाहिए। इसके विपरीत मार्च माह के साथ-साथ 2004-05 के वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में भारी संवितरण किए गए थे। कुछेक उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 8.21: अंधाधुंध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण	
		वर्ष के दौरान कुल	मार्च के दौरान (प्रतिशतता)
2002-03	2202 सामान्य शिक्षा	4255.72	727.56 (17)
	2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएं	7.57	3.54 (47)

वर्ष	मुख्य शीर्ष	संवितरण	
		वर्ष के दौरान कुल	मार्च के दौरान (प्रतिशतता)
2003-04	2202 सामान्य शिक्षा	5263.52	817.94 (16)
	3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	146.78	24.51 (17)
	3602 संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	4.23	1.87 (44)
	2251 सचिवालयी सामाजिक सेवाएं	22.62	5.28 (23)
2004-05	2202 सामान्य शिक्षा	7726.99	1605.19 (21)
	3601 राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	197.13	43.84 (22)
	3602 संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता अनुदान	5.40	5.31 (98)
	2251 सचिवालय सामाजिक सेवाएं	21.12	6.62 (31)

चूँकि विभिन्न संगठनों को वित्तीय वर्ष के मार्च में जारी की गई निधियां वर्ष के दौरान रचनात्मक रूप से खर्च नहीं की जा सकती इसलिए यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि क्या ये निधियां वर्ष के दौरान उन उद्देश्यों जिनके लिए ये प्राधिकृत की गई थीं, के लिए प्रयोग की गई थीं।

अवास्तविक बजट बनाना

8.31 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 53 में यह व्यवस्था है कि मंत्रालय/विभाग पिछले वर्षों की संवितरण-प्रवृत्ति तथा अन्य सुसंगत कारण जैसे वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए मितव्ययी अनुदेशों को ध्यान में रखकर अपने अनुमानों को तैयार करेगा। 2002-05 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि नीचे दर्शाए गए उप शीर्षों के अंतर्गत समस्त प्रावधान अप्रयुक्त पड़ा रहा जिसके परिणामस्वरूप योजना/कार्यक्रम का कार्यान्वयन नहीं हुआ और वह उद्देश्य जिसके लिए संसद द्वारा मूल बजट प्रावधान अनुमोदित किए गए थे, विफल रहा। दो करोड़ रु. या इससे अधिक राशि वाले कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 8.22: अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	अन्य शीर्षों को विनियोजित की गई राशि	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2002-03				
1	3601.04.165.07 कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	6.65	6.65	यह निर्णय किया गया था कि योजना का पुनर्गठन किया जाए। व्यय वित्त समिति/केबिनेट से अधिदेशात्मक अनुमोदन प्राप्त करने में समय लग सकता था इसलिए बजट अनुमान के प्रावधान का उपयोग करना संभव नहीं था।
2003-04				
1	3601.04.165.07 कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	7.50	7.50	यह निर्णय किया गया था कि योजना का पुनर्गठन किया जाए। व्यय वित्त समिति/केबिनेट से अधिदेशात्मक अनुमोदन प्राप्त करने में समय लग सकता था इसलिए बजट अनुमान के प्रावधान का उपयोग करना संभव नहीं था।
2004-05				
1	2202.01.107.01 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	8.00	8.00	योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संघटक के न बनाए जाने के कारण।
2	2202.01.107.04 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद	7.75	7.75	संस्थानों की मान्यता के लिए आवेदन शुल्कों में बढ़ोत्तरी के कारण परिषद के अपने राजस्व में वृद्धि होने तथा उसके स्वयं का भवन आरंभ न होने कारण निधियों को जारी न करना।

3	3601.04-165.07 कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	95.00	95.00	चूंकि राज्यों/सं.शि.अ. समितियों को सर्व शिक्षा अभियान पद्धति पर निधियां जारी की गई थीं जिसके कारण निधियों का मुख्य शीर्ष 2202 में पुनर्विनियोजन हुआ।
4	3601.04-184.06 नव-साक्षरों के लिए अनवरत शिक्षा	2.00	2.00	राज्य सरकारों से व्यवहार्य प्रस्ताओं की प्राप्ति न होने के कारण
5	3602.04.178.07 कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय	5.00	5.00	चूंकि राज्यों/सं.शि.अ. समितियों को सर्व शिक्षा अभियान पद्धति पर निधियां जारी की गई थीं जिसके कारण निधियों का मुख्य शीर्ष 2202 में पुनर्विनियोजन हुआ।

निरन्तर बचत तथा अवास्तविक बजट बनाना

8.32 पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ शीर्षों के अंतर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। मंत्रालय द्वारा इस प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई थी। अनुदान के अंतर्गत भारी अव्ययित प्रावधानों ने न केवल विभाग के बजट बनाने को गलत प्रदर्शित किया बल्कि विभिन्न प्रारंभिक शिक्षा तथा साक्षरता कार्यक्रमों जैसे महिला समख्या तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान तथा कस्तूरबा गांधी स्वतंत्र विद्यालय आदि के कार्यान्वयन को भी दुष्प्रभावित किया। 2002-05 वर्षों के दौरान निरन्तर अव्ययित प्रावधानों के कुछ उदाहरण **परिशिष्ट-VIII ज** में दिए गए हैं।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.33 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 के प्रावधान के अनुसार किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होते ही अभ्यर्पण करना अपेक्षित है ताकि ऐसी राशि का अन्य क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके। अव्ययित प्रावधान को किसी भावी संभावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। नमूना जांच से पता चला कि इस नियम के प्रतिकूल मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्षों के अंत में अभ्यर्पित किया था। 2002 से 2005 के दौरान अभ्यर्पित की गई राशियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं-

तालिका 8.23: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पण की तिथि
2002-03	429.60	424.90	31.3.2003
2003-04	17.47	14.41	31.3.2004
2004-05	54.06	48.81	31.3.2005

अव्ययित प्रावधान

8.34 2002-05 वर्षों के विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत भारी अव्ययित प्रावधान थे जो अवास्तविक बजटीय अवधारणा तथा मंत्रालय की योजनाओं/गतिविधियों के कार्यान्वयन में ढीलाई के द्योतक थे। वे मामले, जिनमें अव्ययित प्रावधान दो करोड़ रु. से अधिक थे, नीचे दर्शाए गए हैं:-

तालिका 8.24: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष उप शीर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा बताए गए कारण
2002-03						
1	2202.01.105.02 राजस्थान में शिक्षा कर्मी परियोजना	40.00	15.02	24.98	62	राजस्थान राज्य सरकार में योजना के उच्चतम रहने के कारण
2	2202.01.800.19 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1328.00	1285.02	42.98	3	विभाग के वार्षिक योजना आबंटन में कमी होने के कारण
3	2202.01.800.28 संयुक्त सरकार भारतीय सं.रा.प्रणाली शिक्षा कार्यक्रम	20.00	13.50	6.50	33	सर्व शिक्षा अभियान के साथ योजनाओं का एकीकरण होने के कारण
4	3601.04.165.03 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड	58.25	27.79	30.46	52	चंडीगढ़ एवं असम से व्यापक प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण
2003-04						
1	2202.01.800.19 जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	1198.00	791.19	406.81	34	फेस-I और फेस-II के बन्द होने से व्यय की धीमी गति के कारण

चुने हुए अनुदानों की समीक्षा

2	2202.01.800.28 संयुक्त सरकार, भारतीय सं.रा.प्रणाली शिक्षा कार्यक्रम	5.00	0.94	4.06	81	यू.एन.डी.पी. के योगदान में कमी के कारण
3	3601.84.188.01 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान को सुदृढ़ बनाना	192.70	145.20	47.50	25	नए दिशानिर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों से संभावित योजनाओं की प्राप्ति न होने के कारण
2004-05						
1	2202.01.800.23 प्राथमिक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पोषण सहायता कार्यक्रम	1675.00	1588.55	86.45	5	पर्याप्त संख्या में व्यवहार्य और 'समुचित' प्रस्तावों की प्राप्ति न होने तथा उपलब्ध बचत को मुख्य शीर्ष '2552' में पुनर्विनियोजित करने के कारण
2	2202 प्रौढ़ शिक्षा क्षेत्र में गैर सरकारी संगठन को सहायता	25.00	17.81	7.19	29	गैरसरकारी संगठनों से कम संख्या में व्यवहार्य तथा 'समुचित' प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण

अव्ययित प्रावधान द्वारा प्रभावित योजनाएं

8.35 प्रावधानों के अव्ययित रहने के कारण प्रभावित कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं की अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

(I) अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ बनाना

अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढ़ीकरण अध्यापकों की शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन हेतु एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। इसे 1987 में एक व्यवहार्य सांस्थानिक शैक्षिक अवसंरचना का निर्माण करने, अभिमुखीकरण प्रशिक्षण के लिए अकादमिक एवं तकनीकी संसाधन आधार तैयार करने तथा देश में प्रारंभिक विद्यालय के अध्यापकों के ज्ञान, क्षमता तथा शैक्षणिक कार्यकुशलता के अनवरत उन्नयन के लिए आरंभ किया

गया था। पिछले तीन वर्षों के लिए संस्वीकृत प्रावधान, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित प्रावधान नीचे दिए गए हैं:-

तालिका 8.25: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	कारण
2002-03	25.00	0.52	24.48	प्राथमिक अध्यापकों के लिए विशेष अभिमुखीकरण कार्यक्रम को बन्द करने के कारण
2003-04	8.00	0.12	-7.78	अध्यापक शिक्षा संसाधन समूह के लिए गतिविधियों की धीमी गति के कारण
2004-05	8.00	0.12	8.00	योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संघटक न बनाने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(II) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण शिक्षा विभाग के एक स्वतंत्र तथा स्वायत्त स्कंध के रूप में स्थापित किया गया था जिसमें साक्षरता तथा प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ाने तथा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के लिए निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के साथ उसके कार्य क्षेत्र में कार्यकारी तथा वित्तीय शक्तियां भी निहित थीं। पिछले तीन वर्षों के दौरान संस्वीकृत प्रावधान, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित प्रावधान निम्न प्रकार हैं-

तालिका 8.26: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	कारण
2002-03	0.60	0.03	0.57	बचत, व्यय में मितव्ययिता के कारण थी।
2003-04	0.30	0.07	0.23	संस्थानों को निधियां कम जारी करने के कारण।
2004-05	0.30	--	0.30	अभिलेखित नहीं

(III) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (रा.अ.शि.प.), अध्यापक शिक्षा के नियोजित तथा समन्वित विकास प्राप्त करने के उद्देश्य से 17.08.1995 को एक स्वायत्त संगठन के रूप में स्थापित की गई थी। पिछले तीन वर्षों के लिए कार्यक्रम के वित्तीय परिव्यय निम्न प्रकार थे:-

तालिका 8.27: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	संस्वीकृत प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	कारण
2003-04	6.25	4.65	1.60	संस्थान को कम निधियां जारी करने के कारण
2004-05	7.75	—	7.75	परिषद का अपना राजस्व बढ़ने के कारण समस्त प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(IV) प्रौढ़ शिक्षा

जीवन की रचनामक एवं प्रजनक अवधि 15-35 आयु वर्ग के निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता देने पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रौढ़ शिक्षा मिशन (प्रौ.शि.मि.) का प्रारम्भ 5 मई 1988 को एक प्रौद्योगिकी मिशन के रूप में किया गया था। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 2007 तक पूर्ण साक्षरता अर्थात् 75 प्रतिशत के वहनीय प्रारंभिक स्तर को प्राप्त करना चाहता है। पिछले तीन वर्षों के लिए संस्वीकृत प्रावधान, वास्तविक व्यय तथा अव्ययित शेष नीचे दिए गए हैं : -

तालिका 8.28: अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान	कारण
2002-03	14.65	12.31	2.34	व्यय में मितव्ययिता तथा बिलों की अप्राप्ति के कारण
2003-04	12.43	12.25	0.18	-
2004-05	13.23	9.95	3.28	धीमी गति के कारण

बकाया उपयोग प्रमाण पत्र

8.36 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 152 (i) में निर्धारित है कि प्राप्त अनुदान जिस उद्देश्य जिसके लिए यह प्राप्त किया गया था, के वास्तविक उपयोग का एक प्रमाणपत्र, विशेष रूप से अनावर्ती अनुदान के संबंध में, संबंधित संस्थान द्वारा वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के 18 महीनों के भीतर प्रस्तुत करने चाहिए। संस्वीकृति दाता प्राधिकारी को स्वयं को संतुष्ट करना अपेक्षित होता है कि अनुदान से संबंधित शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

तथापि, यह पाया गया कि प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा 1977-78 से 2003-04 तक की अवधि के लिए संस्वीकृत 1648.93 करोड़ रु. के अनुदान शामिल होने वाले 3857 मामलों के संबंध में उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किए गए थे।

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.37 मानव संसाधन विकास मंत्रालय का आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध मंत्रालय के मुख्य नियंत्रक लेखा के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत कार्य करता है तथा इस मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है। इसके साथ-साथ इसमें शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, युवा मामले एवं खेलकूद विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा इन विभागों के अंतर्गत सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालय/स्वायत्त निकाय शामिल हैं। वर्तमान में शिक्षा विभाग से संबंधित 27 इकाइयों सहित आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 189 इकाइयां हैं। 2001 से 2005 के दौरान स्कंध द्वारा 12 इकाइयों का निरीक्षण किया गया था जैसा कि नीचे दर्शाया गया है।

तालिका 8.29: आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	इकाइयों की कुल सं.		वास्तव में निरीक्षित इकाइयां	
	नियमित लेखापरीक्षा	विशेष लेखापरीक्षा	नियमित लेखापरीक्षा	विशेष लेखापरीक्षा
2001-02	27	8	2	8
2002-03	27	12	3	12
2003-04	27	2	5	2
2004-05	27	8	2	8

विभाग द्वारा बड़ी राशि की निधियों के प्रबन्ध करने तथा इसकी गतिविधियों के व्यापक क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए व्यय की प्रमात्रा, गति, नियमितता तथा इसके मितव्ययिता पर प्रभावी नजर रखने के लिए एक आंतरिक लेखापरीक्षा पद्धति तुरन्त स्थापित करने की आवश्यकता है।

अनुदान सं.-61 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

प्रस्तावना

8.38 श्रम मंत्रालय कार्य करने का स्वस्थ कार्य-वातावरण बनाने के लिए सामान्यतः श्रमिकों तथा समाज के सुविधाहीन वर्गों के हितों के संरक्षण तथा सुरक्षा की योजना प्रतिपादित करता है। ये उद्देश्य विभिन्न श्रम नियमों के अधिनियमन तथा कार्यान्वयन के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं जो कर्मचारियों को रोजगार तथा सेवा शर्तों को विनियमित करते हैं।

समग्र स्थिति

8.39 पिछले तीन वर्षों के लिए अनुदान के दत्तमत्त भाग के अन्तर्गत बजट प्रावधानों, वास्तविक संवितरणों तथा अव्ययित शेषों की समग्र स्थिति नीचे दर्शाई गई है। मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2006) कि अव्ययित प्रावधानों को कम करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाये जा रहे थे।

तालिका 8.30: समग्र स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	कुल प्रावधान		वास्तविक संवितरण		अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
2002-03	998.00	14.37	838.78	शून्य	159.22	14.37
2003-04	970.87	0.16	918.51	0.01	52.37	0.15
2004-05	1137.17	0.06	1095.92	शून्य	41.25	0.06

8.40 निरन्तर अव्ययित प्रावधान

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुदान के राजस्व और पूंजीगत दोनों भागों के अन्तर्गत निरन्तर अव्ययित प्रावधान थे। 1996 के बाद के अव्ययित प्रावधानों को गत वर्षों के भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में भी इंगित किया गया था। तथापि, मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष के अंत में बड़े अव्ययित प्रावधानों की निरन्तर प्रवृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाए थे। दूसरी ओर, कुछ उप शीर्षों के अंतर्गत प्रावधानों से काफी अधिक व्यय किया गया था। 2002-05 के दौरान 25 प्रतिशत तथा उससे अधिक के अव्ययित प्रावधान और 25 प्रतिशत और उससे अधिक के व्यय आधिक्य परिशिष्ट-VIII झ एवं ज में दर्शाए गए हैं।

अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

8.41 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में प्रावधान है कि किसी अनुदान या विनियोग में अव्ययित प्रावधान का पूर्वानुमान होने पर, उसको, वित्तीय वर्ष के अन्त की प्रतीक्षा किये बिना सरकार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए। अव्ययित प्रावधान को किसी भावी सम्भावित आधिक्य के लिए भी आरक्षित नहीं रखना चाहिए। विनियोग लेखे की नमूना जांच से पता चला कि इस नियम के प्रतिकूल, मंत्रालय ने अव्ययित प्रावधानों को प्रत्येक वर्ष वित्तीय वर्षों के अन्त में अभ्यर्पित किया था। लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) ने अपने 110वें प्रतिवेदन (10वीं लोक सभा) में सा.वि.नि. के नियम 69 में निर्धारित क्रियाविधि (अनुदान/विनियोजन में बचतों के अभ्यर्पण के संबंध में) तथा वित्तीय वर्ष के समापन से पूर्व अभ्यर्पणों की सूचना के संबंध में निर्धारित समयबद्धता में विचलन को भी गंभीरता से लिया है। लो.ले.स. ने सिफारिश की थी कि वजट निरपेक्ष वास्तविकता-आधारित होना चाहिए। नियंत्रक-लेखा ने सितम्बर 1998 के दौरान श्रम मंत्रालय के नियंत्रण के अंतर्गत विभागों की कार्यविधि हेतु इस संबंध में अनुदेश जारी

किए थे। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार करते हुए (जनवरी 2006) बताया कि अभ्युक्तियां भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर ली गयी थीं।

2002-05 के दौरान अभ्यर्पित राशियों के विवरण तालिका में दिए गए हैं:-

तालिका 8.31: अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण

(लाख रूपयों में)

वर्ष	अव्ययित प्रावधान		अभ्यर्पित राशि		अभ्यर्पण की तिथि
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	
2002-03	159.22	14.37	141.50	14.36	28 मार्च 2003
2003-04	52.37	0.15	43.26	0.15	19 मार्च 2004
2004-05	41.25	0.06	24.07	0.06	23 मार्च 2005

विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक व्यय

8.42 उन मामलों में, जहां भुगतान के लिए विद्यमान प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, भुगतान एवं लेखा कार्यालय (भु.ले.का.) अनुदान नियंत्रित करने वाले विभागाध्यक्ष से केवल यह लिखित आश्वासन प्राप्त करके ही भुगतान कर सकता है, कि संवितरण हेतु आवश्यक निधियां पुनर्विनियोग आदि के आदेश जारी करके प्रदान कर दी जाएंगी।

वर्ष 2002-05 के लिए शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि तालिका 8.32 में उल्लिखित मामलों में यद्यपि उपलब्ध प्रावधानों से अधिक के भुगतान किए गए थे किन्तु विभाग ने उपलब्ध प्रावधान से अधिक अन्तिम व्यय आधिक्य को समायोजित करने के लिए कोई पुनर्विनियोग आदेश जारी नहीं किये थे। इस आंतरिक नियंत्रण प्रक्रिया की अवहेलना के परिणामस्वरूप खराब व्यय नियंत्रण हुआ।

तालिका 8.32: विनियोग/पुनर्विनियोग से अधिक प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	अधिक प्रावधान		
		मूल/पुनर्विनियोग	व्यय	अन्तिम व्यय आधिक्य
2002-03	2330.03.102.02- केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान चैन्नेई	मू 0.12	2.04	1.92
	2230.03.102.04- प्रशिक्षुओं पर अनुदेशों से संबंधित प्रभारों की वृद्धि	पु 0.14	0.36	0.22
	2230.03.003.04- उच्च कुशलता प्राप्त शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण	मू 5.08 पु (-) 0.25	6.01	1.18
	2230.01.110.02- प्रशासन	मू 0.01	0.24	0.23

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	अधिक प्रावधान		
		मूल/पुनर्विनियोग	व्यय	अन्तिम व्यय आधिक्य
	2230.01.101.08- मुख्य श्रम आयुक्त तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का सुदृढीकरण	मू 1.60 पु (-)1.20	1.87	1.47
	2230.03.102.06- प्रशिक्षुता का क्षेत्रीय निदेशालय	मू 2.28 पु (-) 0.10	2.21	0.03
2003-04	2230.01.102.09- महानिदेशक-खनिज सुरक्षा (मुख्य)	मू 16.08 पु (-) 1.41	14.81	0.14
	2230.01.102.12- प्रशिक्षण एवं अनुसंधान	मू 6.08 पु (-) 0.78	5.42	0.12
	2230.01.106.04- शिक्षा	मू 1.91 पु (-) 0.19	2.03	0.31
	2230.01.107.05- शिक्षा	मू 1.12 पु 0.06	1.33	0.15
	2230.01.110.03- शिक्षा	मू 0.32 पु 0.01	0.40	0.08
2004-05	3601.04.321.03- अन्य योजनाएं	मू 1.42 अ 0.01 पु (-) 1.19	15.82	15.57
	2230.01.111.02- कर्मचारियों की पेंशन योजना, 1995	मू 500.00 अ 91.45 पु 8.54	600.00	0.01

निधियों का विवेकहीन पुनर्विनियोग

8.43 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 72(2) के अनुसार निधियों का पुनर्विनियोग केवल तब किया जाएगा, जब यह जाना जाएगा कि अंतरित निधियों का पूर्णरूप से उपयोग नहीं किया जा सकेगा और बचतें उसी इकाई के विनियोग में प्रभावित हो सकती हैं। वर्ष 2002-05 के शीर्षवार विनियोग लेखाओं की नमूना जांच से प्रकट हुआ कि निम्नलिखित उपशीर्षों में निधियों का पुनर्विनियोग अविवेकपूर्ण था क्योंकि उपशीर्षों के अन्तर्गत, मूल प्रावधान जिसके लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियां अंतरित की गई थी पर्याप्त से अधिक था। इसके परिणामस्वरूप इन उप-शीर्षों के अन्तर्गत अंतिम बचत इन शीर्षों में पुनर्विनियोजित राशि से अधिक थी। कुछ उदाहरण तालिका में नीचे दिये गये हैं। मंत्रालय ने बताया कि अभियुक्तियाँ भविष्य में अनुपालना हेतु नोट कर ली गई थीं।

तालिका 8.33: निधियों का विवेकहीन पुनर्विनियोग

(करोड़ रुपयों में)

	उप-शीर्ष	मूल (मू) पुनर्विनियोग (पु)	वास्तविक व्यय	बचत (-) आधिक्य(+)
2002-03	2230.01.101.05-अन्य मदें	मू 2.92 पु 0.80	1.83	(-) 1.89
	2230.01.101.06-श्रम अधिकरण जांच न्यायालय और समझौता बोर्ड	मू 1.67 पु 0.11	1.47	(-) 0.31
	2230.01.110.03-शिक्षा	मू 0.25 पु 0.01	0.01	(-) 0.25
	2230.01.277.02-वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान	मू 4.35 पु 0.20	4.35	(-) 0.20
	2230.02.004.01-शरीरिक विकलांगों को सहायता	मू 6.72 पु 0.21	6.61	(-) 0.32
	2230.01.101.08- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त का सुदृढीकरण	मू 1.60 पु (-) 1.20	1.87	(+) 1.47
	2230.01.107.04- आवास	मू 1.32 पु 0.92	0.42	(+) 0.02
	2230.03.003.04- उच्च कुशलता प्राप्त शिल्पकारों तथा पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण	मू 5.08 पु (-) 0.25	6.01	(+) 1.18
	2230.03.102.06- प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के क्षेत्रीय निदेशालय	मू 2.28 पु 0.10	2.21	(+) 0.03
2003-04	2230.03.004.01-कोलकाता स्थित केन्द्रीय स्टाफ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (के.स्टा.प्र.अ.स.)	मू 1.67 पु 0.13	1.67	(-) 0.13
	2230.01.105.02-स्वास्थ्य	मू 0.51 पु 0.03	0.49	(-) 0.05
	2230.01.102.09- महानिदेशक -खनिज सुरक्षा (मुख्य)	मू 16.08 पु 1.42	14.81	(+) 0.14
	2230.01.102.12- अनुसंधान और प्रशिक्षण	मू 6.08 पु 0.78	5.42	(+) 0.12
	2230.01.106.04- शिक्षा	मू 1.91 पु 0.19	2.03	(+) 0.31
	2230.01.109.03- शिक्षा	मू 34.72 पु 0.42	39.06	(+) 4.76
2004-05	2230.01.101.05- अन्य मदें	म 1.82 पु 0.04	1.66	(-) 0.20
	2230.01.105.03-शिक्षा	मू 0.38 पु 0.02	0.27	(-) 0.12
	2230.03.800.05-व्यावसायिक प्रशिक्षण परियोजनाएँ	मू 2.87 पु 0.05	2.74	(-) 0.18
	2230.01.102.10-महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा एवं गोदी सुरक्षा निरीक्षणालय (मुख्य)	मू 2.62 पु 0.06	2.59	(-) 0.09

निरन्तर बचत एवं अवास्तविक बजट बनाना

8.44 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 63 के अनुसार मंत्रालयों/विभागों को पिछले वर्षों की संवितरण-प्रवृत्तियों तथा वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी किये गये अन्य कारकों जैसे मितव्ययी अनुदेशों, को ध्यान में रखते हुए अपने अनुमान तैयार करने चाहिए। मंत्रालय ने लो.ले.स. को प्रेषित अपनी अनुवर्ती कार्रवाई टिप्पणी में बताया कि 1998-99 के बजट परिपत्र में उसने विभागों को वास्तविक आधार पर बजट अनुमान प्रतिपादित करने का अनुरोध किया था। तथापि, वर्ष 2003-05 की अवधि के लिए विनियोग लेखाओं की संवीक्षा से पता चला कि कुछ शीर्षों के अन्तर्गत प्रावधान का निरन्तर कम उपयोग बना रहा जैसा नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका 8.34: निरन्तर बचतें

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए दिए गए मुख्य कारण
1.	2230.01.101.06-श्रम अधिकरण जांच न्यायालय और समझौता बोर्ड	0.20	0.52	0.21	बचतें खाली पदों तथा पांच नए केन्द्रीय सरकारी अधिकरण एवं श्रम न्यायालय के पूर्ण कार्यात्मक न होने के कारण थी।
2.	2230.01.101.07- मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) तथा क्षेत्रीय श्रम आयुक्त	1.89	1.52	0.67	बचत खाली पदों को न भरने तथा दौरे, किरायों, करों, शुल्कों तथा व्यावसायिक सेवाओं पर कम व्यय के कारण थी।
3.	2230.01.102.03- महानिदेशक खनिज सुरक्षा (म.नि.ख.सु.) की योजनागत योजनाएं	2.03	1.86	2.00	बचत खाली पदों को न भरे जाने तथा व्यय वित्त समिति/स्थायी वित्त समिति द्वारा दो नई योजनाओं का अनुमोदन न करने के कारण थी।
4.	2230.01.102.08- महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवाएं की योजनागत योजना	2.56	0.54	0.45	बचत, खाली पदों के न भरे जाने तथा वित्त मंत्रालय द्वारा लागू कटौती, क्षेत्रीय श्रम मंत्रालय के गैर-कार्यात्मक होने के कारण थी।
5.	2230.01.106.02-स्वास्थ्य	2.23	1.41	0.95	बचत, खाली पदों के न भरे जाने तथा अस्पताल के लिए एम्बुलेन्स तथा सामग्री की खरीद न होने एवं बकाया का भुगतान न होने के कारण थी।
6.	2230.01.109.01-बीडी कमचारी कल्याण निधि आवास	4.19	2.42	4.48	बचत, बीडी कर्मचारियों के लिए आवास निर्माण पर प्रगति रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण थी।
7.	2230.01.109.04-स्वास्थ्य	9.87	7.64	0.98	बचत, खाली पदों के न भरने, चल वाहनों की खरीद न होने तथा दौरे में कटौती करने के कारण थी।

क्रम सं.	उप-शीर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधान के लिए दिए गए मुख्य कारण
8.	2230.01.113.02- बाल श्रम कक्ष	15.03	5.09	5.91	बचत मुख्यतः योजना आयोग द्वारा इन्डो यूएस परियोजना का अनुमोदन न होने के कारण थी।
9.	2230.01.797.03-लोहा, मैगनीज क्रोम अयस्क श्रम कल्याण निधि को स्थानान्तरित	5.00	2.74	2.78	बचत, पूर्वानुमानित कम संचयन के कारण थी।
10.	3601-325.01 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीड़ी कर्मचारियों के लिए आवास योजना	10.88	2.25	2.94	बचत लाभभोगियों से पूर्ण आवेदन दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण तथा सहायता अनुदानों आदि के दावे प्राप्त न होने के कारण थी।

समस्त निधियों का अनुपयोग या उनका पुनर्विनियोग

8.45 वर्ष 2002-2005 के दौरान **परिशिष्ट-VIII ट** में दर्शाए गए 31 उप-शीर्षों के अन्तर्गत समस्त प्रावधान या तो अप्रयुक्त रहे या पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित किये गये थे। स्पष्टतया, प्रावधान मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष जारी किये गये बजट परिपत्रों में निहित अनुदेशों के उल्लंघन में, परियोजनाओं व योजनाओं की पर्याप्त पूर्व-बजट संवीक्षा किए बिना, तैयार किए गये थे। मंत्रालय ने राज्य सरकारों से सहायता अनुदान के लिए दावों तथा प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण को बचत का कारण बताया (जनवरी 2006)। मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभिन्न घटनाओं का पूर्वानुमान लगाए बगैर इन आकस्मिकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त प्रावधान करना अनियमित था।

उपयोग प्रमाण-पत्र

8.46 सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 151(1) के अनुसार, संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी द्वारा अनुदानों के उपयोग संबंधी प्रमाण-पत्र लेखा नियंत्रक को प्रस्तुत करने होते हैं। प्रमाण-पत्रों के उपलब्ध कराने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान उपर्युक्त तरीके से तथा उसी उद्देश्य के लिए जिसके लिए वे संस्वीकृत किए गए थे, उपयोग में लाए गये थे तथा जहाँ अनुदान कुछ शर्तों के साथ जारी किये गये थे, वहाँ निर्धारित शर्तों की पूर्ति हो गई थी।

2001-02 से 2003-04 के दौरान श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी किये गये अनुदानों से सम्बन्धित उपयोग प्रमाण-पत्रों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि 38.40 करोड़ रु. के 699 उपयोग प्रमाण-पत्र दिनांक 14.7.05 तक बकाया थे। जिसमें से, 1979-80 से 2003-04 की अवधि के लिए 37.65 करोड़ रु. की राशि के 576 उपयोग प्रमाण-पत्र बाल श्रम कक्ष योजना से संबंधित थे। विवरण नीचे दिए गए हैं :-

तालिका 8.35: प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण-पत्र

(करोड़ रूपयों में)

अनुदान संस्वीकृत करने का वर्ष	प्राप्य		प्राप्त		बकाया	
	उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि	उ.प्र.	राशि
1979-2002	534	13.37	26	1.80	508	11.57
2002-03	135	20.74	75	14.18	60	6.56
2003-04	325	67.45	194	47.18	131	20.27
						38.40

उपयोग प्रमाण-पत्रों की अनुपस्थिति में यह सुनिश्चित नहीं हो पाया कि अनुदान वास्तव में उसी उद्देश्य के लिए उपयोग में लाए गए थे जिनके लिए वे संस्वीकृत किये गये थे। अपने उत्तर में (जनवरी 2006) मंत्रालय ने बताया कि लम्बित उपयोग प्रमाण-पत्र के प्रस्तुतीकरण से सम्बन्धित मामला नियमित रूप से उठाया जा रहा था।

निरंतर अव्ययित प्रावधानों द्वारा प्रभावित योजनायें

8.47 बीड़ी, लौह अयस्क और मैगनीज अयस्क (लौ.अ.मै.अ.) तथा चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खनिज (चू.प.डो.ख.) कर्मचारियों के लिए एकीकृत आवास योजना

यह योजना बीड़ी, लो.अ.मै.अ. तथा चू.प.डो.ख. कर्मचारियों के आवास की कमी को दूर करने हेतु बनाई गई है। राज्य, संघ शासित सरकारों के माध्यम से प्रति कर्मचारी 20,000 रु. की समरूप दर पर अथवा प्रति कमरा निर्माण के वास्तविक कीमत का 50 %, जो भी कम हो की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 2002-03 के दौरान 10.88 करोड़ रु. के समस्त मूल प्रावधान अनप्रयुक्त पड़े रहे और आगामी वर्षों में निधियां विस्तृत सीमा तक अनप्रयुक्त पड़ी रही, जिनका विवरण नीचे दिया गया है।

तालिका 8.36: निरन्तर अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	वर्ष	प्रावधान	व्यय	बचत	प्रतिशतता
1.	2002-03	10.88	शून्य	10.88	100
2.	2003-04	3.50	1.25	2.25	64
3.	2004-05	3.60	0.66	2.94	82

चूंकि, 64 से 100 प्रतिशत की सीमा तक निधियां अनप्रयुक्त पड़ी रहीं, योजना के लक्ष्य एवं उद्देश्य प्राप्त नहीं किए जा सके, और योजना का मूल उद्देश्य विफल रहा। बचतों का कारण मंत्रालय द्वारा, राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होने को आरोपित किया गया था (जनवरी 2006)। उत्तर तर्क संगत नहीं है क्योंकि उसी प्रयोजन के लिए प्रस्तावों का पूर्वानुमान लगाए बगैर निधियों का प्रावधान करना मंत्रालय के भाग पर अनियमित था।

श्रमिक कल्याण निधि का कम उपयोग

8.48 भारत सरकार असंगठित क्षेत्रों में कर्मचारियों के कल्याण को, विशेष कर जो बीड़ी, खनन एवं सिनेमा उद्योग में लगे हुए हैं, उच्च प्राथमिकता प्रदान करती है। मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाओं के लिए कल्याणकारी निधियां स्थापित की गई हैं:-

- (क) माइका खान श्रमिक कल्याण निधि
- (ख) चूना पत्थर एवं डोलोमाइट खान श्रमिक कल्याण निधि
- (ग) लौह अयस्क मैगनीज अयस्क तथा क्रोम अयस्क श्रमिक कल्याण निधि
- (घ) बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि
- (ड.) सिनेमा कर्मचारी भविष्य निधि

खनिजों के निर्यात की खपत, बीड़ियों के उत्पादन और फीचर फिल्मों के निर्माण पर उपकर की उगाही से ये निधियाँ वित्त पोषित होती हैं। चिकित्सा सुविधाओं, आवास, पीने के पानी की आपूर्ति, लाभभोगियों के आश्रितों को शिक्षा सहायता, कर्मचारियों का मनोरंजन आदि से संबंधित कल्याणकारी गतिविधियां इन निधियों से वित्तपोषित होती हैं।

निम्नलिखित तीन मुख्य निधियों में, जिस प्रयोजन के लिए ये निधियां सृजित की गयी थी, को विफल करते हुए विस्तृत राशि वर्ष के अंत में अव्ययित पड़ी रही। मंत्रालय को निधियों के उचित उपयोग के लिए तुरन्त कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

तालिका 8.37: कर्मचारियों की कल्याण निधि

(करोड़ रूपयों में)

	वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	व्यय	अंतशेष
बीड़ी कर्मचारी कल्याण निधि	2002-03	31.93	84.15	65.82	50.26
	2003-04	50.26	85.83	82.14	53.95
	2004-05	53.95	72.39	88.83	37.51
चूना-पत्थर एवं डोलोमाइट खान कर्मचारी कल्याण निधि	2002-03	21.13	10.13	6.22	25.03
	2003-04	25.03	10.08	6.50	28.61
	2004-05	28.61	12.09	7.51	33.19
लौह, अयस्क मैगनीज अयस्क एवं क्रोम अयस्क कर्मचारी कल्याण निधि	2002-03	115.87	15.08	7.96	122.99
	2003-04	122.99	12.28	9.16	126.11
	2004-05	126.11	11.56	9.85	127.82

त्रुटिपूर्ण आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली

8.49 श्रम एवं रोजगार मंत्रालय का लेखापरीक्षा स्कन्ध मंत्रालय के नियंत्रक-लेखा के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है तथा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली सभी

इकाइयों की आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए उत्तरदायी है इसके साथ-साथ इसमें महानिदेशक रोजगार एवं प्रशिक्षण (म.नि.रो. एवं प्र.) मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का कार्यालय, महानिदेशक कारखाना सलाह सेवा एवं श्रम संस्थान (म.नि.का.स.से. एवं श्र.सं.) महानिदेशक खनन सुरक्षा (म.नि.ख.सु.), सम्बद्ध कार्यालय तथा अठारह अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्त निकाय तथा एक मध्यस्थता निकाय समाविष्ट हैं। वर्तमान में आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत 214 इकाइयाँ हैं।

31 मार्च 2005 को महानियंत्रक लेखा के लेखापरीक्षा दलों की 2331 अभ्युक्तियाँ लम्बित थी। ये मुख्यतः शुल्कों की गैर वसूली, अधिक भुगतानों, अनियमित खरीद, अग्रिमों के गैर-समायोजन, निधियों के अवरोधन आदि मामलों से संबंधित थीं। पूर्ववर्ती पैराग्राफों में इंगित किए गए मामलों की भांति बड़ी संख्या में अत्यधिक बचतें, आधिक्य, पुनर्विनियोगों आदि के मामले भी थे। तथापि, ये त्रुटियाँ आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा इंगित नहीं की गयी थी। इस प्रकार, मंत्रालय को प्रभावी आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। मंत्रालय ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2006) कि लेखापरीक्षा अनुदेशों को आंतरिक लेखापरीक्षा स्कन्ध के ध्यान में लाया गया था।

आवासीय आर्थिक सहायता का अत्यधिक आहरण

8.50 बीड़ी लोहा, अयस्क, खनिज, मैगनीज, अयस्क खानें और क्रोम खानें तथा चूना-पत्थर तथा डोलोमाइट खदान कर्मचारियों की एकीकृत आवास योजना, से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि आन्ध्र प्रदेश आवास निगम लिमिटेड ने आवासों का निर्माण किए बिना 25.47 लाख रू. की राशि की आर्थिक सहायता आधिक्य का आहरण किया था। विभाग को अभी भी मामले पर की गयी कार्यवाही की सूचना देनी थी। मंत्रालय ने अपने उत्तर (जनवरी 2006) में अभ्युक्तियों को स्वीकार किया और बताया कि आहरित की गयी अतिरिक्त राशि की वसूली के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी।

अध्याय 9

सरकार की वित्तीय व्यवस्था का प्रबंधन: एक सामान्य मूल्यांकन

राजकोषीय निष्पादन के संक्षिप्त संकेतक

9.1 यह अध्याय उन मूलभूत सूचकों, जो उपलब्ध संसाधनों की पर्याप्तता एवं प्रभावशीलता का निर्धारण करने, चिन्ताजनक क्षेत्रों को उजागर करने तथा सरकार की वित्त व्यवस्था के महत्वपूर्ण पहलुओं का चित्रण करने में सहायता करते हैं, के संदर्भ में 1985-2005 के दौरान सरकार की वित्तीय स्थिति का संक्षेप दर्शाता है। संघ सरकार के राजकोषीय मापदण्डों को मौटे तौर पर चार मुख्य घटकों के समूह में बाँट दिया गया है और प्रत्येक घटक के लिए संकेतकों के समूहों की कल्पना की गई है जिससे समय के साथ राजकोषीय विकास का मूल्यांकन किया जाये। संसाधनों का संग्रहण, व्यय का प्रबंधन, राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन और राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन चार मुख्य घटक हैं।

संसाधन संग्रहण

9.2 इस मुख्य घटक के अंतर्गत संसाधनों की पर्याप्तता, इन संसाधनों की वृद्धि और पूर्व निवेश पर वापसी, वित्तीय अंतर्वर्तन और आज तक हुए पूँजीगत व्यय के चित्रण हेतु तालिका 9.1 में दर्शाए गए आठ संकेतकों को शामिल किया गया है। राजस्व प्राप्ति-स.घ.उ. अनुपात, वर्तमान सेवाओं के प्रावधान के लिए संसाधनों के वर्तमान प्रवाह की पर्याप्तता का संकेत देता है। राजस्व प्राप्तियों में कर तथा गैर-कर प्राप्तियां दोनों के साथ-साथ सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सामाजिक तथा आर्थिक सेवाओं के लिए उपभोक्ता प्रभारों की वसूली सम्मिलित हैं। संसाधनों की पर्याप्तता का दूसरा संकेतक, कर-स.घ.उ. अनुपात है जो, राजस्व प्राप्तियों का एक उप-समुच्चय है। यह अनुपात ऐसे संसाधनों तक सरकार की पहुँच का संकेत देता है जिनके लिए कोई प्रत्यक्ष सेवा प्रावधान बाध्यता नहीं है। राजस्व और कर उत्प्लावकता संसाधनों को जुटाने के लिए किये गये प्रयासों की प्रगति के संकेतक हैं। अन्य चार, पुराने निवेश की वापसी और उपभोक्ता प्रभारों की वसूली के संकेतक हैं। तालिका 9.1 1985-2005, VIII वीं और IX वीं योजनाओं (1992-1997 और 1997-2002) और गत दो निकटतम वर्षों के दौरान इन संकेतकों के मान में गति का सारांश दर्शाती है।

तालिका 9.1: संसाधन संग्रहण के संकेतक

(प्रतिशत)

	1985-2005	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2003-04	2004-05
राजस्व प्राप्ति/स.घ.उ.	12.55	12.71	12.40	12.29	12.14
कर प्राप्ति/स.घ.उ.	9.21	9.32	8.68	9.22	9.82
राजस्व उत्प्लावकता *	0.93	0.94	0.78	1.09	0.89
कर उत्प्लावकता *	0.91	0.96	0.86	1.46	1.59
अग्रिमों पर वापसी	12.96	11.23	14.15	15.91	14.30
निवेश पर वापसी	5.72	2.35	5.30	9.84	13.29
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - सामाजिक सेवायें	4.36	9.57	3.59	1.91	1.49
उपभोक्ता प्रभारों की वसूली - आर्थिक सेवायें	53.26	57.22	55.80	45.27	51.37

* राजस्व और कर उत्प्लावकता के गुणांक अनुपात में है।

9.3 VIII वीं योजना (1992-1997) के दौरान मूल्यों की तुलना में, 2004-2005 में राजस्व प्राप्ति का अनुपात कम था। यह अनुपात एक निरंतर घटता रूझान दर्शा रहा था। किन्तु कर संग्रह पिछले दो वर्षों में उत्प्लावक रहे और यह कर-स.घ.उ. अनुपात में वृद्धि में प्रतिबिम्बित हुआ। चालू वर्ष में, कर-स.घ.उ. अनुपात 9.82 तक बढ़ गया था, जो 1992-93 के बाद का सर्वोच्च हासिल है। हालांकि पिछले दो वर्षों में कर उत्प्लावकता में सुधार था किन्तु इसे बनाए रखने की आवश्यकता है। राजस्व उत्प्लावकता, जो 2004-05 में इकाई से नीचे गिर गई थी, को भी वि.उ.ब.प्र. लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उभर उठाने की जरूरत होगी। VIIIवीं और IXवीं योजना की अवधि के दौरान इन दोनों चरों के उत्प्लावकता गुणांक एक से कम थे परन्तु पिछले दो वर्षों में इसमें बढ़ोतरी पाई गई थी। निवेश और ऋणों एवं अग्रिमों से वापसी में सकारात्मक सुधार प्रतीत होता था, परन्तु वर्षों के दौरान उपभोक्ता प्रभार की वसूली में महत्वपूर्ण गिरावट देखी गयी थी। अतः संसाधन जुटाने के प्रयासों ने एक मिली जुली स्थिति प्रस्तुत की थी।

व्यय का प्रबंधन

9.4 व्यय के प्रबंधन में इसकी वृद्धि और गुणवत्ता के चित्रण के लिए, तालिका 9.2 में दर्शाए गए आठ संकेतकों की पहचान की गई थी। योजनागत व्यय, पूंजीगत व्यय और विकास व्यय, व्यय की गुणवत्ता के संकेतक हैं। स.घ.उ. से व्यय का अनुपात और उत्प्लावकता (राजस्व प्राप्ति के संदर्भ में) के मापदण्ड स.घ.उ. से व्यय के सम्बन्ध तथा इन मापदण्डों में बदलाव के प्रति इसकी अनुकूलता दर्शाते हैं। निश्चित समय सीमा में इन मापदण्डों के मूल्य तालिका 9.2 में दर्शाये गये हैं।

तालिका 9.2: व्यय प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	1985-2005	VIII वी योजना (1992-1997)	IX वी योजना (1997-2002)	2003-04	2004-05
कुल व्यय/स.घ.उ.	19.57	19.66	19.56	18.36	17.69
राजस्व व्यय/स.घ.उ.	15.96	15.51	16.36	15.95	14.67
राजस्व व्यय/कुल व्यय	81.54	78.88	83.61	86.83	82.93
योजनागत व्यय/कुल व्यय	23.15	23.68	20.99	24.13	24.20
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	8.42	9.61	7.00	6.98	9.77
विकास व्यय/कुल व्यय*	44.32	42.24	40.40	40.10	38.69
कुल व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के साथ (अनुपात)	0.94	0.76	1.09	0.49	0.75
राजस्व व्यय की उत्प्लावकता राजस्व प्राप्तियों के साथ (अनुपात)	1.06	0.94	1.28	0.57	0.32

* विकास व्यय सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय है और यहां हर कुल व्यय में ऋण और अग्रिम शामिल नहीं हैं।

9.5 संसाधन संग्रहण पर मापदण्डों के मामले की भाँति व्यय के संबंध में भी मापदण्डों की प्रवृत्ति मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती थी। पूंजीगत व्यय में समय के साथ-साथ संकुचन देखा गया, विकास व्यय में गिरावट, योजनागत व्यय में स्थिरता और राजस्व व्यय में बढ़ोतरी हुई। तथापि चालू वर्ष में कुल व्यय से पूंजीगत व्यय के अनुपात में सुधार, राजस्व व्यय के हिस्से में गिरावट तथा स.घ.उ. से राजस्व व कुल व्यय के अनुपात में गिरावट के संबंध में सुधार था।

राजकोषीय असन्तुलन का प्रबंधन

9.6 राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन को दर्शाने हेतु तालिका 9.3 में दर्शाए गए पाँच संकेतकों की पहचान की गई थी। इसमें राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे से स.घ.उ. का अनुपात, राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे का अनुपात और चालू राजस्व का बकाया (चा.रा.ब.) शामिल था। यद्यपि, घाटा सरकार की प्राप्ति और व्यय के बारे में नीति का अनिवार्य परिणाम था, यह राजकोषीय स्वास्थ्य का उपयोगी प्रतिनिधित्व करता है। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (रा.उ.ब.प्र.) अधिनियम 2003 द्वारा भी सरकार को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करने के लिए और उसके पश्चात पर्याप्त राजस्व आधिक्य बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए अधिदेश दिया गया था। इन मापदण्डों के निश्चित अवधि में मान, जो ऊपर उल्लिखित किया गया है, को तालिका 9.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.3: राजकोषीय असन्तुलन के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	1985-2005	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2003-04	2004-05
राजस्व घाटा/स.घ.उ.	3.41	2.80	3.95	3.36	2.53
राजकोषीय घाटा/स.घ.उ.	5.60	6.04	6.25	2.93	3.34
प्राथमिक घाटा/स.घ.उ.	1.13	1.77	1.49	-1.71	-0.87
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	60.90	46.26	63.26	124.77	75.82
चालू राजस्व का बकाया(चा.रा.ब.) (करोड़ रुपयों में)	-10450	-2191	-28622	-22348	8794

9.7 घाटे से स.घ.उ. और राजस्व घाटे से राजकोषीय घाटे के अनुपात संघीय वित्त की सुभेद्यता के सूचक हैं। वित्त उस स्तर तक सुभेद्य हो जाता है जब राजकोषीय घाटा परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु उपयोग में नहीं लाया जाता क्योंकि चुकौती क्षमता में कोई पुनर्भुगतान वृद्धि नहीं होती, वहनित देयताओं के पीछे परिसम्पत्ति का संबल नहीं होता। यह अनुपात VIIIवीं योजना (1992-97) के दौरान 46.26 प्रतिशत की औसत से बढ़कर 2003-2004 में 124.77 प्रतिशत हो गया। यह पहली बार था कि राजकोषीय घाटे से राजस्व घाटा अधिक हो गया था। हालांकि चालू वर्ष में सुधार हुआ था। पुराने कर्जों की वसूली में बढ़ोत्तरी के कारण 2003-04 में स.घ.उ. से राजकोषीय घाटे के अनुपात में जो तीव्र सुधार देखा गया था, उसके वेग को बनाए नहीं रखा जा सका, हालांकि कर्जों व अग्रिमों की वसूलियां नए अग्रिमों से अधिक होती रहीं। राजस्व प्राप्ति में बढ़ोत्तरी के माध्यम से इस अनुपात में कमी वास्तव में अधिक वांछनीय होगी। राजस्व घाटे को पूरी तरह हटाना रा.उ.ब.प्र. अधिनियम 2003 में अधिदेशित है, इसके लिए अधिक प्रयासों की आवश्यकता है। प्राथमिक आधिक्य जो 30 वर्षों में पहली बार, 2003-04 में उत्पन्न हुआ था, चालू वर्ष में भी बना रहा। चालू राजस्व का बकाया, योजनेतर राजस्व बकाया का संकेतक है और यदि वह धनात्मक है तो उस सीमा तक चालू राजस्व से योजनागत व्यय को निधि प्राप्त हो रही है। चा.रा.ब. जो 1990-91 में ऋणात्मक हो गया था वह चालू वर्ष में धनात्मक हो गया। अतः राजकोषीय प्रबंधन के मोर्चे पर अधिक आशावाद था।

राजकोषीय देयताओं का प्रबंधन

9.8 ऋण की वहनियता सरकार की वित्त व्यवस्था के मूल्यांकन का मुख्य मुद्दा है। ऋण से स.घ.उ. का अनुपात जितना अधिक होगा, सरकार द्वारा ऋण लिये जाने की संभावित लागत उतनी ही अधिक होगी। औसत ब्याज दर, ब्याज तथा स.घ.उ. वृद्धि में अन्तर (डोमर अन्तराल के रूप में संदर्भित) तथा राजकोषीय देयताओं से परिसम्पत्तियों (उधार ली गई निधियों का उपयोग) का अनुपात, ऋण प्रबंधन के कुछ महत्वपूर्ण संकेतक हैं। उधार की प्रतिशतता के रूप में ब्याज को सम्मिलित करते हुये ऋण

विमोचन भी उपलब्ध संसाधनों के वर्तमान अनुप्रयोग के स्वायत्तता की मात्रा दर्शाता है। यह अनुपात जितना बड़ा होगा, वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उधारों से उपलब्ध राशि उतनी ही कम होगी। राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के सात संकेतकों के मूल्यों को नीचे दी गई तालिका 9.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 9.4: राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन के संकेतक

(प्रतिशत)

संकेतक	1985-2005	VIIIवीं योजना (1992-1997)	IXवीं योजना (1997-2002)	2003-04	2004-05
राजकोषीय देयताएं/स.घ.उ.	59.98	60.72	59.08	60.13	58.71
औसत ब्याज दर-आंतरिक देयताएं	9.54	9.37	10.42	9.24	8.69
औसत ब्याज दर - कुल देयताएं	8.36	7.91	9.06	8.28	7.89
देयताओं के प्रति परिसम्पत्तियों का अनुपात	51.72	57.68	50.90	41.48	39.36
राजकोषीय देयताएं/राजस्व प्राप्ति	478	478	476	489	484
डोमर अंतराल	5.54	8.63	1.37	3.77	4.63
परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता	0.71	0.83	0.70	-0.10	0.43

9.9 राजकोषीय देयताओं के प्रबंधन से सम्बन्धित मापदण्डों में प्रवृत्तियाँ भी एक मिली जुली स्थिति प्रस्तुत करती हैं। स.घ.उ. से ऋण के अनुपात में IXवीं योजना (1997-2002) के दौरान समेकन के उपरांत 2001-02 तथा 2002-03 में तीव्र वृद्धि देखी गयी थी। हालांकि, स.घ.उ. के सापेक्ष राजकोषीय देयताओं की निम्न वृद्धि के कारण पिछले दो वर्षों में अनुपात संतुलित हो गया, यह अभी भी काफी उंचा है। यद्यपि IXवीं योजना के दौरान राजकोषीय देयताओं पर ब्याज की दर बढ़ गयी, हाल के वर्षों में इसमें मंदन पाया गया था। तथापि, अधिक ऋण प्रलंबन के कारण सरकार ब्याज दरों में संतुलन का पूरा लाभ नहीं उठा सकी। डोमर अंतराल 2002-03 को छोड़कर शेष समय में धनात्मक बना रहा। देयताओं का परिसम्पत्तियों से अनुपात 2003-04 में VIIIवीं पांच वर्षीय योजना के दौरान 57.68 प्रतिशत के औसत से 2004-05 में 39.36 प्रतिशत तक गिर गया था जो यह संकेत देता था कि संघ सरकार की कुल राजकोषीय देयताओं के लगभग 60 प्रतिशत का कोई परिसम्पत्ति सम्बल नहीं था। परिसम्पत्तियाँ भी राजकोषीय देयताओं की तुलना में कम दर पर बढ़ रही थीं। 1985-2005 के दौरान परिसम्पत्तियों की समग्र उत्प्लावकता 0.71 थी जो इस बात का सूचक थी कि देयताओं में प्रत्येक एक प्रतिशत की बढ़त के लिए परिसम्पत्तियां केवल 0.71 प्रतिशत ही बढ़ी थीं। वर्षों से परिसम्पत्तियों की उत्प्लावकता में गिरावट जारी रही।

9.10 चूंकि वर्तमान सेवाओं के लिए उपयोग हेतु उपलब्ध संसाधन, स.घ.उ. के सापेक्ष कम हो गये थे, यह आवश्यक है कि इनका उपयोग अधिकतम दक्षता के साथ किया जाए। ये अक्षताएं, संसाधनों का समय पर उपयोग करने की अयोग्यता,

परियोजनाओं में विलम्ब करने तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन की कठोरताओं जैसे कि निधियों के व्यपगत होने तथा बजट प्रस्तावों में अपारदर्शिताओं का परिणाम हैं। ये तथा इस प्रतिवेदन में अन्यत्र इंगित किये गये दूसरे मुद्दे सरकार की बजटीय प्रक्रियाओं सहित सरकारी वित्त व्यवस्था तथा लेखाओं में सुधार के विभिन्न उपायों की मांग करते हैं।




(डा. अं.कु. बनर्जी)
महानिदेशक लेखापरीक्षा
केन्द्रीय राजस्व

नई दिल्ली
दिनांक

10 मार्च 2006
MAR 2006

प्रतिहस्ताक्षरित



(विजयेन्द्र नाथ कौल)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक

10 मार्च 2006
MAR 2006

परिशिष्ट सूची

क्र.सं.	परिशिष्ट सं.		पृष्ठ सं.
1.	III-क	संघ सरकार का कुल व्यय	118
2.	V-क	संघ सरकार की कुल देयता	119
3.	V-ख	अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार	120
4.	VI-क	अनुमोदन तथा संवितरण	121
5.	VI-ख	अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान	123
6.	VI-ग	सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात	124
7.	VI-घ	मार्च माह 2005 के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय	125
8.	VII-क	निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण (दो करोड़ रु. और उससे अधिक के आधिक्य)	132
9.	VII-ख	अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे	134
10.	VII-ग	उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया	136
11.	VII-घ	प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोचित थे (पुनर्विनियोग के केवल दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख)	137
12.	VII-ङ	मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति	138
13.	VIII-क	अव्ययित प्रावधानों का विवरण	139
14.	VIII-ख	अवास्तविक बजट बनाना	142
15.	VIII-ग	समस्त निधियों का अनुपयोग	143
16.	VIII-घ	प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र	144
17.	VIII-ङ	स्थाई अव्ययित प्रावधान	145
18.	VIII-च	स्थाई आधिक्य	149
19.	VIII-छ	मुख्य अव्ययित प्रावधानों के मामले	151
20.	VIII-ज	स्थाई अव्ययित प्रावधान	153
21.	VIII-झ	अव्ययित प्रावधान	155
22.	VIII-ञ	उप-शीर्षों के अन्तर्गत आधिक्य प्रावधान	157
23.	VIII-ट	समस्त वजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा	158

परिशिष्ट-III-क
(पैराग्राफ 3.7 के संदर्भ में)
संघ सरकार का कुल व्यय

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	राजस्व	पूंजीगत	ऋण एवं अग्रिम	योग
1985-86	49032	8900	13805	71737
1986-87	57911	10991	13431	82333
1987-88	65895	10523	13794	90212
1988-89	76415	11340	15205	102960
1989-90	90138	13399	17370	120907
1990-91	102964	13387	20708	137059
1991-92	116091	13911	18703	148705
1992-93	132794	20586	17619	170999
1993-94	152317	24650	21874	198841
1994-95	177699	19266	23898	220863
1995-96	198302	17544	24810	240656
1996-97	226372	15704	29035	271111
1997-98	277732	20225	35471	333428
1998-99	300456	25200	46594	372250
1999-00	343195	29023	27359	399577
2000-01	342647	25426	27761	395834
2001-02	375582	31295	38614	445491
2002-03	409591	30497	36222	476310
2003-04	440086	35401	31330	506817
2004-05	455571	53654	40108	549333

परिशिष्ट-V- क
(पैराग्राफ 5.3 के संदर्भ में)
संघ सरकार की कुल देयता

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आन्तरिक ऋण	बाह्य ऋण		लोक लेखा		कुल देयताएं	
		ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर	लघु बचत, भविष्य निधि इत्यादि	आरक्षित निधि तथा जमा	ऐतिहासिक दर पर	वर्तमान दर पर
1976-77	14458	8611	*	7709	2830	33608	*
1977-78	18996	8985	*	9130	3062	40173	*
1978-79	19855	9373	*	10756	3499	43483	*
1979-80	24319	9964	*	12486	3445	50214	*
1980-81	30864	11298	*	13953	3633	59748	*
1981-82	35653	12328	*	16578	3626	68185	*
1982-83	46939	13682	*	19887	4364	84872	*
1983-84	50264	15120	*	23874	6003	95261	*
1984-85	58537	16636	*	29705	8563	113441	*
1985-86	71039	18153	*	36859	11433	137484	*
1986-87	86312	20299	*	44928	15006	166545	*
1987-88	98646	23223	*	54528	19165	195562	*
1988-89	114498	25746	*	68536	20991	229771	*
1989-90	133193	28343	*	87065	19592	268193	*
1990-91	154004	31525	*	107107	21922	314558	*
1991-92	172750	36948	109608	121500	23464	354662	427322
1992-93	199100	42269	120813	136802	23752	401923	480467
1993-94	245712	47345	127798	160355	24556	477968	558421
1994-95	266467	50928	142389	192222	28993	538610	630071
1995-96	307869	51249	148583	213435	33680	606233	703567
1996-97	344475	54239	149077	239042	37919	675675	770513
1997-98	388998	55332	161442	291867	42097	778294	884404
1998-99	459696	57254	177934	333261	41595	891806	1012486
1999-00	714254	58437	186075	172212	47508	992411	1120049
2000-01	803698	65945	190017	186592	58535	1114770	1238842
2001-02	913061	71546	199897	213449	73133	1271189	1399540
2002-03	1020689	59612	196068	251293	80126	1411720	1548176
2003-04	1141706	46125	184203	241349	92376	1521556	1659634
2004-05	1275971	60877	191271	263048	92989	1692885	1823279

* वर्तमान विनिमय दर उपलब्ध नहीं है।

परिशिष्ट-V- ख
(पैराग्राफ 5.17 के संदर्भ में)
अप्रयुक्त बाह्य सहायता - क्षेत्रवार

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	क्षेत्र	वर्तमान दर पर अप्रयुक्त बाह्य सहायता
1.	विद्युत	13464.23
2.	सड़कें	15573.94
3.	सामाजिक	5210.34
4.	शहरी विकास	9104.30
5.	जल संसाधन प्रबंधन	6243.11
6.	कृषि तथा ग्रामीण विकास	4438.90
7.	पर्यावरण एवं वन विज्ञान	2555.24
8.	अवसंरचना क्षेत्र (सामान्य)	3281.50
9.	अन्य	3513.85
10.	रेलवे	1902.00
11.	ऊर्जा (गैर-परम्परागत)	840.27
12.	ढांचागत समायोजन/तीव्र सं. वि.	350.08
13.	स्वास्थ्य	1374.33
14.	उद्योग तथा वित्त	159.89
15.	अवसंरचना क्षेत्र (संचार)	50.61
16.	ऊर्जा क्षेत्र	8.41
17.	उर्वरक	0.66
18.	कोयला	0.40
19.	जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	362.52
	योग	68434.58

परिशिष्ट-VI- क
(पैराग्राफ 6.4 के संदर्भ में)
अनुमोदन तथा संवितरण

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान
क - सिविल					
दत्तमत					
I. राजस्व	215854.55	22539.01	238393.56	220157.40	18236.16
II. पूंजीगत	23148.30	599.45	23747.75	16167.46	7580.29
III. ऋण एवं अग्रिम	14668.66	1744.35	16413.01	15929.20	483.81
योग	253671.51	24882.81	278554.32	252254.06	26300.26
प्रभारित					
IV. राजस्व	151299.69	77.53	151377.22	144269.19	7108.03
V. पूंजीगत	31.55	1.38	32.93	10.97	21.96
VI. लोक ऋण	342119.51	180365.72	522485.23	556268.78	*(+)33783.55
VII. ऋण एवं अग्रिम	28898.92	1041.01	29939.93	24392.57	5547.36
योग	522349.67	181485.64	703835.31	724941.51	*(+)21106.20
कुल योग	776021.18	206368.45	982389.63	977195.57	5194.06
संवितरण की कटौती में वसूलियां			13514.03	13399.45	
कुल निवल प्रावधान			968875.60		
कुल निवल संवितरण				963796.12	
ख - डाक					
दत्तमत					
I. राजस्व	6030.35	10.79	6041.14	5964.26	76.88
II. पूंजीगत	178.74	0.01	178.75	126.29	52.46
योग	6209.09	10.80	6219.89	6090.55	129.34
प्रभारित					
III. राजस्व	0.02	0.21	0.23	0.28	*(+)0.05
IV. पूंजीगत	-	-	-	-	-
योग	0.02	0.21	0.23	0.28	*(+)0.05
कुल योग	6209.11	11.01	6220.12	6090.83	129.29
संवितरण की कटौती में वसूलियां			98.60	150.84	
कुल निवल प्रावधान			6121.52		
कुल निवल संवितरण				5939.99	

*आधिक्य

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

(करोड़ रूपयों में)

संवितरणों का प्रकार	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/विनियोग	योग	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत						
I. राजस्व	45946.32	1506.77	47453.09	46627.73	825.36	
II. पूंजीगत	33472.99	-	33472.99	31987.45	1485.54	
योग	79419.31	1506.77	80926.08	78615.18	2310.90	
प्रभारित						
III. राजस्व	19.00	0.14	19.14	11.35	7.79	
IV. पूंजीगत	9.86	5.17	15.03	6.34	8.69	
योग	28.86	5.31	34.17	17.69	16.48	
कुल योग	79448.17	1512.08	80960.25	78632.87	2327.38	
संवितरण की कटौती में वसूलियां			317.40	282.01		
कुल निवल प्रावधान			80642.85			
कुल निवल संवितरण				78350.86		
घ - रेलवे						
दत्तमत						
	79044.52	4416.16	83460.68	84152.42	*(+) 691.74	
प्रभारित						
	46.55	35.60	82.15	76.48	5.67	
योग	79091.07	4451.76	83542.83	84228.90	*(+) 686.07	
संवितरण की कटौती में वसूलियां			25156.64	26714.34		
कुल निवल प्रावधान			58386.19			
कुल निवल संवितरण				57514.56		
कुल	दत्तमत	418344.43	30816.54	449160.97	421112.21	28048.76
भा.स.नि.	प्रभारित	522425.10	181526.76	763951.86	725035.96	*(+)21084.10
कुल योग भा.स.नि.		940769.53	212343.30	1153112.83	1146148.17	6964.66
व्यय की कटौती में कुल वसूली				40546.64		
वित्त लेखे के अनुसार कुल भा.स.नि.				1105601.53		
* आधिक्य						
टिप्पणी: अनुदानों की मांगों में, प्रभारित संवितरण का प्रावधान विनियोग कहलाता है और दत्तमत संवितरण में, यह अनुदान कहलाता है।						
भा.स.नि.: भारत की समेकित निधि						

परिशिष्ट-VI- ख
(पैराग्राफ 6.6 के संदर्भ में)
अनुदानों/विनियोगों में निवल अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

प्रभावित अनुदान तथा विनियोग	अव्ययित प्रावधान		आधिक्य		निवल अव्ययित प्रावधान	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
क - सिविल						
दत्तमत	18236.16	8064.10	-	-	18236.16	8064.10
अनुदानों की संख्या	92	65	-	-	-	-
प्रभासित	7109.01	5569.32	0.98	33783.55	7108.03	*(+)28214.23
विनियोगों की संख्या	37	11	2	1		
ख - डाक						
दत्तमत	76.88	52.46	-	-	76.88	52.46
अनुदानों की संख्या	1	1	-	-	-	-
प्रभासित	-	-	0.05	-	(+)0.05	-
विनियोगों की संख्या			1			
ग - रक्षा सेवाएं						
दत्तमत	867.35	1485.54	41.99	-	825.36	1485.54
अनुदानों की संख्या	3	1	2	-	-	-
प्रभासित	7.79	8.69	-	-	7.79	8.69
विनियोगों की संख्या	5	1	-	-	-	-
घ - रेलवे						
दत्तमत	762.99	648.90	714.56	1389.09	48.43	*(+) 740.19
अनुदानों की संख्या	7	4	8	1		
प्रभासित	4.96	1.69	0.64	0.32	4.32	1.37
विनियोगों की संख्या	6	3	5	1		

* आधिक्य

परिशिष्ट-VI- ग
(पैराग्राफ 6.7 के संदर्भ में)
सिविल मंत्रालयों में प्रभारित तथा दत्तमत संवितरणों का समानुपात

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	वर्ष	अनुमोदन			संवितरण			प्रतिशतता	
		दत्तमत	प्रभारित	जोड़	दत्तमत	प्रभारित	योग	दत्तमत को	प्रभारित को
1.	1993-94	88069	203866	291935	82497	188621	271118	30	70
2.	1994-95	94380	254781	349161	87054	216958	304012	29	71
3.	1995-96	96720	282079	378799	90196	231831	322027	28	72
4.	1996-97	107583	313320	420903	96316	280355	376671	26	74
5.	1997-98	145613	486038	631651	132239	452232	584471	23	77
6.	1998-99	139083	504105	643188	139488	468679	608167	23	77
7.	1999-2000	157780	512075	669855	148642	453196	601838	25	75
8.	2000-01	173677	530530	704207	160753	405289	566042	28	72
9.	2001-02	218136	481679	699815	201574	473950	675524	30	70
10.	2002-03	230649	547152	777801	213833	504119	717952	30	70
11.	2003-04	254328	564275	818603	231100	599889	830989	28	72
12.	2004-05	278555	703835	982390	252254	724942	977196	26	74

परिशिष्ट-VI- घ
(पैराग्राफ 6.10 के संदर्भ में)
मार्च माह 2005 के दौरान अन्धाधुन्ध व्यय

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
1 - कृषि तथा सहकारिता विभाग				
1.	2070 - अन्य प्रशासनिक सेवाएं	7.25	2.85	39
2.	2425 - सहकारिता	66.17	39.32	59
3.	3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	1195.18	298.25	25
4.	4401 - फसल पालन पर पूंजीगत परिव्यय	4.99	2.51	50
5.	7601 - राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	230.43	61.83	27
3 - पशुपालन तथा डेरी विभाग				
6.	3602 - सं.श. सरकारों को सहायता अनुदान	4.28	1.56	36
7.	4404 - डेरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	3.48	1.34	39
8.	4405 - मत्स्य पालन पर पूंजीगत परिव्यय	14.90	--	--
4 - कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय				
9.	6851 - गांवों और लघु उद्योगों के लिए ऋण	1.61	1.16	72
5 - परमाणु ऊर्जा				
10.	4859- संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	9.00	9.00	100
11.	5401 - परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	408.21	154.71	38
6 - नाथिकीय शक्ति योजनाएं				
12.	2801 - शक्ति	569.87	193.58	34
13.	6801 - शक्ति परियोजनाओं के लिए ऋण	1444.99	744.99	52
7 - रसायन तथा पेट्रो रसायन विभाग				
14.	2852 - उद्योग	243.54	67.51	28
15.	6857 - रसायन तथा भेषजीय उद्योगों के लिए ऋण	25.57	9.96	39
8 - उर्वरक विभाग				
16.	4855 - उर्वरक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	445.00	445.00	100
16 - सूचना प्रौद्योगिकी विभाग				
17.	2852- उद्योग	430.04	242.22	56
18.	3453- विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	3.10	3.10	100
19.	4859- संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग पर पूंजीगत परिव्यय	8.39	4.18	50

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	(करोड़ रुपये में) कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
20.	7425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए ऋण	0.26	0.26	100
18 – उपभोक्ता मामले विभाग				
21.	3456 – नागरिक आपूर्ति	37.50	25.98	69
22.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	10.20	10.20	100
23.	5475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	0.65	0.20	31
24.	7475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं के लिए ऋण	2.96	1.00	34
19 – खाद्य एवं सार्वजनिक संवितरण विभाग				
25.	2408 – खाद्य भंडारण एवं गोदाम	2.38	2.38	100
26.	3456 – नागरिक आपूर्ति	0.77	0.72	94
20 – संस्कृति मंत्रालय				
27.	3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	2.28	1.11	49
29 – उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय				
28.	2250 –अन्य सामाजिक सेवाएं	4.58	2.59	57
29.	6851 – गांव एवं लघु उद्योगों के लिए ऋण	4.76	2.62	55
30 – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय				
30.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	165.37	53.23	32
31.	4406 – वानिकी एवं वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय	4.49	1.73	39
32.	6406 – वानिकी एवं वन्य जीवन के लिए ऋण	6.00	6.00	100
32 – आर्थिक मामलों का विभाग				
33.	2075 –विविध सामान्य सेवाएं	1.95	1.94	99
34.	3054 – सड़क एवं पुल	802.00	802.00	100
35.	3075 –अन्य यातायात सेवाएं	954.33	954.33	100
36.	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	70.93	41.08	58
33 – मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें				
37.	2046- मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	611.30	227.84	37
38.	2047 – अन्य राजकोषीय सेवाएं	251.19	85.24	34
34 – वित्तीय संस्थानों को भुगतान				
39.	2075- विविध सामान्य सेवाएं	125.00	125.00	100
40.	2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	279.44	279.44	100
41.	2416- कृषीय वित्तीय संस्थान	65.54	42.80	65
42.	2885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर परिव्यय	785.25	305.25	39
43.	3465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थान	811.83	551.17	68
44.	3466- अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान	16.79	7.69	46
45.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	7.48	7.48	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
46.	4885- अन्य उद्योगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	200.00	200.00	100
47.	5465- सामान्य वित्तीय एवं व्यापारिक संस्थानों में निवेश	150.00	150.00	100
48.	7465-सामान्य वित्तीय व्यापारिक संस्थान को ऋण	350.00	350.00	100
36 – राज्य एवं संघ शासित सरकारों को अन्तरण				
49.	2075- विविध सामान्य सेवाएं	200.00	100.00	50
50.	3602 – संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	325.00	101.56	31
43- प्रत्यक्ष कर				
51.	4059 – तैयार निर्मित आवासों का अधिग्रहण	36.30	27.68	76
52.	4216 – तैयार निर्मित फ्लैटों का अधिग्रहण	0.43	0.38	88
44 – अप्रत्यक्ष कर				
53.	4216- आवास पर पूंजीगत परिव्यय	4.83	2.76	57
45 – विनिवेश विभाग				
54.	3451 – सचिवालय आर्थिक सेवाएं	28.86	11.70	41
47 – स्वास्थ्य एवं विभाग				
55.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	247.94	131.50	53
56.	3602- संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	2.48	0.97	39
57.	3606-सहायता सामग्री एवं उपकरण	29.96	11.97	40
58.	4210- लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय	238.46	85.58	36
48 – आयुष विभाग				
59.	4210-लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा पर पूंजीगत परिव्यय	0.51	0.51	100
50 – भारी उद्योग विभाग				
60.	2852 – उद्योग	79.11	53.89	68
52 – गृह मंत्रालय				
61.	2250 – अन्य सामाजिक सेवाएं	0.34	0.11	32
53 – मंत्रिमंडल				
62.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	0.05	0.05	100
54 – पुलिस				
63.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	638.29	395.96	62
64.	3602 – संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	1.12	1.12	100
65.	4055 – पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1364.74	467.30	34
66.	7601 – राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	11.87	11.87	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
55 – गृह मंत्रालय का अन्य व्यय				
67.	2250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.05	0.04	80
68.	3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	0.11	0.11	100
69.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	386.46	131.67	34
57 – प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग				
70.	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	21.12	6.62	31
71.	3602- संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	5.40	5.31	98
58 – माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग				
72.	2013- मंत्री परिषद	0.01	0.01	100
73.	2552- उत्तर पूर्वी क्षेत्र	13.50	6.00	44
74.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	167.23	119.37	71
75.	3602- संघ राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	0.12	0.10	83
63 – विधि एवं न्याय मंत्रालय				
76.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	104.17	103.92	100
65 – गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय				
77.	6810 – गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए ऋण	10.00	10.00	100
66 – भारतीय विदेशी कार्य मंत्रालय				
78.	2052- सचिवालय सामान्य सेवाएं	2.79	0.92	33
79.	2061 – विदेश मामले	3.05	2.18	71
80.	4059 – लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	0.32	0.32	100
67 – पंचायती राज मंत्रालय				
81.	2515 – अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	5.65	3.92	69
82.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3.06	0.92	30
70 – कार्मिक, लोक शिकायत मंत्रालय				
83.	4055- पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय	1.00	1.00	100
84.	4059- लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	1.07	0.55	51
85.	7601- राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	9.00	9.00	100
71 – पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय				
86.	6802 – पेट्रोलियम के लिए ऋण	2.00	2.00	100
72 – योजना मंत्रालय				
87.	3475 – अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	18.27	6.18	34
88.	3601- राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3.14	3.14	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	(करोड़ रूपयों में)
				कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
73 – विद्युत मंत्रालय				
89.	2801 – हाइड्रल उत्पादन	2123.30	892.27	42
90.	4801 – विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	2233.86	808.72	36
79 – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय				
91.	3055 – सड़क परिवहन	36.09	13.54	38
92.	3602 – सं.शा. सरकारों को सहायता अनुदान	1.64	1.31	80
93.	5054- सड़कें एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय	5032.21	1944.88	39
80 – ग्रामीण विकास विभाग				
94.	3054 – सड़कें एवं पुल	4606.21	3425.41	74
95.	4216 – आवास पर पूंजीगत परिव्यय	5.00	5.00	100
81 – भूमि संसाधन विभाग				
96.	2506 – भूमि सुधार	0.23	0.23	100
82 – पेयजल आपूर्ति विभाग				
97.	3602 – संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	0.26	0.26	100
83 – विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग				
98.	5425 – अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	11.48	9.40	82
99.	7425 – ओ एस आर के लिए ऋण	9.00	9.00	100
84 – वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान विभाग				
100.	5425 – अन्य वैज्ञानिक एवं पर्यावरणीय अनुसंधान पर पूंजीगत परिव्यय	0.06	0.06	100
101.	6859 – संचार एवं इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योगों के लिए ऋण	2.00	2.00	100
85 – जीव- प्रौद्योगिकी विभाग				
102.	3425 – अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	328.04	80.79	25
86 – जहाजरानी मंत्रालय				
103.	2852 – उद्योग	16.21	6.40	39
104.	3051 – पत्तन एवं प्रकाशस्तम्भ	353.80	196.18	55
105.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	16.18	16.18	100
106.	3605 – अन्य देशों के साथ तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग	1.46	1.46	100
107.	4858 – अभियान्त्रिकी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	8.30	5.80	70
108.	5052 – जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	2.28	2.28	100
109.	5056 – अन्तर्देशीय जल परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय	2.50	2.50	100

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
110.	6858 – अभियांत्रिकी उद्योगों के लिए ऋण	13.81	6.73	49
88 – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय				
111.	2013-मंत्री परिषद	0.04	0.02	50
112.	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	53.94	21.71	40
113.	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	278.01	99.35	36
114.	4225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	172.60	106.50	62
89 – अंतरिक्ष विभाग				
115.	3252 – उपग्रह प्रणाली	308.49	127.67	41
116.	3402 – अंतरिक्ष अनुसंधान	1658.44	564.69	34
117.	5252 – उपग्रह प्रणालियों पर पूंजीगत परिव्यय	28.63	14.26	50
118.	5402 – अंतरिक्ष अनुसंधान पर परिव्यय	533.81	335.87	63
90 – सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय				
119.	5475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	6.86	4.24	62
91 – इस्पात मंत्रालय				
120.	2852 – उद्योग	106.65	34.74	33
92 – कपड़ा मंत्रालय				
121.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	148.19	76.69	52
122.	4851 – गांव एवं लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	5.51	5.45	99
123.	4860 – उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	27.00	13.50	50
93 – पर्यटन मंत्रालय				
124.	2075- विविध सामान्य सेवाएं	0.24	0.21	88
125.	7452- पर्यटन के लिए ऋण	2.50	2.50	100
94 – जनजातीय मंत्रालय				
126.	2225 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	58.81	21.70	37
127.	4225 – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर पूंजीगत परिव्यय	24.75	24.75	100
100 – शहरी विकास विभाग				
128.	2215 – जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	191.24	70.11	37

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

क्र.सं.	अनुदान तथा मुख्य शीर्ष के विवरण	मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत कुल व्यय	मार्च में व्यय	(करोड़ रूपयों में)
				कुल व्यय से मार्च में व्यय की प्रतिशतता
129.	2217 – शहरी विकास	16.24	5.51	34
130.	4216 – आवास पर पूंजीगत परिव्यय	160.54	48.56	30
131.	6217 – शहरी विकास के लिए ऋण	1050.10	270.10	26
101 – लोक निर्माण विभाग				
132.	4885 – उधोगों एवं खनिजों पर पूंजीगत परिव्यय	3.03	2.13	70
133.	5052 – जहाजरानी पर पूंजीगत परिव्यय	4.80	2.93	61
134.	4059 – लोक निर्माणों पर पूंजीगत परिव्यय	152.03	48.72	32
135.	4210 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय	27.68	9.08	33
104 – जल संसाधन मंत्रालय				
136.	2705 – कमाण्ड एरिया डिवलपमेंट	1.26	0.44	35
137.	3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	221.05	84.69	38
138.	4702 – लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	3.02	1.60	53
139.	6701 – मुख्य एवं मध्यम सिंचाई के लिए ऋण	15.80	6.80	43
140.	7601 – राज्य सरकारों को ऋण एवं अग्रिम	1.50	1.50	100
105 – युवा मामले एवं खेल कूद मंत्रालय				
141.	3602- संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान	0.14	0.14	100

परिशिष्ट VII-क

(पैराग्राफ 7.3 के संदर्भ में)

निधि के पर्याप्त पुनर्विनियोग के बिना व्यय के मामले दर्शाने वाला विवरण
(दो करोड़ रुपये और उससे अधिक के आधिक्य)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	(करोड़ रुपयों में) अंतिम आधिक्य व्यय
सिविल				
31 – विदेश मंत्रालय				
1.	विदेश मंत्रालय	मू. 129.80 पु. (-) 23.75	114.32	8.27
2.	हज पर व्यय	मू. 2.60 पु. 0.26	5.11	2.25
38 – ऋणों का पुनर्भुगतान				
3.	मार्केट ऋण	मू. 34315.97 पु. (-) 5000.00	29318.46	2.49
4.	14 दिवसीय खजाना बिल	मू. 125000.00 अ. 83262.14 पु. 57737.86	308895.96	42895.96
5.	31.03.1999 तक लघु बचतों के बकाया शेषों के प्रति विशेष केन्द्रीय सरकारी प्रतिभूतियां जारी की गईं	अ. 32665.00	32675.00	10.00
6.	अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा निधि	अ. 648.27 पु. 6.64	788.01	133.09
43 – प्रत्यक्ष कर				
7.	संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं	मू. 7.79 अ. 7.55 पु. 5.89	26.35	5.12
53 – मंत्रीमंडल				
8.	केन्द्रीय मंत्री	मू. 40.00 अ. 32.43 पु. (-) 6.70	72.72	6.99
60 – सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय				
9.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	मू. 15.85 पु. (-) 0.34	20.79	5.28

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अंतिम आधिक्य व्यय
रक्षा सेवाएं				
23- रक्षा सेवाएं - थल सेना				
10.	सहायक सेना को वेतन तथा भत्ते और विविध व्यय	मू. 177.39 अ. 39.70 पु. 0.01	223.93	6.83
11.	राष्ट्रीय राइफल	मू. 1225.86 पु. (-) 3.98	1228.09	6.21
12.	राष्ट्रीय छात्र-सैनिक दल	मू. 297.66 अ. 15.64 पु. 0.04	324.18	10.84
24- रक्षा सेवाएं - नौसेना				
13.	नौसेना के वेतन तथा भत्ते	मू. 808.54 पु. 7.99	822.24	5.71
14.	भण्डार	मू. 2350.44 पु. 112.64	2486.56	23.48
25- रक्षा सेवाएं -वायु सेना				
15.	वायु सेना के वेतन एवं भत्ते	मू. 2003.10 पु. (-) 0.10	2010.65	7.65
26- रक्षा आयुध कारखाना				
16.	थल सेना, नौसेना एवं वायु सेना इत्यादि की आपूर्ति के लिए वसूलियां -कटौती	मू. (-) 5921.06 अ. 75.45 पु. 452.29	(-) 5330.35	62.97
28- रक्षा सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
01-थल सेना				
17.	भारी एवं मध्यम वाहन	मू. 412.10 पु. (-) 138.01	326.57	52.48
18.	अन्य उपकरण	मू. 6521.53 पु. (-) 1521.71	5015.69	15.87
19.	राष्ट्रीय राइफल	मू. 10.00 पु. 25.14	55.47	20.33
20.	निर्माण कार्य	मू. 1366.20 पु. (-) 179.78	1222.28	35.86
02- नौसेना				
21.	नौसैनिक नौकाघाट	मू. 948.47 पु. (-) 481.93	473.50	6.96
03- वायु सेना				
22.	वायुयान एवं वायु-यंत्र	मू. 12825.66 पु. 438.90	13282.52	17.96
04- रक्षा आयुध कारखाना				
23.	मशीनरी एवं उपकरण	मू. 49.26 पु. (-) 44.22	27.98	22.94
05- अनुसंधान एवं विकास संगठन				
24.	कार्य	मू. 396.01 पु. (-) 39.06	381.07	24.12

परिशिष्ट-VII-ख
(पैराग्राफ 7.4 के संदर्भ में)
अनुदान/ विनियोग के अन्तर्गत 100 करोड़ रु. से अधिक अव्ययित प्रावधान के ब्यौरे

		(करोड़ रूपयों में)
क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
सिविल		
राजस्व - दत्तमत्त		
1.	1-कृषि तथा सहकारिता विभाग	562.80
2.	6-नाभिकीय विद्युत योजनाएं	743.14
3.	7-रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग	132.88
4.	12-वाणिज्य विभाग	154.40
5.	16-सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	107.39
6.	19-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	293.21
7.	21-रक्षा मंत्रालय	278.72
8.	30-पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	148.23
9.	31-विदेश मंत्रालय	123.60
10.	32-आर्थिक कार्य विभाग	578.60
11.	34-वित्तीय संस्थानों को भुगतान	1534.01
12.	47-स्वास्थ्य विभाग	166.47
13.	49-परिवार कल्याण विभाग	1159.43
14.	54-पुलिस	127.76
15.	58-माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा विभाग	313.95
16.	65-गैर परंपरा - ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	328.96
17.	71-पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय	607.59
18.	72-योजना मंत्रालय	6373.03
19.	73-विद्युत मंत्रालय	322.25
20.	79-सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	427.31
21.	81-भूमि संसाधन विभाग	250.89
22.	82-पेय जल आपूर्ति विभाग	265.88
23.	83-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	173.80
24.	86-जहाजरानी मंत्रालय	110.80
25.	88-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	145.92
26.	89-अंतरिक्ष विभाग	195.34
27.	90-सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	304.11
28.	92-कपड़ा मंत्रालय	239.55
29.	104-जल संसाधन मंत्रालय	179.59

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-05

		(करोड़ रुपयों में)
क्र.सं.	अनुदान सं. तथा नियंत्रक मंत्रालय/विभाग	अव्ययित प्रावधान की राशि
राजस्व - प्रभारित		
30.	35-वि.- ब्याज भुगतान	2541.64
31.	36-राज्य एवं सं.शा. सरकारों को अन्तरण	4538.77
पूँजीगत - दत्तमत		
32.	5-परमाणु ऊर्जा	298.60
33.	19-खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	209.78
34.	21-रक्षा मंत्रालय	118.44
35.	32-आर्थिक कार्य विभाग	1278.60
36.	33-मुद्रा, सिक्के एवं टिकटें	243.09
37.	37-सरकारी कर्मचारियों को ऋण	200.85
38.	44-अप्रत्यक्ष कर	170.90
39.	47-स्वास्थ्य विभाग	117.24
40.	54-पुलिस	143.21
41.	60-सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय	155.39
42.	72-योजना मंत्रालय	1823.00
43.	73-ऊर्जा मंत्रालय	403.75
44.	79- सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	1840.25
45.	86-जहाजशानी मंत्रालय	255.00
46.	103-शहरी रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	125.00
पूँजीगत - प्रभारित		
47.	36-राज्य एवं सं.शा. सरकारों को अन्तरण	3674.36
48.	72-योजना मंत्रालय	1861.00
रक्षा सेवाएं		
राजस्व - दत्तमत		
49.	23- रक्षा सेवाएं-थल सेना	522.16
50.	24- रक्षा सेवाएं- नौसेना	114.77
51.	25- रक्षा सेवाएं-वायुसेना	230.42
पूँजीगत - दत्तमत		
52.	28- रक्षा सेवाएं पर पूँजीगत परिव्यय	1485.54
रेलवे		
राजस्व - दत्तमत		
53.	12- विविध कार्य व्यय	137.71
54.	15- सामान्य राजस्व से लाभांश	453.43
पूँजीगत - दत्तमत		
55.	16- रेलवे सुरक्षा निधि	199.45
56.	16- विशेष रेलवे सुरक्षा निधि	418.47

परिशिष्ट -VII-ग

(पैराग्राफ 7.6 के संदर्भ में)

उन मामलों के उदाहरण जिनमें अव्ययित प्रावधानों की राशि से अधिक अभ्यर्पण किया गया

(करोड़ रूपयों में)			
क्र.सं.	अनुदान/ विनियोजन	कुल अव्ययित प्रावधान	अभ्यर्पण राशि
सिविल			
राजस्व - दत्तमत			
1.	36-राज्य एवं सं.शा. सरकारों को हस्तांतरित	38.33	38.35
2.	65-गैर - परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	328.96	329.65
3.	66- ओवरसीज भारतीय कार्य मंत्रालय	3.16	3.27
4.	67- पंचायती राज मंत्रालय	22.14	22.41
5.	90- सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	304.11	304.19
6.	101-लोक निर्माण	5.91	9.76
राजस्व प्रभारित			
7.	35-विनियोग ब्याज भुगतान	2541.64	3208.63
पूंजीगत - दत्तमत			
8.	31-विदेश मंत्रालय	14.21	18.94
9.	73-ऊर्जा मंत्रालय	403.75	403.78
10.	88-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय	6.15	6.16
रक्षा सेवाएं			
राजस्व - दत्तमत			
11.	24- रक्षा सेवाएं - नौसेना	114.77	125.88

परिशिष्ट -VII-घ

(पैराग्राफ 7.9 के संदर्भ में)

प्रमुख पुनर्विनियोग के महत्वपूर्ण मामले जो अनुपयोगिता के कारण अन्यायोजित थे
(पुनर्विनियोग के केवल दो करोड़ रुपये से अधिक की राशि के मामलों का उल्लेख)

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या तथा प्रकृति	मुख्य शीर्ष	उप-शीर्ष	उप-शीर्ष में पुनर्विनियोग की राशि	पुनर्विनियोग के बाद उप-शीर्ष में अंतिम अव्ययित प्रावधान
सिविल					
1.	12 – वाणिज्य मंत्रालय	3453 – विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन	3453.00.102.01 – व्यापार आयुक्त	2.00	3.12
2.	42 – राजस्व विभाग	2875- अन्य उद्योग	2875.01.109.03-अन्य व्यय	1.18	2.99
3.	44 –अप्रत्यक्ष कर	2038- संघ उत्पाद शुल्क	2038.00.101.01 – आयुक्तालय (क्षेत्रीय कार्यालयों सहित)	13.07	14.03
4.	54 – पुलिस	2055- पुलिस	2055.00.103.01- स्थापना एवं प्रशासन	8.75	16.87
5.	63 – विधि एवं न्याय मंत्रालय	2020- आय एवं व्यय पर कर का संचयन	2020.00.001.05 -आयकर अपील अधिकरण	1.11	2.67
रक्षा सेवाएं					
6.	26- रक्षा आयुध कारखाने	2079- रक्षा सेवाएं - आयुध कारखाने	054- विनिर्माण	4.84	6.62
				30.95	

परिशिष्ट-VII-ड
(पैराग्राफ 7.13 के संदर्भ में)
मूल तथा अनुपूरक अनुदानों/विनियोगों की स्थिति

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	प्रावधान	राजस्व		पूँजीगत					योग
		दत्तमत	प्रभारित	दत्तमत		प्रभारित			
				पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	लोक ऋण	पूँजीगत	ऋण एवं अग्रिम	
1998-99	मूल	109434	105200	18600	6724	359080	16	29687	628741
	अनुपूरक	3329	32	43	953	-	23	10068	14448
	प्रतिशतता	3	0.03	0.23	14	-	144	34	2
1999-00	मूल	118638	121084	18582	5638	360893	107	17963	642905
	अनुपूरक	12780	8438	1545	597	-	16	3573	26949
	प्रतिशतता	11	7	8	11	-	15	20	4
2000-01	मूल	132204	153591	14185	5775	354767	25	21216	681763
	अनुपूरक	19672	19	486	1355	-	6	906	22444
	प्रतिशतता	15	-	3	23	-	24	4	3
2001-02	मूल	158814	131178	20389	5215	285150	35	21339	622120
	अनुपूरक	20256	13	3842	9620	40628	1	3334	77694
	प्रतिशतता	13	-	19	184	14	3	16	13
2002-03	मूल	183815	140769	18672	4914	321155	23	26842	696190
	अनुपूरक	18187	12	684	4376	56787	1	1564	81611
	प्रतिशतता	10	-	4	89	18	4	6	12
2003-04	मूल	208340	143833	19634	7086	367079	36	25763	771771
	अनुपूरक	15888	4744	1862	1517	21702	4	1115	46832
	प्रतिशतता	8	3	9	21	6	11	4	7
2004-05	मूल	215854	151300	23148	14669	342119	32	28899	776021
	अनुपूरक	22539	78	599	1744	180366	1	1041	206368
	प्रतिशतता	10	-	3	13	58	3	4	27

परिशिष्ट -VIII-क
(पैराग्राफ 8.3 के संदर्भ में)
अव्ययित प्रावधानों का विवरण

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए बताए गए कारण
2002-03					
I-राजस्व अनुभाग (दत्तमत्त)					
1.	2408.01.102.02 खाद्यान्नों के लेनदेन पर भारतीय खाद्य निगम एवं अन्य को देय आर्थिक सहायता	23296.67	22673.72	622.95	विकेंद्रित प्रापण योजना के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम अधिप्राप्ति।
2.	2408.01.102.04 चीनी इत्यादि के आयात पर चीनी उद्ग्रहण के कारण भा.खा.नि. एवं अन्य के देय चीनी आर्थिक सहायता	10.00	शून्य	10.00	खुले बाजार में चीनी का मुफ्त बिक्री मूल्य प्रायः खुदरा मूल्य के समान होने के कारण समग्र प्रावधान अप्रयुक्त रहा।
3.	2408.01.797.01 चीनी विकास निधि को/से हस्तांतरण	180.00	80.00	100.00	वित्त मंत्रालय के साथ बजट-पूर्व परिचर्चा के दौरान किए गए निर्णय के अनुसार चीनी विकास निधि के लिए कम आवश्यकता के कारण।
4.	3456.00.800.16-सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने से संबंधित योजना	4.41	0.56	3.85	सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निष्पादन के सम्बन्ध में उत्तम उचित मूल्य की दुकानों आदि के चयन की योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण।
पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत्त)					
5.	4408.02.190.04 भारतीय खाद्य निगम	33.47	28.00	5.47	भूमि को अधिग्रहण करने में विलम्ब एवं निर्माण की धीमी प्रगति।
6.	6860.04.190.03- चीनी मिलों का पुनर्वास/आधुनिकीकरण	200.00	92.19	107.81	कुछ चीनी मिलों द्वारा कर्जे प्राप्त करने के लिए अपूर्ण औपचारिकताएं।
7.	6860.04.190.04-गन्ना विकास के लिए चीनी मिलें	20.00	15.76	4.24	कुछ चीनी मिलों द्वारा कर्जे प्राप्त करने के लिए अपूर्ण औपचारिकताएं।
II-राजस्व अनुभाग (आधिक्य)					
8.	2408.01.102.05-खाद्यान्नों के प्रापण के विकेंद्रित पर राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता	877.00	1502.73	(+) 625.73	आधिक्य, विकेंद्रित प्रापण योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा खाद्यान्नों के संवितरण में वृद्धि के कारण था।
2003-04					
I-राजस्व अनुभाग (दत्तमत्त)					
9.	2408.01.003.01- राष्ट्रीय चीनी संस्थान	9.97	7.65	2.32	रिक्त पदों का न भरा जाना, के.लो.नि.वि. द्वारा पी.वी.सी. टैकों को उपलब्ध करने तथा लगाने के कुछ कार्य को नहीं किया जा सका।
10.	2408.01.102.02-खाद्यान्नों के लेन-देन एवं विकेंद्रित किए गए अधिप्रापण खाद्यान्नों पर भा.खा.नि. एवं अन्य को देय आर्थिक सहायता	27750.00	25160.00	2590.00	खाद्य के लिए आर्थिक सहायता में कटौती के कारण।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए बताए गए कारण
11.	2408.01.102.03-1974-75 के लिए पूर्व-फैक्टरी का चीनी उद्ग्रहण मूल्य पुनर्निर्धारण करने के कारण दावों के निपटारे के लिए देय आर्थिक सहायता	30.00	1.70	28.30	तथ्य यह है कि चीनी मिल के दावेदार संबंध दस्तावेजों के साथ नहीं आए।
12.	2408.01.800.01-चीनी के प्रतिरोधक भण्डारों के रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता	300.00	206.02	93.98	कुछ चीनी मिलों से प्रतिरोधक आर्थिक सहायता दावे तैयार करने के लिए उनकी प्रगति के आवश्यक दस्तावेजों प्राप्त नहीं हुए।
13.	2408.01.800.06-पोत लदान निर्यात पर चीनी फैक्ट्रियों को आंतरिक परिवहन एवं भाग प्रभार की प्रतिपूर्ति	50.00	31.86	18.14	चीनी मिलों के समुद्री भाड़ा प्रभारों के भुगतान के बारे में विचाराधीन निर्णय के तथ्य के कारण
पूँजीगत अनुभाग (दत्तमत्)					
14.	6860.04.190.03- चीनी मिलों का सुधार/ आधुनिकीकरण	150.00	44.36	105.64	कुछ चीनी मिलों द्वारा कर्ज प्राप्त करने के लिए पूर्व संवितरण आवश्यकता को पूरा न किया जाना।
15.	6860.04.190.04-गन्ना विकास के लिए चीली मिलें	20.00	9.70	10.30	कुछ चीनी मिलों द्वारा बैंक गारंटी न देना, जो एस.डी.एफ. कर्जों के लिए जमानत प्रणाली के रूप में आवश्यक थी।
16.	6860.04.190.06-विद्युत परियोजना सह-उत्पादन आधारित खोई के लिए चीली फैक्टरीयां	100.00	10.60	89.40	कुछ आवेदकों द्वारा त्रिपक्षीय करारनामों (त्रि.प.क.) का समय पर निष्पादन न होना
17.	6860.04.190.07- ऐल्कोहॉल से निर्जलीय ऐल्कोहॉल अथवा ऐथेनोल के उत्पादन के लिए चीनी फैक्टरीयां	50.00	शून्य	50.00	सम्बद्ध ए.डी.एफ. नियमों की व्याख्या के कुछ पहलू प्रकट हुए और फरवरी 2004 में उनका समाधान हुआ।
II-राजस्व अनुभाग (आधिक्य)					
18.	2408.01.001.02- अन्य कार्यालय	5.69	9.67	3.98	आधिक्य भा.खा.नि. द्वारा एन.सी.डी.सी. और आई.एफ.सी.आई. को एजेन्सी कमीशन के शेष प्रदान करने तथा प्रचार पर अतिरिक्त व्यय के कारण था।
2004-05					
I-राजस्व अनुभाग					
19.	2408.01.003.01- राष्ट्रीय चीनी संस्थान	10.30	6.88	3.42	बचत, मुख्यतः खाली पदों के न भरे जाने और विभिन्न भंडारों की खरीद को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण थी।
20.	2408.01.800.01-चीनी के प्रतिरोधक भंडार के अनुरक्षण के लिए आर्थिक सहायता	400.00	198.90	201.10	बचत, इस कारण से थी कि वर्ष के दौरान चीनी मिलों प्राप्त कुछ दावों को संसाधित नहीं किया जा सका।
21.	2408.01.800.06- पोत लदान - निर्यात तथा अन्य अनुमत दावों के भुगतान पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	125.00	46.09	78.91	बचत मुख्यतः चीनी कारखानों द्वारा कागजात/ उत्तर प्रस्तुत न करने और समुद्री भाड़ा, विपणन एवं हस्तांतरण प्रभारों पर निर्णय को अंतिम रूप देने में विलम्ब के कारण थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उपशीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित प्रावधान	विभाग द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए बताए गए कारण
22.	6860.04.190.03- चीनी मिलों की पुर्नस्थापना/ आधुनिकीकरण	150.00	103.90	46.10	बचत, बजट अनुमानों से कम संख्या में प्राप्त आवेदनों के कारण बचत थी और अधिकतर प्राप्त आवेदनों में चीनी विकास नियमों के अंतर्गत अपेक्षित सूचना अनुबद्ध नहीं थी। कुछ मामलों में त्रिपक्षीय अनुबन्ध (त्रि.प.अ.) समय पर निष्पादित नहीं किया गया।
23.	6860.04.190.06- विद्युत परियोजना सह - उत्पादन पर आधारित खोई के लिए चीनी कारखाने	150.00	72.92	77.08	बचत, त्रिपक्षीय अनुबन्ध (त्रि.प.अ.) के समय पर निष्पादन न होने के कारण थी।
24.	6860.04.190.07- अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या ऐथेनोल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने	100.00	19.48	80.52	बचत, त्रिपक्षीय अनुबन्ध (त्रि.प.अ.) के समय पर निष्पादन न होने के कारण थी।
राजस्व अनुभाग (आधिक्य)					
25.	4408.02.800.02 - भा.खा.नि. द्वारा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में खाद्य भण्डार गोदामों का निर्माण	शून्य	4.86	4.86	आधिक्य, उ.पू. क्षेत्र एवं सिक्किम, हेतु योजना के उपयोग के लिए मुख्य शीर्ष से प्रकार्यात्मक शीर्ष को निधियों के पुनर्विनियोजन के कारण थी।

परिशिष्ट -VIII-ख
(पैराग्राफ 8.7 के संदर्भ में)
अवास्तविक बजट बनाना

(करोड़ रूपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/उप शीर्ष	कुल प्रावधान	अन्य शीर्षों को पुनर्विनियोजित राशि	पुनर्विनियोजन की प्रतिशतता
2002-03				
1.	2408.01.102.04 भा.खा.नि. और अन्य को चीनी इत्यादि का आयात, चीनी उद्ग्रहण के करण देय चीनी आर्थिक सहायता	10.00	10.00	100
2.	2408.01.797.01 चीनी विकास निधि को/से अंतरित	180.00	100.00	56
3.	2408.01.800.02 चीनी उद्योगों के विकास के लिए सहायता अनुदान	2.00	1.96	98
4.	3456.00.800.16 सार्वजनिक संवितरण प्रणाली को समर्थ बनाने से संबंधित योजना	4.40	3.42	78
5.	4408.01.800.01 राष्ट्रीय चीनी संस्थान	1.02	0.80	78
6.	6860.04.190.03 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापना	200.00	107.79	54
2003-04				
7.	2408.01.102.03 1974-75 के लिए पूर्व-फैक्टरी का चीनी उद्ग्रहण मूल्य पुनर्नियत करने के कारण दावों के निपटारे के लिए देय आर्थिक सहायता	30.00	25.00	83
8.	2408.01.800.02 चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान	1.00	0.86	86
9.	3456.00.800.16 सार्वजनिक संवितरण प्रणाली को समर्थ बनाने से संबंधित योजना	2.40	2.30	96
10.	4408.01.800.09 राष्ट्रीय चीनी संस्थान	1.00	0.83	83
11.	6860.04.190.03 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण /पुनर्स्थापना	150.00	98.30	66
12.	6860.04.190.06 विद्युत परियोजना सह - उत्पादन पर आधारित खोई के लिए चीनी कारखाने	100.00	89.34	89
13.	6860.04.190.07 अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल या ऐथेनोल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने	50.00	50.00	100
2004-05				
14.	2408.01.800.01- चीनी के प्रतिरोधक स्टॉक के अनुक्षण के लिए आर्थिक सहायता	400.00	200.00	50
15.	2408.01.800.02- चीनी उद्योग के विकास के लिए सहायता अनुदान	2.50	2.27	91
16.	2408.01.800.06- पोत लदान-निर्यात तथा अन्य अनुमत दावों के भुगतान पर चीनी कारखानों को आंतरिक परिवहन और भाड़ा प्रभारों की प्रतिपूर्ति	1.25	0.75	60
17.	3456.00.800.16- सार्वजनिक संवितरण प्रणाली के सुदृणीकरण से संबंधित योजना	2.75	2.21	80
18.	6860.04.190.07- अल्कोहल से निर्जलीय अल्कोहल और ऐथेनोल के उत्पादन के लिए चीनी कारखाने	100.00	80.52	81

परिशिष्ट -VIII-ग
(पैराग्राफ 8.8 के संदर्भ में)
समग्र निधियो का अनुपायोग

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	मुख्य शीर्ष/ उप शीर्ष	कुल प्रावधान	पुनर्विनियोजित राशि	पुनर्विनियोग की प्रतिशतता
2002-03				
1.	2408.01.101.01-(प्रभारित)	2.00	2.00	100
2.	2408.01.102.04	1000.00	1000.00	100
3.	2852.08.101.01	2.00	2.00	100
2003-04				
4.	2408.01.101.01-(प्रभारित)	2.00	2.00	100
5.	2408.01.101.01	5.00	5.00	100
6.	2852.08.101.01	2.00	2.00	100
7.	6860.04.190.07	5000.00	5000.00	100
2004-05				
8.	2408.01.101.01-(प्रभारित)	2.00	2.00	100
9.	2852.08.101.01	2.00	2.00	100

परिशिष्ट -VIII-घ
(पैराग्राफ 8.16 के संदर्भ में)
प्रतीक्षित उपयोग प्रमाण पत्र

(करोड़ रूपयों में)

सहायता अनुदान संस्वीकृत करने वाले मंत्रालय /विभाग का नाम	अनुदान की संस्वीकृति का वर्ष	देय		प्राप्त किया		बकाया	
		उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि	उ.प्र.प.	राशि
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय	1981-82	15	0.06	--	--	15	0.06
	1982-83	21	0.41	--	--	21	0.41
	1983-84	90	0.59	--	--	90	0.59
	1984-85	143	2.30	--	--	143	2.30
	1985-86	121	4.95	--	--	121	4.95
	1986-87	74	5.34	--	--	74	5.34
	1987-88	290	89.10	12	23.79	278	65.31
	1988-89	359	25.43	--	--	359	25.43
	1989-90	549	1.94	4	0.02	545	1.92
	1990-91	70	1.23	--	--	70	1.23
	1991-92	91	15.40	10	1.01	81	14.39
	1992-93	232	30.26	16	22.90	216	7.36
	1993-94	64	0.74	--	--	64	0.74
	1994-95	142	12.04	7	0.58	135	11.46
	1995-96	12	0.25	2	0.04	10	0.21
	1996-97	488	158.19	48	0.87	440	157.32
	1997-98	642	99.24	41	1.82	601	97.42
	1998-99	472	9.47	170	6.33	302	3.14
	1999-00	995	256.13	482	212.14	513	43.99
	2000-01	934	233.55	402	183.63	532	49.91
	2001-02	1256	531.23	650	418.69	606	112.55
2002-03	1574	635.73	867	515.44	707	120.29	
2003-04	1892	543.60	892	420.71	1000	122.89	
योग :-	10526	2657.18	3603	1807.97	6923	849.21	

परिशिष्ट -VIII-ड
(पैराग्राफ 8.20 के संदर्भ में)
स्थायी अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	कारण
1.	2211.00.001.02 निर्देशन और प्रशासन विधानमंडल विहीन संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	2002-03	3.00	1.43	1.57 (52)	पदों का न भरा जाना एवं संघ शासित राज्यों द्वारा व्यय की कम बुकिंग
		2003-04	3.30	1.82	1.48 (45)	-वही-
		2004-05	2.68	2.00	0.68 (25)	संशोधित मानकों का गैर - कार्यान्वयन और रिक्त पदों का न भरा जाना
2.	2211.00.001.03 क्षेत्रीय स्वास्थ्य कार्यालय	2002-03	3.00	2.17	0.83 (28)	रिक्त पदों का न भरा जाना
		2003-04	3.15	2.22	0.93 (30)	रिक्त पदों का न भरा जाना, आवरण समिति को सिफारिशों को अंतिम रूप न देना, नये वाहनों की खरीद संपन्न न होना एवं किराये के निर्धारण में विलम्ब।
3.	2211.00.003.0 परिवार कल्याण प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केन्द्र, मुम्बई	2002-03	2.39	1.62	0.77 (32)	संशोधित अनुमानों में अनिवार्य कटौती तथा पिछले वर्षों का अव्ययित शेष संस्थान के पास पड़ा रहा
		2003-04	2.41	0.93	1.48 (61)	कार्यालय के नये भवन के निर्माण में देशी, निगम कर और सम्पत्ति करों के बिलों का प्राप्त न होना, खाली पदों को न भरा जाना, वाहनों की अनुपलब्धि
		2004-05	2.39	1.06	1.33 (56)	पदों को न भरा जाना दौरों पर कम व्यय, मोटर दुर्घटना दावों का निपटारा न होना और भवन योजनाओं को अंतिम रूप न देना
4.	2211.00.003.08 विधानमंडल विहीन संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	2002-03	0.47	0.17	0.30 (64)	कारण नहीं दिए गए
		2003-04	0.37	0.14	0.23 (62)	कारण नहीं दिए गए
		2004-05	0.37	0.16	0.21 (57)	कारण नहीं दिए गए
5.	2211.00.102.01 शहरी परिवार कल्याण सेवाएं - विधानमंडल विहीन संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	2002-03	0.42	0.20	0.22 (52)	कारण नहीं दिए गए
		2003-04	0.46	-	0.46 (100)	-वही-
		2004-05	0.58	0.06	0.52 (90)	-वही-

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	कारण
6.	2211.00.103.04 पुनरूत्पादक और बाल स्वास्थ्य परियोजना	2002-03	1293.37	824.60	468.77 (36)	राज्य सरकारों से प्रस्तावों की कम प्राप्ति, 31.3.2002 के बाद पु.बा.स्वा. की उप-परियोजनाओं का अविस्तारण, जल्दी निर्माण के लिए उपयोग प्रमाण-पत्रों की गैर-प्राप्ति, मुख्यालय पर सूचना, शिक्षा और संचारण गतिविधियों को कार्यान्वित करने के बजाए वित्त मंत्रालय द्वारा जिला प्राधिकार के जरिए स.अ. अवस्था पर प्रावधान की कटौती
		2004-05	1809.29	1416.87	392.42 (22)	घरेलू निधियों के बाजए बाह्य निधियों से व्यय करना, बिना विधान मंडल के सं.शा.क्षे. से कम मांग, राज्यों से नये प्रस्तावों तथा उपयोग प्रमाण-पत्रों का प्राप्त न होना, शहरी स्लम स्वास्थ्य परियोजना पर संशोधित मार्गदर्शनों के लिए योजना आयोग से अनुमोदन का प्राप्त न होना, डाक्टरों के प्रशिक्षण को संचालित न करना एवं पु.बा.स्वा. सामग्री का कम प्रापण
7.	2211.00.104.02 बिना विधानमंडल के संघ शासित क्षेत्रों में परिवहन व्यय	2002-03	0.40	0.06	0.34 (85)	कारण नहीं दिए गए
		2003-04	0.30	0.07	0.23 (77)	-वही-
		2004-05	0.15	0.07	0.08 (53)	-वही-
8.	2211.00.105.01 बिना विधानमंडल के संघ शासित क्षेत्रों में व्यय	2002-03	3.00	0.34	2.66 (89)	जीवाणु नाशन में धीमा निष्पादन उपाजित करने के कारण कम बुकिंग
		2003-04	3.00	0.04	2.96 (99)	सं.शा.क्षे. द्वारा पुर्वानुमानित से कम व्यय
		2004-05	मू. 1.00 अ. 0.01	0.08	0.93 (92)	कारण नहीं दिए गए
9.	2211.00.108.01 मुख्यालय पर चयनित क्षेत्रीय कार्यक्रमों की (भारतीय जनसंख्या परियोजना को शामिल करके) गतिविधियां	2002-03	1.40	0.36	1.04 (74)	पदों का न भरा जाना तथा पुर्वानुमानित से कम व्यय
		2003-04	0.60	0.41	0.19 (32)	कारण नहीं दिए गए
		2004-05	0.50	0.36	0.14 (28)	-वही-
10.	2211.00.200.02 अन्य मंत्रालयों में	2002-03	1.00	0.46	0.54 (54)	जीवाणुनाशन में निष्पादन निम्न स्तर पर उपाजित किया गया

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	कारण
	परिवार कल्याण कार्यक्रम	2003-04	1.20	0.78	0.42 (35)	कारण नहीं दिए गए
		2004-05	1.00	0.19	0.81 (81)	रेलवे/रक्षा मंत्रालयों को आवंटन के निधौरण में विलम्ब तथा नई प्रक्रिया के कारण बिलों के सत्यापन में विलम्ब
11.	2211.00.798.02 अंतर्राष्ट्रीय निकायों का प्रतिनिधिमंडल	2002-03	0.66	0.20	0.46 (70)	कारण नहीं दिए गए
		2003-04	0.65	0.35	0.30 (46)	-वही-
		2004-05	0.66	0.19	0.47 (71)	-वही-
12.	2211.00.800.07 विशेषज्ञों की यात्रा/ सम्मेलन /बैठके इत्यादि	2002-03	1.50	0.47	1.03 (69)	सम्मेलनों/बैठकों की कम संख्या
		2003-04	1.00	0.20	0.80 (80)	-वही-
		2004-05	1.00	0.53	0.47 (47)	कारण नहीं दिए गए
13.	2211.00.800.09 राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत कार्यवाही	2002-03	232.70	58.43	174.27 (75)	जिला प्राधिकारियों द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्रों का प्रस्तुत न किया जाना और इ.एफ.सी./ एस.एफ.सी. द्वारा योजना के आनुमोदन में विलम्ब
		2004-05	मू. 258.90 अ. 40.00	224.68	74.22 (25)	मदों के आदेशों का गैर-स्थापन वित्त मंत्रालय द्वारा उत्तरांचल में राज्य परिवार एवं कल्याण संस्थान को निधियां जारी करने पर रोक लगाना, जिला प्राधिकारियों से उपयोग प्रमाण-पत्र तथा नए प्रस्तावों का प्राप्त न होना।
14.	3601.04.237.07 पुर्नउत्पादकता और बाल स्वास्थ्य परियोजना	2002-03	225.00	128.22	96.78 (43)	वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गए संशोधित अनुमान के प्रावधानों में कटौती, 31.3.2002 के आगे पु.बाल स्वा. उप परियोजनाओं के विस्तार न होने के कारण राज्यों से कम प्रस्ताव प्राप्त हुए और एच.एस.सी.सी./एच.एल.एल. से राज्यों को आर.सी.एच औषधियों का प्रेषित न किया जाना
		2003-04	261.39	114.05	147.34 (56)	पु.बाल स्वा. आपूर्तियों का कम प्रापण राज्यों के पास अव्ययित शेष और एच.एस.सी.सी./एच.एल.एल. द्वारा राज्यों को पु.बा.स्वा. की कम आपूर्ति
		2004-05	222.87	105.94	116.93 (52)	एच.एस.सी.सी. द्वारा पु.बा.स्वा. औषधियों की आपूर्ति न होना और उन्हें अदा किए गए अग्रिमों का असमायोजन।
15.	3601.04.243.02 परिवार कल्याण चयनित क्षेत्र परियोजना	2002-03	24.40	17.78	6.62 (27)	क्षेत्रीय परियोजनाओं में अव्ययित शेष एवं कम व्यय।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	कारण
	क्षेत्र परियोजना (भारतीय जनसंख्या परियोजनाओं को सम्मिलित करते हुए) बाह्य सहायता प्राप्त संघटक	2004-05	4.00		4.00 (100)	राज्यों के पास पड़े अव्ययित शेष
16.	3602.04.237.05 पुर्नउत्पादकता एवं बाल स्वास्थ्य परियोजा	2002-03	4.00	0.58	3.42 (85)	वित्त मंत्रालय द्वारा रखे गये सं.अ. के प्रावधान की कटौती तथा एच.एस.सी.सी./एच.एल.एल. से सं.शा.क्षे. को पु.वा.स्वा. को औषधियों की आपूर्ति का प्रेषण न करना
		2003-04	2.15	0.57	1.58 (73)	सं.शा. सरकारों के साथ पड़े अव्ययित शेष
		2004-05	3.70	1.92	1.78 (48)	एच.एस.सी.सी. द्वारा पु.वा.स्वा. औषधियों की आपूर्ति न करना
17.	3602.04.238.03 वाहनों के प्रापण /पी.ओ.एल. के लिए प्रावधान	2002-03	0.40	0.03	0.37 (92)	कारण नहीं दिए गए
		2003-04	0.40	0.08	0.32 (80)	-वही-
		2004-05	0.40	0.20	0.20 (50)	-वही-
18.	3602.04.239.02 वंध्यकरण की प्रतिपूर्ति	2002-03	6.00	0.48	5.52 (92)	सं.शा.क्षे. के पास पड़े अव्ययित शेष
		2003-04	7.30	4.77	2.53 (35)	-वही-
19.	3602.04.240.02 परिवार योजना सामग्री की निशुल्क आपूर्ति	2002-03	6.52	4.47	2.05 (31)	सं.शा.क्षे. के पास पड़े अव्ययित शेष तथा प्राप्त माल के प्रति परेषिती रिपोर्ट का प्राप्त न होना
		2003-04	5.85	3.59	2.26 (39)	सं.शा.क्षे. सरकारों से कम मांग
		2004-05	3.67	1.78	1.89 (51)	कारण नहीं दिए गए
20.	3602.04.244.02 राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का अनुसूक्षण	2002-03	10.00	2.72	7.28 (73)	सं.शा.क्षे. के पास पड़े अव्ययित शेष
		2003-04	11.00	8.32	2.68 (24)	-वही-
21.	3602.04.245.04 परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं उप-केन्द्र	2002-03	2.36	0.78	1.58 (67)	सं.शा.क्षे. के पास पड़े अव्ययित शेष
		2003-04	1.82	1.30	0.52 (29)	-वही-
		2004-05	1.82	1.43	0.39 (21)	कारण नहीं दिए गए

परिशिष्ट -VIII-च
(पैराग्राफ 8.20 के संदर्भ में)
स्थायी आधिक्य

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	शीर्ष	वर्ष	मूल अंतिम	व्यय	आधिक्य	कारण
1.	2211.00.106.01 मुख्यालय पर गतिविधियां	2002-03	7.24	7.32	0.08	-
		2003-04	6.00	7.21	1.21	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के माध्यम से पु.वा.स्वा. प्रतिरक्षण के अंतर्गत प्रचार, गतिविधियों को कार्यान्वित करना इत्यादि
		2004-05	मू. 4.50 अ. 0.01	10.91	6.40	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में विस्तृत प्रचार और डाक विभाग द्वारा डाक लेखन सामग्री पर संदेशों का मुद्रण
2.	2211.00.106.03 सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के माध्यम से व्यय	2003-04	15.03	19.14	4.11	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के माध्यम से पु.वा.स्वा. प्रतिरक्षण के अंतर्गत अधिक प्रचार, गतिविधियों को कार्यान्वित करना, इत्यादि
		2004-05	15.55	21.24	5.69	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अधिक प्रचार तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाईयों के माध्यम से पु.वा.स्वा. प्रतिरक्षण के अंतर्गत अधिक प्रचार, गतिविधियों को कार्यान्वित करना इत्यादि
3.	2211.00.200.05 सामाजिक विपणन ओरल पिल्स	2003-04	19.80	23.45	3.65	निरोधजन्य सामाजिक विपणन पर अधिक बल धारण के फलस्वरूप सामाजिक विपणन संगठन के माध्यम से अधिक व्यय और मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों का विपणन
4.	3601.04.236.01 शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	2002-03	51.86	53.45	1.59	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अन्तरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2004.05	58.82	60.50	1.68	-वही-
5.	3601.04.238.03 पी.आ.एल. वाहनों के प्रापण के लिए प्रावधान	2002-03	100.90	112.98	12.08	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अन्तरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय और योजना के विकेंद्रीकरण के कारण पूर्व देयताओं की निकासी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	शीर्ष	वर्ष	मूल अंतिम	व्यय	आधिक्य	कारण
		2003-04	48.80	79.80	31.00	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2004-05	49.45	54.72	5.27	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
6.	3601.04.239.02 बंधकरण की प्रतिपूर्ति	2002-03	134.00	149.76	15.76	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2003-04	172.96	193.96	21.00	-वही-
		2004-05	195.15	203.93	8.78	-वही-
7.	3601.04.242.01 ए.एन.एम./एल.एच.बी. का प्रशिक्षण	2002-03	59.68	61.93	2.25	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों से अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2003-04	64.83	67.58	2.75	-वही-
		2004-05	65.62	70.30	4.68	-वही-
8.	3601.04.244.02 राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रखरखाव	2002-03	164.00	179.28	15.28	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2003-04	180.07	202.04	21.97	-वही-
		2004-05	194.06	206.16	12.10	-वही-
9.	3601.04.245.01 उप- केन्द्र	2002-03	1711.65	1845.05	133.40	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2003-04	1557.15	1709.64	152.49	वर्ष के प्रारम्भ में कम आवंटन किए गए आफसेट को अधिक अनुदान जारी करना और मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों से अंतरण द्वारा सिक्किम को समाविष्ट करते हुए उत्तर-पूर्वी राज्यों का व्यय
		2004-05	मू. 1527.46 अ. 190.00	1787.39	69.93	मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों के अंतरण

परिशिष्ट-VIII- छ
(पैराग्राफ 8.22 के संदर्भ में)
मुख्य अव्ययित प्रावधानों के मामले

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा दिए गए कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2002-03					
मुख्य शीर्ष 2211 - परिवार कल्याण					
1.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली	11.86	10.41	1.45	संशोधित अनुमानों में अनिवार्य कटौती एवं संस्थान के पास पिछले वर्षों के अव्ययित प्रावधान पड़े रहने के कारण निधियां विलम्ब से जारी
2.	गै.स.सं. के द्वारा सामाजिक विपणन	9.00	-	9.00	योजना के अंतर्गत कम प्रस्तावों की प्राप्ति और परियोजनाओं को अंतिम रूप न दिया जाना।
3.	जनसांख्यिकी और अन्य संचार अनुसंधान	7.70	5.71	1.99	-
4.	उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवाओं नवाचार परियोजना में परियोजना	59.40	40.24	19.16	संगठन के पास पड़े अव्ययित शेष और विनिमय दर में परिवर्तन के कारण कम अनुदान जारी किया जाना।
5.	पुरुष सहयोग	1.80	-	1.80	ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. द्वारा योजना की मंजूरी में विलम्ब
6.	संभार तंत्र में सुधार	9.00	-	9.00	ई.एफ.सी./एस.एफ.सी. द्वारा योजना की मंजूरी में विलम्ब
मुख्य शीर्ष 3601 - राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
1.	प्राथमिक प्रशिक्षण विद्यालयों का सुदृढीकरण	1.60	0.22	1.38	व्यय समिति /स्थायी वित्त समिति द्वारा योजनाओं की मंजूरी में प्रक्रियात्मक विलम्ब।
मुख्य शीर्ष 3602 - संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान					
1	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	5.54	-	5.54	संघ शासित सरकारों के पास पड़े अव्ययित शेष
2	शहरी परिवार कल्याण केन्द्रों का सुधार	2.24	-	2.24	-वही-
2003-04					
मुख्य शीर्ष 2211 - परिवार कल्याण					
1	सूचना, शिक्षा एवं संचार - किशोर स्वास्थ्य (आर.सी.एच.)	4.50	0.60	3.90	किशोर स्वास्थ्य रणनीति को राज्यों के साथ परामर्श से अंतिमरूप देने में विलम्ब।
2	स्वायत्त स्वयं सेवी संगठनों/समितियों के माध्यम से परियोजनाएं	56.02	29.93	26.09	कार्यक्रम आरम्भ करने में विलम्ब।
3	सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं	3.60	-	3.60	गर्भनिरोधकों के सामाजिक विपणन 42 राष्ट्रीय रणनीति को अंतिम रूप न दिया जाना तथा क्षेत्र निवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तपोषित परियोजनाएं जारी थी एवं बाहरी सहायता प्राप्त घटकों से वित्तपोषित की जा रही थी।

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	उप-शीर्ष का नाम	कुल प्रावधान	वास्तविक संवितरण	अव्ययित राशि	विभाग द्वारा दिए गए कारण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4	X वीं योजना में नई पहलें	5.58	-	5.58	योजना आयोग द्वारा योजना को मंजूरी न मिलना और आर.सी.एच. परियोजनाओं के साथ इसका विलय
मुख्य शीर्ष 3601 – राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
1.	प्रशिक्षण विद्यालयों का सुदृढीकरण	9.00	1.83	7.17	योजना को अंतिम रूप देने में विलम्ब
मुख्य शीर्ष 3602 – संघ शासित सरकारों को सहायता अनुदान					
1.	शहरी परिवार कल्याण केन्द्र	6.08	3.66	2.42	संघ शासित सरकारों के पास पड़े अव्ययित शेष
2004-05					
मुख्य शीर्ष 2211 – परिवार कल्याण					
1.	राष्ट्रीय परिवार कल्याण संस्थान	13.70	11.58	2.12	संस्थान के पास पड़े अव्ययित शेष
2.	पुरुष भागीदारी	2.92	1.13	1.79	राज्यों के प्रस्तावों की अस्वीकृति/ कम प्रस्तावों की प्राप्ति के कारण उपकरणों का प्रापण न किया जाना।
3.	ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, नजफगढ़	7.13	1.56	5.57	स्थाई वित्त समिति/व्यय वित्त समिति द्वारा 30 बिस्तारों वाले अस्पताल की स्थापना को अंतिम रूप दिए जाने में विलम्ब।
4.	अन्य प्रचार गतिविधियां	25.36	21.79	3.57	राज्यों/सं.शा.क्षे. के पास पड़े अव्ययित शेष और उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करना।
5.	स्वायत्त/स्वैच्छिक संगठनों /समितियों के माध्यम से परियोजनाएं	49.01	39.74	9.27	राज्यों के पास पड़े अव्ययित शेष और मुख्य शीर्ष 2552 से निधियों का विपथन - योजनाओं/परियोजनाओं को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कार्यात्मक शीर्ष।
6.	निरोध का सामाजिक विपथन	मू 160.00 अ. 50.00	201.33	8.67	आपूर्ति और एस.एम.ओ. आपूर्ति और एस.एम.ओ. जांच प्रयोगशालाओं के बीच अन्तर और एक विशिष्ट कन्डोम के लिए प्रचार को आरम्भ करने में विलम्ब के कारण कन्डोम की आपूर्ति न होना।
7.	आरेल पिल का सामाजिक विपणन	40.00	30.59	9.41	सामाजिक विपणन संगठन से कम मांग और विलम्ब से प्रचार।
8.	उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवाएं परियोजनाओं में नवाचार	60.00	46.23	13.77	राज्य नवाचार परिवार नियोजन सेवा परियोजना संस्था, लखनऊ द्वारा मापदण्ड न बनाना और हासिल न करना।
9.	सामाजिक विपणन क्षेत्र परियोजनाएं	9.50	-	9.50	मार्ग दर्शन को अंतिम रूप न देना।
10.	संभार तंत्र में सुधार	2.00	-	2.00	राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त न होना।
मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान					
1	परिवार कल्याण चयनित क्षेत्र परियोजनाएं (जनसंख्या परियोजनाओं सहित) - बाहर से सहायता प्राप्त घटक	4.00	-	4.00	राज्यों के पास पड़े अव्ययित शेष ।

परिशिष्ट -VIII-ज
(पैराग्राफ 8.32 के संदर्भ में)
स्थायी अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिये गये कारण
1	2202.01.107.01 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	2002-03	25.00	0.52	24.48 (98)	योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय घटक का निर्माण न करना
		2003-04	8.00	0.12	7.88 (99)	
		2004-05	8.00	-	8.00 (100)	
2	2202.01.800.13 महिला समारख्या की योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय संसाधन समूह और परामर्श/बैठकों इत्यादि पर व्यय	2002-03	0.10	0.01	0.09 (90)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.10	0.01	0.09 (90)	
		2004-05	0.10	0.09	0.01 (10)	
3	2202.01.800.14 महिला समाक्षया कार्यक्रम के कार्यान्वयन में लिप्त स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान	2002-03	19.75	7.35	12.40 (63)	निधियों को जारी नहीं करने के कारण
		2003-04	29.75	10.30	19.45 (65)	
		2004-05	29.75	14.75	15.00 (50)	
4	2202.04.103.04 साक्षरोत्तर और गतिविधियां सतत शिक्षा	2002-03	0.20	-	0.20 (100)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.20	-	0.20 (100)	
		2004-05	0.20	-	0.20 (100)	
5	2202.200.05 राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण	2002-03	0.60	0.03	0.57 (95)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.30	0.07	0.23 (77)	
		2004-05	0.30	0.01	0.29 (97)	
6	2202.04.200.11 राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान	2002-03	1.00	-	1.00 (100)	क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान को बन्द करने की प्रक्रिया चल रही थी।
		2003-04	0.50	0.50-	-	
		2004-05	0.01	-	0.01 (100)	
7	2202.04.800.09 अशासकीय सेमिनार समितियों की बैठकें इत्यादि तथा अशासकीय कर्मचारियों के या.भा./दै.भ. पर व्यय	2002-03	0.40	0.03	37.27 (93)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.30	0.06	00.24 (80)	
		2004-05	0.17	0.10	0.07 (41)	
8	3601.04.165.06 सर्व शिक्षा अभियान	2002-03	100.00	20.08	79.92 (80)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.01	-	0.01 (100)	
		2004-05	0.01	-	0.01 (100)	

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	वर्ष	प्रावधान	वास्तविक व्यय	अव्ययित प्रावधान (प्रतिशतता)	मंत्रालय द्वारा दिये गये कारण
9	3601.04.165.07 कस्तूरबा गांधी स्वतन्त्र विद्यालय	2002-03	6.65	-	6.65 (100)	मुख्य शीर्ष 2202 को निधियों का पुनर्विनियोग करने के कारण,
		2003-04	7.50	-	7.50 (100)	
		2004-05	95.00	-	95.00 (100)	
10	3602.04.178.07 कस्तूरबा गांधी स्वतन्त्र विद्यालय	2002-03	1.00	-	1.00 (100)	उपरोक्त
		2003-04	1.00	-	1.00 (100)	
		2004-05	5.00	-	5.00 (100)	
11	3602.04.178.08 सर्व शिक्षा अभियान	2002-03	5.00	1.59	3.41 (68)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	0.01	-	0.01 (100)	
		2004-05	0.01	-	0.01 (100)	
12	3602.04.188.01 अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करना	2002-03	8.00	5.39	2.61 (33)	अभिलेखित नहीं किया गया।
		2003-04	6.00	4.23	1.77 (30)	

परिशिष्ट -VIII- झ
(पैराग्राफ 8.40 के संदर्भ में)
अव्ययित प्रावधान

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	उप-शीर्ष	अव्ययित प्रावधान			बचत की प्रतिशतता	मंत्रालय द्वारा अव्ययित प्रावधानों के लिए दिए गए कारण
		संस्वीकृत प्रावधान (मू+अ)	वास्तविक व्यय	बचत		
2002-03						
1.	2225.80.001.03-पूर्व व्यावसायिक प्रशिक्षण	3.35	1.97	1.38	41	खाली पदों की रिक्ति को न भरने के कारण बचत हुई।
2.	2225.80.800.02- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के लिए प्रशिक्षण	0.20	0.02	0.18	90	अभिलेखित नहीं किया गया।
3.	2230.01.102.03- महानिदेशालय खदान सुरक्षा (म.नि.ख.सु.) के लिए योजनागत योजना	3.70	1.67	2.03	55	वित्त व्यय समिति/ स्थायी वित्त समिति द्वारा योजना की मंजूरी में विलम्ब से देने के कारण बचत हुई।
4.	2230.01.106.02- स्वास्थ्य	6.93	4.70	2.23	32	डाक्टरों के खाली पदों को नहीं भरने, के.लो.नि.वि. द्वारा अनुमान और दावों की अप्राप्ति के कारण बचत हुई।
5.	2230.01.106.03- आवास	2.13	0.27	1.86	87	प्रस्तावों इत्यादि की अप्राप्ति के कारण बचत हुई।
6.	2230.01.113.01- महिला श्रम कक्ष	0.46	0.20	0.26	57	उपलब्ध /दिया नहीं गया था।
7.	2230.01.195.02- कृषि -श्रमिकों का कल्याण	3.00	0.05	2.95	98	वित्त व्यय समिति द्वारा योजना को मंजूरी न देने के कारण बचत हुई।
2003-04						
1.	2225.80.800.02- अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण	0.24	0.09	0.15	63	उपलब्ध नहीं
2.	2230.01.101.05- अन्य मदें	2.78	1.12	1.66	60	खाली पदों को न भरने और चार नये केन्द्रीय सरकार औद्योगिक एवं श्रम न्यायालय के गैर कार्यान्वयन के कारण बचत हुई।
3.	2230.01.102.03- महानिदेशालय खदान सुरक्षा (म.नि.ख.सु.) के लिए योजनागत योजनाएं	3.55	1.69	1.86	52	खाली पदों को न भरने और वित्त व्यय विभाग द्वारा नई योजनाओं को मंजूरी न देने के कारण बचत हुई।
4.	2230.01.107.03- मनोरंजन	0.46	0.29	0.17	37	उपलब्ध नहीं
5.	2230.01.107.04- आवास	1.05	0.14	0.91	87	प्रस्तावों इत्यादि की अप्राप्ति के कारण बचत हुई।
6.	2230.01.107.06- जल आपूर्ति	1.88	0.12	1.76	94	प्रस्तावों इत्यादि की अप्राप्ति के कारण बचत हुई।
7.	2230.02.004.03- अध्ययन सर्वेक्षण एवं सांख्यिकी	0.09	Nil	0.09	100	उपलब्ध नहीं

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

		अव्ययित प्रावधान				
8	2230.02.101.03- रोजगार कार्यालय	0.09	0.01	0.08	89	-वही-
2004-05						
1.	2230.01.109.02- मनोरंजन	0.21	0.13	0.08	38	उपलब्ध नहीं
2	2230.01.102.03- महानिदेशालय खदान सुरक्षा, को योजनागत योजनाएं	4.90	2.90	2.00	41	-वही-
3	2230.01.102.08- महानिदेशालय कारखाना सलाह सेवायें की योजनागत योजनाएं	1.40	0.95	0.45	32	-वही-
4	2230.01.102.11- परीक्षा	0.62	0.43	0.19	31	-वही-
5	2230.01.105.01- प्रशासन	0.31	0.21	0.10	32	-वही-
6	2230.01.105.03- शिक्षा	0.38	0.27	0.11	29	-वही-
7	2230.01.106.05- मनोरंजन	0.34	0.21	0.13	38	-वही-
8	2230.01.107.03- मनोरंजन	0.53	0.31	0.22	42	-वही-
9	2230.01.107.06- जल आपूर्ति	0.28	-	0.28	100	-वही-
10	2230.01.797.02- अभ्रक खदान श्रम कल्याण बोर्ड	1.80	1.08	0.72	40	-वही-

परिशिष्ट -VIII- ज
(पैराग्राफ 8.40 के संदर्भ में)
उप-शीर्ष के अंतर्गत आधिक्य प्रावधान

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	उप-शीर्ष	आधिक्य प्रावधान			आधिक्य प्रावधान के बारे में मंत्रालय द्वारा दिए गए कारण
		संस्वीकृत प्रावधान	व्यय	आधिक्य प्रावधान	
2002-03	2230.01.110.02- प्रशासन मू. 72 पु. (-) 3	0.01	0.24	0.23	उपलब्ध नहीं है
	2230.03.102.02- चैन्नई स्थित केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान	0.12	2.04	1.92	योजना को योजनेतर में संस्थापित किया जाना था। परन्तु वर्ष के दौरान योजना आयोग ने योजनागत योजना के अन्तर्गत योजना को कार्यान्वित करना स्वीकार किया।
	2230.03.102.04- प्रशिक्षुओं पर सम्बन्धित अनुदेशों के प्रभारों का विस्तार मू. 50 पु. 13,61	0.14	0.36	0.22	उपलब्ध नहीं है
2004-05	मुख्य शीर्ष-3601 3601.04.321.03- अन्य योजनाएं	1.43	15.82	14.39	व्यय की गलत लेखांकन के कारण

परिशिष्ट-VIII- ट

(पैराग्राफ 8.45 के संदर्भ में)

समस्त बजट प्रावधान अप्रयुक्त रहा

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	2002-03	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्विनियोजित/ अभ्यर्पित राशि
1.	2230.01.800.10	कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण योजना	0.10
2.	2230.01.800.11	अनुभाग का आधुनिकीकरण	1.00
3.	2230.01.798.03	रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एशियन क्षेत्रीय टीम के कार्यालय आवास को किराए पर लेना	0.02
4.	2230.01.800.12	पीढ़ी अध्ययन के प्रति जागरूकता	1.50
5.	2230.02.004.03	अध्ययन, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.05
6.	2230.02.101.08	प्रशिक्षण - सह- मार्गदर्शक केन्द्रों में नए पाठ्यक्रम एवं नए प्रशिक्षक - सह - मार्गदर्शक के नए केन्द्र स्थापित करना	0.25
7.	2230.03.004.05	सी.एस.टी.ए.आर, कोलकाता के आधुनिकीकरण के लिए बाह्य सहायता परियोजना	0.01
8.	2230.03.102.10	केन्द्रीय अनुदेशात्मक मीडिया संस्थान के लिए बाह्य सहायता परियोजना	0.01
9.	2230.03.800.01	बैंगलूर स्थित एफ.टी.आई. पर्यवेक्षी प्रशिक्षण के विस्तार और विकास को विदेशी सहायता प्रदान करना	0.07
10.	2230.03.800.09	डी.जी.ई. एवं टी. (मुख्या.) स्थित व्यापार जांच कक्ष का आधुनिकीकरण	0.01
11.	2230.03.800.10	निपुणता विकास निधि की स्थापना	0.10
12.	3601.01.325.01	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बीड़ी मजदूरों के लिए आवासीय योजना	10.88
13.	3601.01.328.01	दुर्घटना में मारे गए अन्तर्राज्यीय भारी वाहनों के ड्राइवरों के परिवारों को मुआवजा	0.30
14.	3601.04.331.08	रोजगार अवसरों की जानकारी हेतु प्रोग्राम का सुदृढीकरण	0.06
15.	6250.60.201.02	लौह अयस्क, मैंगनीज़ और क्रोम अयस्क खदान में कार्यरत श्रमिकों की कल्याण निधि	0.01
16.	6250.60.201.03	चूना पत्थर और डोलोमाईट मज़दूर कल्याण निधि	0.04
17.	3606.00.209.02	बैंगलूर स्थित फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान	0.05

नि.म.ले.प. का प्रतिवेदन
संघ सरकार लेखे 2004-2005

(करोड़ रूपयों में)

क्रम सं.	2002-03	उप-शीर्ष	कुल प्रावधान/पुनर्विनियोजित/अभ्यर्पित राशि
18.	3606.00.209.05	एन.वी.टी.एस. का सुदृढीकरण और ए.आई.सी.वी.टी की स्थापना	0.04
19.	3606.00.245.01	यू.एन.एफ.पी.ए. के साथ जनसंख्या शिक्षा का आरम्भ	0.10
2003-04			
1.	2230.01.800.10	कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण योजना	0.10
2.	2230.02.004.03	अध्ययन, सर्वेक्षण और सांख्यिकी	0.09
3.	2230.03.800.10	निपुणता विकास निधि की स्थापना	0.05
4.	3601.01.328.01	दुर्घटना में मारे गए अन्तर्राज्यीय भारी वाहनों के ड्राइवर्स के परिवारों को मुआवजा	0.15
5.	3601.04.327.02	राज्यों में श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी पद्धति में सुधार	0.01
6.	6250.60.201.04	बीड़ी मज़दूर कल्याण निधि	0.08
2004-05			
1.	2230.01.798.03	रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए एशियन क्षेत्रीय टीम के कार्यालय आवास को किराए पर लेना	0.02
2.	2230.01.800.10	कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण योजना	0.10
3.	2230.03.800.10	निपुणता विकास निधि की स्थापना	0.01
4.	2230.03.800	10 वीं योजना में वर्णित अन्य नई पहल	0.01
5.	3601.04.327.02	राज्यों में श्रम एवं रोजगार सांख्यिकी पद्धति में सुधार	0.01
6.	4250.00.201.07	बीड़ी मज़दूरों की सहकारिता समिति, गोदाम तथा वर्क शैड के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता	0.06

शब्दावली

- 14 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 14 दिवसीय माध्यमिक खजाना बिल : राज्य सरकारों, वाणिज्यिक बैंकों तथा अन्य विशिष्ट निकायों को अपनी अस्थाई अधिशेष निधियाँ निवेश करने में सक्षम बनाने के लिए जून 1997 से आरम्भ किया गया 14 दिवसीय अवधि का प्रपत्र।
- 364 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : 364 दिवसीय अवधि का उधार लेने का यह साधन अप्रैल 1992 से आरम्भ किया गया था। इस साधन की नीलामी पाक्षिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- 91 दिवसीय नीलामी खजाना बिल : उधार के लिए जनवरी 1993 से आरम्भ किया गया साधन। इस साधन की नीलामी साप्ताहिक आधार पर पूर्व-निर्धारित विच्छेद मूल्य पर की जाती है।
- तदर्थ खजाना बिल : जब कभी सरकार का नकद शेष 50 करोड़ रु. के स्तर से कम हो जाए, संघ सरकार की ओर से भा.रि.बैं. द्वारा उसके पक्ष में सृजित किया गया 91 दिवसीय प्रपत्र। जब भी सरकार का नकद शेष अधिक हो जाए सम्मत स्तर को बनाए रखने के लिए ऐसी राशियों के तदर्थ रद्द कर दिए गये थे। 1 अप्रैल 1997 से यह प्रपत्र बन्द कर दिया गया था।
- विनियोग : विनियोग का अर्थ है, विनियोग की प्राथमिक इकाई में सम्मिलित निधियों के विशिष्ट व्यय को वहन करने हेतु आबंटन।
- विनियोग लेखे : विनियोग लेखे, संसद द्वारा बजट अनुदानों में प्रत्येक दत्तमत तथा प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत प्राधिकृत निधियों की कुल राशि (मूल तथा अनुपूरक) और साथ साथ प्रत्येक के सामने वास्तविक व्यय तथा विनियोग के प्रत्येक अनुदान अथवा विनियोग के अधीन बचत अथवा आधिक्य को प्रस्तुत करते हैं।
- विनियोग अधिनियम : संसद द्वारा विनियोग बिल पारित होने के पश्चात् यह राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है। बिल को राष्ट्रपति की सहमति मिलने के पश्चात् यह अधिनियम बन जाता है।

- विनियोग विधेयक : लोक सभा द्वारा अनुच्छेद 113 के अधीन अनुदान किए जाने के बाद यथा-सम्भव शीघ्र भारत की समेकित निधि में से (क) लोक सभा द्वारा इस प्रकार किए गए अनुदानों की, तथा (ख) भारत की समेकित निधि पर भारित किन्तु संसद के समक्ष पहले रखे गए विवरण में दी हुई राशि से किसी भी अवस्था में अनाधिक व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित समस्त धन के विनियोग के लिए विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।
- पूंजीगत व्यय : इसके अन्तर्गत परिसम्पत्तियों के अभिग्रहण के लिए अदायगी, अंश-पूंजी में निवेश और सरकार द्वारा दिए गए उधार एवं अग्रिम आते हैं।
- पूंजीगत प्राप्ति : पूंजीगत प्राप्ति में सरकार द्वारा जनता से लिए गए उधार, भारतीय रिजर्व बैंक से लिए गए उधार, विदेशी सरकारों से लिए गए ऋण, सरकार द्वारा दिए गए ऋणों की पुनर्प्राप्ति, विनिवेश की प्राप्ति आदि शामिल है।
- प्रभारित विनियोग : संविधान के अनुच्छेद 112(3) के अधीन समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि को प्रभारित विनियोग कहा जाता है।
- भारत की समेकित निधि (भा.स.नि.) : भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन संघटित निधि, जिसमें सभी प्राप्तियों, राजस्वों और कर्जों का प्रवाह होता है। समस्त व्यय भा.स.नि. से विनियोग द्वारा दत्तमत्त अथवा प्रभारित किया जाता है। इसमें राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय) तथा पूंजीगत लेखा (लोक ऋण तथा कर्ज इत्यादि) नामक दो प्रभाग हैं।
- भारत की आकस्मिकता निधि : विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में, संसद भारत की आकस्मिकता निधि की स्थापना कर सकती है जिसमें ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियां समय-समय पर डाली जाएंगी तथा अनपेक्षित व्यय का संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा 116 के अधीन संसद द्वारा, विधि द्वारा, प्राधिकृत होना लम्बित रहने तक ऐसी निधि में से ऐसे व्यय की पूर्ति के लिए अग्रिम धन देने के लिए उक्त निधि राष्ट्रपति के अधिकार में रखी गयी हैं।
- ऋण सेवा : देय मूलधन तथा ब्याज का ऋणदाता को भुगतान। इसमें आमतौर पर सेवा प्रभार आदि शामिल होते हैं।

- अनुदानों की मांग : अनुदानों की मांग किये जाने वाले व्यय की सकल राशि के लिए है तथा व्यय की कटौती में ली जाने वाली वसूलियों को पृथक रूप से पाद टिप्पणियों के रूप में दर्शाकर संसद को दो स्तरों में प्रस्तुत किया जाता है। अनुदान के लिए मुख्य मांगें वित्त मंत्रालय द्वारा वार्षिक वित्तीय विवरण सहित प्रस्तुत की जाती हैं। अनुदानों के लिए विस्तृत मांगें उस सदन में सम्बद्ध मंत्रालय की मांग के लिए चर्चा होने के कुछ दिन पहले सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा लोक सभा के पटल पर रखी जाती है।
- : जैसा कि अनुदानों की मांग सकल व्यय के लिए होती है और वार्षिक वित्तीय विवरण प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत होने वाले व्यय को बताता है, अतः दोनों का योग, खातों में सकल व्यय की कटौती की प्राप्ति को समायोजित करने के बाद का मिलान होना चाहिए।
- अधिक अनुदान : ऐसे मामलों में जहां व्यय अनुदान/विनियोग के पृथक "खण्ड" अर्थात् राजस्व (प्रभारित), राजस्व(दत्तमत), पूंजीगत(प्रभारित) तथा पूंजीगत (दत्तमत) में अनुमोदन से बढ़ जाते हैं, इस प्रकार के अनुदान/विनियोग को अधिक अनुदान माना जाता है।
- बाह्य ऋण : सरकार द्वारा विदेशों से, अधिकतर विदेशी मुद्रा में अर्थात् अधिकतर विश्व बैंक, अ.पु.वि.बैं., आई.डी.ए. आदि से कर्जा अनुबन्धित ऋण।
- राजकोषीय घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों के ऊपर ऋण की अदायगी के उपरान्त निवल राशि को शामिल करते हुए कुल खर्च का आधिक्य है। यह सरकार के कुल उधार तथा लम्बित ऋणों की वृद्धि दर को भी दर्शाता है।
- उपादान लागत पर स.घ.उ. : उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद उत्पादन साधनों की उस मूल्य का मापक है जिस पर स.घ.उ. होता है अर्थात् उन साधनों द्वारा अर्जित आय पर। यह बाजार मूल्य पर स.घ.उ. में अप्रत्यक्ष करों की कटौती तथा रियायतों के योग से प्राप्त होता है।
- बाजार मूल्य पर स.घ.उ. : बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद देश में उत्पादित वस्तुओं तथा सेवाओं पर कुल अंतिम खर्च को प्रदर्शित करता है। यह एक निश्चित समय में देश में उत्पादित कुल वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य है। इसका माप

चालू कीमतों या आधार वर्ष के दौरान की कीमतों पर की जाती है।

- आन्तरिक ऋण : भारत में जनता से लिए गए नियमित कर्ज, आन्तरिक ऋण होते हैं, इसे “भारत में लिया गया ऋण ” भी कहते हैं। यह समेकित निधि को क्रेडिट किए गए कर्जों तक सीमित होता है।
- एम-3 : यह व्यापक मुद्रा है जिसे जनता के पास मुद्रा, मांग-जमा और बैंकों में सावधि जमा तथा अन्य भारतीय रिजर्व बैंक में जमा मुद्रा, के कुल योग के रूप में परिभाषित किया जाता है।
- मुख्य शीर्ष : लेखे में वर्गीकरण की मुख्य इकाई, मुख्य शीर्ष के रूप में जानी जाती है। मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों का एक कोड निर्धारित किया गया है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से है अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा ऋण शीर्ष से है।
- लघु शीर्ष : लघु शीर्ष को तीन अंकों वाले कोड दिए गए हैं, जो प्रत्येक उप-मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप मुख्य शीर्ष न हो) के अंतर्गत “001” से प्रारंभ होते हैं।
- नयी सेवा : सरकार ने पुनर्विनियोजन के माध्यम से व्यय की विभिन्न श्रेणियों के लिए कुछ वित्तीय सीमाएं निर्धारित की हैं जिससे बाहर किया गया व्यय “नई सेवा /सेवा का नया साधन” बन जाता है।
- मूल अनुदान : किसी वित्त वर्ष में किसी सेवा के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण में उपलब्ध की गई राशि को मूल अनुदान अथवा विनियोग कहा जाता है।
- प्रारंभिक घाटा : राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतानों को घटा दिया जाए तो प्रारंभिक घाटा आ जाता है। इसकी सरकार की राजस्व प्राप्तियों तथा ऋण-भिन्न पूंजीगत प्राप्तियों की तुलना में उसके अब्याजी व्यय के आधिक्य के रूप में व्याख्या की जा सकती है।
- लोक लेखा : भारत सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त समेकित निधि में शामिल धन से इतर सभी धन भारत के लोक लेखे में क्रेडिट किया जाता है। इसमें भारत की समेकित निधि में शामिल ऋण से भिन्न ऋण से संबंधित लेन-देन.

शामिल होता है। लोक लेखा लेन-देन संसद द्वारा दत्तमत/विनियोग के अधीन नहीं होते हैं और शेष अग्रेनीत किए जाते हैं।

- लोक ऋण (भारत का) : भारत सरकार द्वारा लिया गया आंतरिक तथा बाह्य उधार।
- पुनर्विनियोजन : इसका अर्थ है विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से ऐसी दूसरी इकाई को निधियों का अंतरण।
- आरक्षित धन : यह मौद्रिक आधार है। यह सरकार को भा.रि.बैं. के निवल क्रेडिट, वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावों, वाणिज्यिक क्षेत्र में भा.रि.बैं. के क्रेडिट, भा.रि.बैं. का निवल विदेशी विनिमय, लोक लेखे में सरकार की मुद्रा देयता में घटा भा.रि.बैं. की निवल अमौद्रिक देयताओं की राशि है।
- राजस्व घाटा : यह राजस्व प्राप्तियों की तुलना में राजस्व व्यय के आधिक्य के बराबर है।
- राजस्व व्यय : यह सरकार के सामान्य संचालन, अनुसंधान व्यय, ब्याज भुगतानों आर्थिक सहायता तथा अंतरण आदि करने के लिए है। यह चालू व्यय है जिससे परिसम्पत्तियों का सृजन नहीं होता है। राज्य सरकारों अथवा अन्य वर्गों को दिए गए अनुदानों को राजस्व व्यय के रूप में माना जाता है भले ही कुछ अनुदान परिसम्पत्तियां सृजन करने के लिए बनाए गए हों।
- राजस्व प्राप्तियां : इसमें सरकार द्वारा उद्ग्रहीत करों तथा शुल्कों से प्राप्त आय, सरकार द्वारा किए गए निवेशों पर ब्याज तथा लाभांश, शुल्क तथा सरकार द्वारा की गई सेवाओं के लिए अन्य प्राप्तियां शामिल हैं।
- स्टॉक : स्टॉक, प्रमाण पत्र के रूप में रखी गई सरकारी प्रतिभूति का एक रूप, जो पृष्ठांकन तथा सुपुर्दगी द्वारा हस्तांतरणीय न हो बल्कि लोक ऋण कार्यालय की बहियों में हस्तांतरण विलेख निष्पादित करके तथा हस्तांतरण दर्ज करके हो।
- अनुपूरक अनुदान : यदि संविधान के अनुच्छेद 114 के उपबन्धों के अनुसार निर्मित किसी विधि द्वारा किसी विशेष सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष के लिए व्यय किए जाने के लिए प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजन के लिए अपर्याप्त पाई

जाती है अथवा उस पर वर्ष के मूल बजट में अपेक्षित न की गई किसी नई सेवा पर अनुपूरक अथवा अतिरिक्त व्यय की चालू वित्त वर्ष में आवश्यकता पैदा हो गई है तो सरकार संविधान के अनुच्छेद 115(1) के उपबंधों के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोग प्राप्त करेंगी।

- अव्ययित प्रावधान का अभ्यर्पण : केन्द्र सरकार के विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोगों में अव्ययित प्रावधानों को, जैसे ही ये प्रत्याशित हों, वित्त वर्ष समाप्त होने से पहले वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय, वित्त वर्ष के समाप्त होने से पूर्व इस प्रकार के अभ्यर्पणों को स्वीकार करने की स्वीकृति लेखापरीक्षा अधिकारी/या लेखा अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सूचित करेगा।
- टैप खजाना बिल : 91 दिवसीय अवधि का प्रपत्र जिसके द्वारा सरकार धन उधार लेती है। इस प्रपत्र का अभिप्राय वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उनके अधिशेष का निवेश करना था। यह प्रपत्र 1 अप्रैल 1997 से बन्द कर दिया गया था।
- खजाना बिल : खजाना बिल ऐसे साधन है जो संघ सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अस्थायी संसाधन अंतराल को पूरा करने के इरादे से अल्प अवधि कर्जे को उगाहने के लिए जारी किए जाते हैं।
- अव्ययित प्रावधान : जब व्यय, बजट प्रावधान से कम होता है, तब अव्ययित प्रावधान होते हैं।
- दत्तमत्त अनुदान : अन्य व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित राशि जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 113(2) के अंतर्गत संसद का मतदान अपेक्षित है, को दत्तमत्त अनुदान कहा जाता है।

